षोडश माला, खंड 7, अंक 7

सोमवार, 2 मार्च, 2015
11 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में अंक 1 से 9 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2015 / 1936 (शक)

अंक 7, सोमवार, 2 मार्च, 2015 / 11 फाल्गुन, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 88	15-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 89 से 100	41
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 42

कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 43

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 44-47

(दो) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 83

(तीन) कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015 85-92

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) राज्य में शांतिपूर्ण निर्वाचन होने देने के लिए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान के आतंकी समूहों को धन्यवाद दिए जाने संबंधी कथित वक्तव्य के बारे में 48-57

(दो) देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है, उन्हें राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में 71-77

अध्यादेश संबंधी विवरण

(एक) मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण 84

(दो) कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, (2014 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण 93

नियम 377 के अधीन मामले 94-108

(एक) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ऋणग्रस्त किसानों के लिए ऋण माफी योजना की घोषणा तथा उनके कल्याण के उपाय किए जाने की आवश्यकता

कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल 95

(दो) राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए समुचित शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश मीणा 96

(तीन) झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण अस्पताल पुनः खोले जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार राय 97

(चार) बिहार के बख्तियारपुर और खगड़िया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 31 को चार लेन का बनाये जाने के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह 98

(पांच) नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहने वाली रोहिणी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए समुचित उपाय किये जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ जी 99

(छह) जिन किसानों की फसल को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजकुमार सैनी 100

(सात) राजस्थान के राजसमन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राजसमन्द झील में पर्याप्त जल स्तर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ 101

(आठ) असम में मिसामारी-रंगापाड़ा-बलीपाड़ा सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद शर्मा 102

(नौ) राजस्थान में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 103

(दस) कर्नाटक के धारवाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कपास के लिए खरीद केंद्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रह्लाद जोशी 104

(ग्यारह) केरल के चेंगान्नूर में एक एडवांस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और इट्टूमनूर में रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 105

(बारह) केरल में अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों के आवेदनों, जिनकी मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृति छोटी तकनीकी गलतियों के कारण अस्वीकार कर दी गई थी, पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एन्टोनी 106

(तेरह) तमिलनाडु के विलुपुरम और टिंडीवनाम रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किये जाने और कंदामंगलम, काट्पाडी और अरकनल्लूर में रेलवे समपारों पर सड़क उपरिपुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री एस. राजेन्द्रन 107

(चौदह) ओडिशा के बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षापायों को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 108

(पंद्रह) महाराष्ट्र के ग्रेटर मुंबई में तटीय विनियमन जोन-II क्षेत्रों में स्लम पुनर्वास योजना के कार्यान्वन के लिये नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधनों को अंतिम रूप देने में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री राहुल शेवाले 109

(सोलह) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तेलंगाना में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार 110

(सत्रह) कोट्टापुरम से कोल्लम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-3 का तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के कुलाचल तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता

डॉ. ए. सम्पत 111

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014 112-114

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव 112

खंड 1 112-113

पारित करने के लिए प्रस्ताव 114

नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के निरनुमोदन के बारे सांविधिक संकल्प और नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 115-166

विचार करने के लिए प्रस्ताव 115

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन 115-120, 164-165

श्री किरेन रिजीजू 120,160-164, 165

डॉ. संजय जायसवाल 120-124

श्री एम.आई. शनवास 125-130

श्री पी.आर. सेनथिलनाथन 130-133

डॉ. रत्ना डे (नाग) 136-137

श्री भर्तृहरि महताब 137-141

श्री जयदेव गल्ला 141-145

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 146-147

डॉ. ए. सम्पत 148-151

श्रीमती कोथापल्ली गीता 151-153

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 153-156

श्री राजीव सातव 157-158

श्री राजनाथ सिंह 159-160

खंड 2 से 7 और 1 165-166

पारित करने के लिए प्रस्ताव 166

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प 167-226

और

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

विचार करने के लिए प्रस्ताव 167-168

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन 170-181

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 181

श्री अभिषेक सिंह 182-187

श्री अधीर रंजन चौधरी 188-194

श्री आर.पी. मरुदराजा 195-198

प्रो. सौगत राय 198-199

209-212

श्री तथागत सत्पथी 212-219

श्री विनायक भाऊराव राऊत 220-222

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) 222-226

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के. एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 2 मार्च, 2015 / 11 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, मुझे श्री के.सी. वेणुगोपाल से प्रश्न काल के निलंबन और श्री दीपेंदर हुड्डा द्वारा स्थगन प्रस्ताव के लिए एक सूचना प्राप्त हुई है। मुझे लगता है कि प्रश्न काल के निलंबन के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। [हिन्दी] आपने जो एडजर्नमेंट नोटिस दिया है, उसके विषय वगैरह सब मैंने देखा है। शून्य काल में मैं आपको एलाउ करूंगी, अभी मैं उसे एलाउ नहीं कर रही हूं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय अध्यक्ष जी, आप उसके लिए समय बताइए। गृह मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

माननीय अध्यक्ष : जस्ट नाउ नहीं, यह अच्छा होगा कि उसे शून्य काल में उठाएं।

———————

पूर्वाह्न 11.01 बजे

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 81 श्री बी.वी. नाईक।

(प्रश्न संख्या 81)

श्री बी.वी. नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय एवं विदेशी दोनों ही विद्वानों के मध्य यह एक सर्वविदित तथ्य है कि देश के अधिकांश अभिलेखागार एवं पुस्तकालय अत्यंत दयनीय एवं उपेक्षित अवस्था में हैं। दिल्ली में महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी और बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखे गए पत्र ऐसे कमरों में पड़े हुए हैं जहाँ तापमान नियंत्रण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे ये ऐतिहासिक दस्तावेज़ धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। इसी तरह, चेन्नई में मानसून के दौरान अभिलेखों का रिकॉर्ड वास्तव में बारिश में बह गया था।

इसे ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देश के इस अनमोल इतिहास और विरासत को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। ये कदम किस हद तक प्रभावी और कारगर हैं?

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न हम सब के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से, हमें कुछ दस्तावेज अच्छे स्वरूप में प्राप्त हुए, लेकिन कुछ दस्तावेज थोड़े परिवर्तित या विकृत स्वरूप में प्राप्त हुए। हम उन्हें संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से उन्हें सुधारने की प्रक्रिया में हैं। फिर, डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। हमने उन्हें समुचित सुरक्षा देने और उन्हें समुचित रूप से संरक्षित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। अब तक, ऐसे दस्तावेजों के लगभग 15 लाख पृष्ठ पहले ही डिजिटलीकृत हो चुके हैं। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। हम यह काम सी-डैक जैसे संस्थाओं के माध्यम से ई-रूपांतर और अभिलेख डिजिटल्य नामक दो सॉफ्टवेयरों के माध्यम से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया से हम उन दो दस्तावेजों को भी संरक्षित रख सकेंगे जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने विशेष रूप से किया है। वे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन दो दस्तावेजों को देखूंगा।

श्री बी.वी. नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि आज तक लोक अभिलेख अधिनियम के अंतर्गत अभिलेखों के अवैध विनष्टिकरण या अभिलेखागार को समय पर हस्तांतरित न करने के लिए एक भी अभियोजन नहीं हुआ है? यदि ऐसा है, तो सरकार के संज्ञान में इस संबंध में कितने मामले आए हैं? इस लापरवाही के लिए किसी के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं?

डॉ. महेश शर्मा: महोदया, यह बात सही है कि मेरी जानकारी में आज तक इस तरह की कोई बात नहीं लाई गई है। यदि माननीय सदस्य को ऐसी कोई जानकारी मिली है, तो निश्चित रूप से हम सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अनुसार इन अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे। निःसंदेह, हम इस अधिनियम को और मजबूत करने की दिशा में विधेयक को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि यदि कोई विशेष मुद्दा माननीय सदस्य के ध्यान में है, तो हम उस मुद्दे पर अलग से विचार करेंगे।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कुछ पृष्ठ हैं जिन्हें डिजिटलाइज़ किया गया है। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में संग्रहित अभिलेखों का भंडार 40 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इनमें वर्ष 1748 से लेकर वर्तमान समय तक के ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहीत हैं। केवल इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास कुल 38,75,332 फाइलें, 64,221 वॉल्यूम, 1,10,000 से अधिक मानचित्र, 1065 संधि पत्र 2,442 दुर्लभ पांडुलिपियाँ, और 7500 माइक्रो-फिल्म रोल्स हैं, जो विभिन्न देशों से महत्वपूर्ण उद्देश्यों हेतु प्राप्त अभिलेखों का संरक्षण करते हैं। ये दस्तावेज अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे माननीय सदस्य ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत के कई अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षण के अभाव में पड़े हुए हैं, जिससे पूरे देश को व्यापक नुकसान पहुंच रहा है। एक उदाहरण के रूप में, जिसे हमारे माननीय सदस्यगण मुंबई से मेरे साथ साझा करेंगे, यह है कि दादाभाई नौरोजी के पत्रों की कार्बन प्रतियाँ धूल के कारण क्षरण की स्थिति में हैं। क्या यह सत्य है कि सरकार को इस प्रकार की समस्याओं की जानकारी है, जहाँ गांधीजी और श्री नौरोजी के बीच का पूर्व पत्राचार अब उन लैमिनेटेड शीटों के अभाव में पढ़ा नहीं जा पा रहा है, जो इसे संरक्षित रखने के लिए उपयोग किए गए थे? मैं यहां एक सरल प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या हम सचमुच डिजिटलीकरण का उद्देश्य हासिल कर पाए हैं, जो 2004-05 में शुरू हुआ था, यानी लगभग 10 साल पहले? क्या माननीय मंत्री जी यह विचार करेंगे कि देशभर में स्थापित किए जाने वाले 107 पांडुलिपि संसाधन केंद्रों में से एक केंद्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासोर में भी स्थापित किया जाए?

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सदस्य की चिंता मंत्रालय के लिये भी एक चिंता का विषय है। यह सच है कि ऐसे दस्तावेजों की एक लंबी सूची है जो उपलब्ध हैं। जब इसकी प्रक्रिया वर्ष 1998 और वर्ष 2000 में शुरू हुई, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना इन-हाउस डिजिटलीकरण कार्यक्रम शुरू किया था। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, हम सी-डेक से सहयोग ले रहे हैं। *ई-रूपांतरण* और *अभिलेख* डिजिटल्य स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए हम बाह्य संसाधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। तथापि, इस कार्य की लंबी सूची बनी हुई है। जैसा

कि आप जानते होंगे, वे सभी दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उन्हें हमारे विभाग में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन हमने इसके लिए समस्त आवश्यक प्रयास किए हैं। इसमें आउटसोर्सिंग, माइक्रो-फिल्मों को खुद संसाधित करना और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अन्तर्गत संसाधन केंद्र बनाना शामिल है। माननीय सदस्य महोदय द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में संसाधन केंद्र स्थापित करने के संबंध में व्यक्त की गई चिंता पर, उपलब्ध दस्तावेजों की संख्या के आधार पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

श्री दुष्यंत सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने का निर्णय लेकर सही दिशा में कदम उठाया है। बहुत सारे भारतीय नागरिक हमारे पास संग्रहित दस्तावेज़ों को इंटरनेट के जरिए कहीं से भी देख सकते हैं।

अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता से पहले हमारे इतिहास में अहम भूमिका निभाई है। भारत के कई अभिलेख हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा हैं। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या भारतीय संस्कृति मंत्रालय विदेशी देशों जैसे ब्रिटेन के साथ सहयोग स्थापित करने की योजना बना रहा है, जहां ब्रिटिश राष्ट्रीय संग्रहालय और ब्रिटिश राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित हैं? उस पुस्तकालय में उत्कृष्ट पांडुलिपियाँ और उन्हें सुरक्षित रखने के प्रभावी साधन उपलब्ध हैं। आपने अभी सी-डैक, ई-रूपांतरण और आउटसोर्सिंग का उल्लेख किया है। हम उनके उत्तर से यह समझते हैं कि जो धन उपलब्ध है, वह बहुत कम है। क्या सरकार हमारे प्राचीन हस्तलिखित अभिलेखों के संरक्षण के लिए विदेशों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है? इसके अतिरिक्त, क्या सरकार भारत के युवाओं को हमारी इतिहास जानने और सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार कर रही है?

डॉ. महेश शर्मा: महोदया, माननीय सदस्य द्वारा विदेशी पुस्तकालयों या संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करने के संबंध में प्रश्न हमारे मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। बल्कि, कुछ समय पहले कुछ विदेशी संस्थाओं की

ओर से डिजिटलीकरण पर एक प्रस्ताव आया था, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के कारणों से हमारे मंत्रालय द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया।

जहां तक फंड की कमी का संबंध है, हमारे पास इस उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की निधि की कमी नहीं आई है। हमने पहले से ही सी-डैक और ई-रूपांतर, अभिलेख दृष्टालय के माध्यम से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।

दादाभाई नौरोजी के संबंध में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में, हम पहले ही दादाभाई नौरोजी के अभिलेखों का डिजिटलीकरण शुरू कर चुके हैं। यह प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। निश्चित रूप से, माननीय सदस्य के प्रश्न के संदर्भ में, वर्तमान में इस मामले में विदेशों के साथ कोई सहयोग हमारे मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

श्री जोस के. मणि: महोदया, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, माइक्रोफिल्मिंग को डिजिटलीकरण की तुलना में अधिक प्रभावी तकनीक माना जाता है। डिजिटलीकरण के माध्यम से तथ्यों में परिवर्तन की संभावना रहती है, जबकि माइक्रोफिल्मिंग में ऐसा संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, माइक्रोफिल्मिंग द्वारा दस्तावेजों को दीर्घकालीन संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है, कि क्या ये दस्तावेज माइक्रोफिल्मिंग के द्वारा भी संरक्षित किए जा रहे हैं; यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

डॉ. महेश शर्मा: माइक्रोफिल्मिंग की प्रक्रिया एक पुरानी परंपरा रही है। अब इसे डिजिटलीकरण प्रक्रिया से बदल दिया गया है। निश्चित ही, डिजिटलीकरण से दस्तावेजों की सूचीकरण (कैटलॉगिंग) में भी सहायता मिलती है तथा जब हम ई-गवर्नेंस के युग में हैं, तब ऐसे दस्तावेजों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित होती है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि स्वच्छता अभियान के प्रारंभ के बाद, विभिन्न मंत्रालयों से पिछले दस महीनों में हमारे विभाग में 60,000 से अधिक फाइलें जुड़ी हैं, जो केवल ई-डिजिटलीकरण के माध्यम से ही संभव हो पाया है? माइक्रोफिल्मिंग की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा प्राथमिक चयन डिजिटलीकरण ही होगा, न कि माइक्रोफिल्मिंग।

(प्रश्न संख्या 82)

[हिन्दी]

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष महोदया, देश में बहुत सारे रेलवे रूट्स पर इलैक्ट्रिफिकैशन का काम शुरू है। उनमें से कई रूट्स ऐसे हैं, जहां स्टार्टिंग प्वाइन्ट पर इलैक्ट्रिफिकैशन हुआ है, एण्डिंग प्वाइंट पर इलैक्ट्रिफिकैशन हुआ है, लेकिन वहां बीच में इलैक्ट्रिफिकैशन नहीं होने के कारण सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से रेलवे को 'डीजल अन्डर-द-वायर' ट्रेनें चलानी पड़ रही है, जिसके कारण रेल प्रशासन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि वह काम पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या प्रबन्ध है और बाकी काम कब तक पूरा होगा?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, हमारे लगभग 38 प्रतिशत रूट इलैक्ट्रिफाइड हो गए हैं। अगर माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर रूट की बात पूछें तो वहां क्या कठिनाई है, मैं उसके बारे में उन्हें उत्तर दे सकूंगा। उन्होंने खास तौर से महाराष्ट्र के बारे में सवाल पूछा है। महाराष्ट्र में राष्ट्र के औसत से थोड़ा ज्यादा, लगभग 42 प्रतिशत से ज्यादा इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है। महाराष्ट्र में हमारे कुछ आन गोइंग प्रोजैक्ट्स हैं। अगर वे किसी पर्टिकुलर प्रोजैक्ट के बारे में पूछें तो मैं उस बारे में भी विस्तार से जानकारी दे सकता हूं।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: अध्यक्ष महोदया, भारत में पहली इलैक्ट्रिक ट्रेन 1925 में तत्कालीन वीटी और अब के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कुर्ला तक चली थी। हम लगभग 90 सालों तक 40,545 किलोमीटर रूट का ही विद्युतीकरण कर पाए हैं। देश में लगभग 65,000 किलोमीटर रूट्स हैं। अगर औसतन देखा जाए तो यह बहुत कम है। इसका इलैक्ट्रिफिकेशन होना जरूरी है। डीजल से ट्रेन चलने से रेल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए पूरे रूट का इलैक्ट्रिफिकेशन करने के लिए रेल प्रशासन कई जगह पावर प्लांट लगा रहा है। जब रेल इलैक्ट्रिफिकेशन से चलती है तो पौल्युशन नहीं होता, लेकिन जहां प्लांट लगाया जाता है, उस स्थान और शहर में पौल्युशन होता है। वहां का पौल्युशन कम करने के लिए रेल प्रशासन क्या उपाय कर रहा

है? क्या पौल्युशन कम करने के लिए सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के बारे में रेल प्रशासन गंभीरता से सोच रहा है, इसकी जानकारी दीजिए?

श्री मनोज सिन्हा : महोदया, माननीय सदस्य ने सदन के सामने जो प्रश्न रखा है, पावर प्लांट लगाने से निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान होता है और उसके उपाय पावर जनरेशन कम्पनीज़ करती हैं। जहां तक रेलवे का प्रश्न है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस बार रेल मंत्री जी ने बजट में काफी विस्तार से उस पर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है। आने वाले समय में हम 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा रेलवे की ओर से बनाएंगे, ऐसी वचनबद्धता भी संसद में दोहराई है।

[अनुवाद]

डॉ. अनुपम हाजरा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। वर्ष 2010-11 में, पूर्व रेलवे के अंतर्गत पंडकेश्वर – सैंथिया – पाकुर और खाना – संतिया खंड के विद्युतिकरण की योजना प्रस्तावित की गई थी। कृपया जानकारी प्रदान करें कि इस परियोजना का कार्यान्वयन कब शुरू होगा और इसका पूरा होना कब अपेक्षित है?

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, हमारे इलैक्ट्रिफिकेशन के काम पूरे ज़ोन वाइज़ कहां-कहां चल रहे हैं, उनका विवरण उत्तर में दिया हुआ है। उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोजैक्ट के बारे में जानना चाहा है कि वह कब पूरा हो जाएगा, मैं देखकर थोड़ी देर में उन्हें इसका रिकार्ड बता दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन : माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, दक्षिणी रेलवे के कुल 5,079 किलोमीटर मार्ग में से 2,280 किलोमीटर का विद्युतिकरण अभी पूर्ण होना शेष है। इस सभा में ही विभिन्न रेल मंत्रियों ने वादा किया है कि वर्ष 2014 में शोरनूर-मंगलोर मार्ग का

विद्युतीकरण किया जाएगा। फिर, यह कहा गया कि इसे वर्ष 2015 तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। अब, यह कहा जाता है कि यह वर्ष 2016 तक पूरा हो जाएगा।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मार्ग का विद्युतीकरण कब तक किया जाएगा क्योंकि यह कोंकण रेलवे के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग बन गया है।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : महोदया, जैसे प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, वर्ष 2016 तक इस रूट को इलैक्ट्रिफाई कर दिया जाएगा।

(प्रश्न संख्या 83)

श्री छेदी पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदया, खंड ग, घ और ड. के आलोक में जैसा मंत्री जी का उत्तर है। बेरोजगारी भत्ता बीमित व्यक्ति के समुचित जीवनकाल के दौरान आधिकतम 12 माह है, 11.02. 2009 से छह माह पूर्व की अवधि के लिए देय है। यह लाभार्थी के पुनः नियोजित होने की तारीख से देय होना समाप्त हो जाएगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में बेरोजगार हुए व्यक्ति के किसी आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की सरकार के पास कोई योजना है, यदि हां, तो विवरण क्या है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैडम स्पीकर, मैंने अभी पहले उत्तर दिया था। उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया गया है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के बारें में, अगर रिट्रैचमेंट होता है या फैक्ट्री क्लोज होती है या किसी वर्कर का 40% या 50% का डिसएब्लमेंट होता है, उसे हम इम्पलायमेंट अलाऊएंस देते हैं। उसमें 50% वेजेज भी उसे दिया जाएगा और हमारे जितने भी आईपीज हैं उसको इसमें शामिल करेंगे। उसके सेवा काल में 12 महीने तक इसे वह कभी भी उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही सोशल सिक्यूरिटी के नाते [अनुवाद] हमने एक वर्ष के लिए परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रावधान किया है।

एक और महत्वपूर्ण विषय है 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिसके तहत किसी कारखाने के बंद होने या किसी कर्मचारी के छंटनी के मामले में, हर पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन मुआवजे के रूप में दिया जाना अनिवार्य है। ये कानून के तहत मिलने वाले लाभ हैं।

आगे, एस.डी.आई. योजना है। अगर कुछ और है, तो मैं सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान: माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रश्न के क्रम ड. के आलोक में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार के रोहतास जिला में बंद पड़े डालमियानगर उद्योग कुंज और पीपीसीएल तथा जपला में

बंद पड़ी सीमेंट कारखाना मैसर्स सोन वैली सीमेंट लिमिटेड में स्थित चूना-पत्थर खान बौलिया को पुनः चालू कराने की सरकार की कोई योजना है एवं उक्त कारखानों के बंद होने के चलते बेरोजगार हुए मजदूरों के आश्रितों के पुनर्वास हेतु क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इन औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से संपूर्ण जिला उद्योग विहीन एवं रोजगारविहीन हो गया है। सरकार इन समस्याओं के समाधान हेतु कौन सी कार्रवाई करने जा रही है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैडम स्पीकर, माननीय सदस्य ने बिहार के क्षेत्र के बारे में बताया। [हिन्दी] वर्ष 1980 में वह फैक्ट्री बंद हो गई। उसका प्रभाव वहां काफी ज्यादा हुआ है। उसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज की जो स्कीम है उस स्कीम के तहत उस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया है। लेकिन माननीय सदस्य जी ने जो बात पूछी है, उस बारे में और बिहार के बैकवर्ड एरियाज के लिए जो एसडीआईएस स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट इनिशियटिव स्कीम के तहत 565 डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग्स है। डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग्स में 68 सेक्टर रिट्रैचमेंट या क्लोजर भी हो गए, इसके तहत हम असेसिंग बॉडी से ट्रेनिंग देने का प्रोविजन करते हैं। इसकी ट्रेनिंग में प्रति घंटा, प्रति प्रशिक्षु हम 27.50 रुपये प्रदान करेंगे। वैसे ही बी प्रकार की भी ट्रेनिंग होती है। यह ट्रेनिंग 50 घंटे से लेकर एक हजार घंटे तक मिलती है। इसमें जो सैक्टर स्किल्स है, उसमें वर्कर्स का रीट्रेन्चमैंट या क्लोजर हो गया है, तो स्किल अपग्रेडेशन करके ऑफ स्किलिंग का भी प्रावधान है। इसके लिए हमने वर्ष 2014 और 2015 में आठ लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है।

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया था कि बेरोजगार कामगारों के लिए हम किस प्रकार से उपाय योजना बना रहे हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जो इकाइयां बंद हो रही हैं, उनमें पिछले तीन साल से छः हजार के आसपास कामगार बेरोजगार हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो उद्योग तैयार होंगे, उनमें क्या आप इन कामगारों को अपने मंत्रालय के माध्यम से रोजगार देंगे?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदया, हर राज्य में कहां-कहां क्लोजर है और कहां-कहां रीट्रेन्चमैंट हुई है, यह मैंने आपको प्रश्न के उत्तर में सूचित किया है। जो एसडीआईएस, यानी स्किल डेवलपमैंट इनीशियेटिव स्कीम

है, उसकी आज बहुत आवश्यकता है। इसके तहत 14 साल से ऊपर के मामूली विद्यार्थी से लेकर रीट्रेन्च हुए वर्कर्स के लिए स्किल डेवलपमैंट का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधान मंत्री जी जो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम बनाया है, उसके तहत बहुत बड़ी वर्क फोर्स ली जायेगी, जिसमें एस.सी/ एस.टी.,नार्थ ईस्ट के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। अगर आपके ध्यान में ऐसे कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनको भी हम एसडीआई स्कीम में ट्रेनिंग देकर रोजगार देने का प्रावधान करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजीव सातव: यह प्रश्न उन कर्मचारियों से संबंधित था जो कारखानों के बंद होने के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान करती हैं, जैसे कि उद्योग को विशेष क्षेत्र में स्थापित करने के लिए मुफ्त या कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराना। सामान्यतः हमने देखा है कि, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, महाराष्ट्र के चाकन में अधिकतम औद्योगिकीकरण हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों को बहुत कम कीमत पर भूमि दी जाती है — लगभग 2 लाख रुपये प्रति एकड़। जबकि उस क्षेत्र में वर्तमान में भूमि की बिक्री कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। अतः यदि वे भूमि बेचते हैं, तो उन्हें लगभग 300 से 400 गुना लाभ होता है।

अब समस्या यह है कि अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बेचने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे उस क्षेत्र में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर अंकुश लगाने व नियमन के लिए कोई विशेष कानून है, ताकि तकनीकी या कानूनी कारणों से बंद हो रही औद्योगिक इकाइयों को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने पर रोक लग सके, क्योंकि इससे आम मजदूर व कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। क्या इस नीति पर रोक लगाने के लिए कोई कानून है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। सबसे पहले, मैं यह बताना चाहूंगा कि 'श्रम' समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उद्योगों के लिए भूमि केवल राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरी बात, जो भी क्षेत्र प्रभावित होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास विशेष प्रावधान हैं। हम

जानते हैं कि हमें कौन से अधिनियमों को लागू करना चाहिए। कई अधिनियम उपलब्ध हैं। राज्य सरकारों के पास भी विभिन्न कानून और नियम हैं। यदि महाराष्ट्र में कोई विशेष समस्या है और माननीय सदस्य मुझे इसके बारे में अवगत कराते हैं, तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: महोदया, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दलित लोगों के लिए किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, कुछ हित समूहों के कारण आम लोग अभी भी पीड़ित हैं। देश में चाय बागान के श्रमिकों का यही हाल है। विशेष रूप से मैं असम के चाय बागान के श्रमिकों का उल्लेख करना चाहती हूं। असम में लगभग 1,100 चाय बागान हैं। चाय बागानों के अधिकारियों की मनमानी और चाय बागानों के मशीनीकरण के कारण, चाय बागानों में श्रमिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या माननीय मंत्री महोदय चाय बागानों के अस्थायी और नियमित श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रभावी एवं संभावित उपाय करने की योजना बना रहे हैं?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि कौशल विकास से संबंधित पहलों में अनेक प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं। विशेष रूप से असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि चाय बागानों, उनसे संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों एवं अन्य विषयों का कार्य क्षेत्र वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। तथापि, यदि इस विषय से संबंधित कोई विधिक प्रावधान या नियामक व्यवस्था है, तो मैं उसका परीक्षण करने के लिए तैयार हूं।

(प्रश्न संख्या 84)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश भर में राष्ट्रीय संपदा गैस और कच्चे तेल की चोरी के मामले में, चाहे मथुरा, आगरा पाइपलाइन हो, पेट्रोलियम एंड मिनरल्य पाईप लाइन्स (एक्वीजिशन ऑफ राइट ऑफ यूज़र इन लैंड) एक्ट 1962 के बावजूद पिछले 10 वर्षों में कई चोरियां हुई हैं। क्या सरकार कच्चे तेल और गैस पाइपलाइन की चोरी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कानून में कोई ठोस प्रावधान करने जा रही है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने क्रूड ऑयल के बारे में मूल प्रश्न पूछा है। यह सही प्रश्न है। गैस बहुत चोरी नहीं हो पाती है क्योंकि गैस को कोई आगे यूटिलाइज नहीं कर सकता है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में 1962 एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया था और इसके उपरांत इस कानून को और सख्त किया गया है। इस कानून में जो धाराएं थी उनमें परिवर्तन करके पैनेल्टी और फाइन लागू किया गया है। वर्ष 2012 के बाद दस साल की सज़ा का भी प्रोवीजन किया गया है। अगर मामला गंभीर होगा और देश को हानि होगी तो इसमें एक कदम और आगे जाकर मृत्यु दंड का भी प्रोवीजन रखा गया है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: मैं माननीय मंत्री महोदय के किए गए प्रयासों से संतुष्ट हूं। गैस और कच्चे तेल की चोरी में कई मुकदमे दर्ज हुए लेकिन सिर्फ मोहरे ही फंसे हैं जबकि इसमें कई माफिया गिरोह हैं। इसकी जांच स्थानीय पुलिस करती है, क्या सरकार इसके अलावा एसआईटी की जांच द्वारा माफियाओं पर शिकंजा कसेगी?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता वाज़िब है। मैंने आंकड़ा दिया है कि पिछले तीन साल में देश में कितनी घटनाएं हुई हैं। लॉ एंड आर्डर इश्यू संबंधित राज्यों से जुड़ा रहता है। सिक्योरिटी विंग इस बारे में संबंधित राज्यों के साथ चर्चा कर रही है। मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम राज्यों से और स्पेसिफिक बात करेंगे। हमारे विभाग की ओर से राज्यों से औपचारिक बात की गई है।

इन दिनों में छः-सात राज्यों के साथ स्पेसिफिक बात हो पाई है और ज्वाइंट मैकेनिज्म सिस्टम खड़ा किया गया है। लॉ एंड आर्डर राज्यों का विषय है । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्यों के साथ मिलकर अंतिम सरगना तक पहुंचने की कार्यवाही की जाएगी और देश के हितों की सुरक्षा की जाएगी।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (नाग): महोदया, कच्चे तेल और गैस की चोरी की खबरें प्रेस मीडिया में अक्सर आती रहती हैं। ऐसा लगता है कि मंत्रालय इस संकट को रोकने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हानि हो रही है।

आपके माध्यम से, महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि चोरी से निपटने के लिए पिछले नौ महीनों में क्या-क्या नवीन उपाय किए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैं इस प्रश्न का आदर करता हूं। मैं दो विषयों के बारे में ही कहूँगा, नौ महीनों में हम लोगों के आने के बाद राज्यों के साथ जो ज्वाइंट मैकेनिज्म सिस्टम है, उस पर हमने पहले ज़ोर दिया है और इन दिनों बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजीटल टेक्नोलॉजी आई है। हमारे विभाग में चार प्रकार की पाइप-लाइनें चलती हैं, क्रूड पाइप-लाइन है, प्रोडक्ट की है, गैस की है और एल.पी.जी. की है। इन चारों पाइप-लाइनों के ऊपर निगरानी, सुरक्षा और बढ़े, उसके लिए वॉल की बेस्ट प्रैक्टिस सुरक्षा के लिए लागू की जाए, इन चार सेक्टरों से संबंधित कंपनियाँ अपना काम कर रही हैं, हम जल्द ही उसमें एक सेफ्टी स्टैच्युटरी अथॉरिटी और वॉल स्टैंडर्ड के बेस्ट प्रैक्टिस को हमने लागू करने की कोशिश की है।

कर्नल सोनाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला है, जहाँ पर देश में निकाले जाने वाले ऑयल का लगभग 25-30 प्रतिशत ऑयल निकाला जाता है, देखा गया है कि वहां जो पाइप-लाइन है, कांडला जाती है, उसके सिवाय अलग-अलग ऑयल वैल हैं, तो

वहां से ट्रकों से ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक सेन्ट्रल प्वाइंट पर लाया जाता है। देखा गया है कि वहां पर काफी चोरियाँ हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ सख्त कदम उठाये हैं, फिर भी उसे पूरे तरीके से नहीं रोका गया है। इसके बारे में मैंने वहां के आधिकारियों से बताया, तो वे भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि इस मुद्दे को मैं उनके हेडक्वार्टर में उठाना चाहता था। मैंने सी.ओ. से टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। मेरा सवाल यह है कि यह नैशनल प्रोपर्टी है और इसमें फॉरेन एक्सचेंज की भी बहुत बचत होती है। हालांकि, मंत्री जी ने मेरे सवाल से संबंधित काफी बातें बताई हैं, उन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया है, मैं मंत्री जी से कहना चाहता कि हम कंपनियों के नाम या स्टेट्स के नाम नहीं छोड़ सकते हैं, मेरा यह सुझाव है कि मंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक टास्क-फोर्स बनाएं और उसमें भारत सरकार की तरफ से और जो भी राज्य हैं, उनकी एक टीम बनाकर इसकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि इसमें जिस प्रकार से चोरियाँ हो रही हैं, उन्हें रोका जा सके।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को गंभीरता से लेता हूं। इस विषय में उनके साथ मेरी कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने इसे मेरे संज्ञान में पहले भी लाया था। जैसा कि मैंने सदन को आश्वस्त किया कि एक ज्वाइंट मैकेनिज्य सिस्टम रहता है, राज्य और केन्द्र दोनों मिलकर ही इस विषय पर चिन्ता करते हैं। उन्होंने स्पेशिफिकली बाड़मेर के बारे में पूछा, मैं पुनः उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्द ही उनके संज्ञान में लाते हुए, उनको इंवोल्व करते हुए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और कंपनी, माननीय सदस्य की जानकारी में हम जो ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाएंगे, वे सारे उनके साथ उत्तरदायी भी रहेंगे।

(प्रश्न संख्या 85)

श्री अजय मिश्रा टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, 26 फरवरी को दूरगामी परिणाम देने वाले और भविष्य की चिन्ता करते हुए, रेलवे की स्थिति को सुधारने का एक गंभीर और ईमानदार प्रस्ताव माननीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट में किया है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूं और उन्हें निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है और जो मेरी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत पुराने समय से विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि का आधिग्रहण किया जाता रहा है, जिसका बड़ा भाग अनुपयुक्त पड़ा है, उस पर तथा उपयोग में आ रहे बड़े भाग पर भी निरंतर आतिक्रमण हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने ऐसे आतिक्रमणों का ब्यौरा उत्तर में नहीं दिया है। क्या एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर रेलवे की भूमि को आतिक्रमण से मुक्त कराकर उक्त भूमि का उपयोग पूंजीगत सम्पत्ति बनाने के लिए किया जाएगा?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष जी, रेलवे के पास कुल 4.6 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें 930 हेक्टेयर पर अनधिकृत कब्जा है। कई स्थानों पर रेलवे ने प्रयास किया है, लेकिन राज्य सरकारों का पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण हम वह अनधिकृत आतिक्रमण खाली नहीं करा पाए हैं। निश्चित रूप से संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जहां भारतीय रेल के पास पर्याप्त जगह है, वहां हम नए-नए उपक्रम स्थापित करते हैं और भविष्य में भी इस पर विचार करेंगे।

श्री अजय मिश्रा टेनी : अध्यक्ष जी, रेलवे के अनेकों ऐसे मार्ग हैं, जो जीर्ण क्षीर्ण स्थिति में हैं और रेलवे के उपयोग में नहीं हैं। वहां की स्थानीय जनता उनका उपयोग करती है, लेकिन मरम्मत के अभाव में जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उनकी मरम्मत रेलवे द्वारा नहीं कराई जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी विचार

करेंगे कि ऐसे मार्गों को संबंधित राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाए, जिससे उक्त मार्गों का उपयोग जनता के लिए हो सके?

श्री मनोज सिन्हा : वर्तमान कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम रेलवे की भूमि किसी को हस्तांतरित कर दें। राज्य सरकार अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव देगी या तो उस भूमि का मूल्य दे या उसके बदले भूमि उपलब्ध कराए तब रेलवे विचार कर सकती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी: क्या ऐसे मार्गों की मरम्मत कराने का भी कोई प्रावधान है?

श्री मनोज सिन्हा : उनकी मरम्मत कराने का काम एक निरंतर प्रक्रिया है। मैंने पहले ही बताया कि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हम काम किया करते हैं और उसकी रेग्यूलर मानिटरिंग भी करते हैं। हमारा सैक्शन इंजीनियर हर एक वर्ष में इस तरह के कामों का निरीक्षण करता है तथा रिपोर्ट दर्ज करता है। इसके आधार पर हम भविष्य में काम किया करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर रोड की बात करेंगे, तो उसके बारे में हम चिंता कर सकते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने उस विवरण को देखा जिसे मंत्री महोदय ने सभा पटल पर प्रस्तुत किया है। पहले ही उत्तर में वह समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का उल्लेख करते हैं, जो इस पूरे दृष्टिकोण में नीतिगत स्थायित्व की कमी और तदर्थवाद को उजागर करता है। इस जटिल मुद्दे से निपटने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण और संस्थागत व्यवस्था की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुझे कुछ समस्याएं आई हैं, जिन पर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक प्रमुख समस्या रेलवे भूमि के स्वामित्व से संबंधित रिकॉर्ड रखने की अत्यंत खराब व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, तिरूवनन्तपुरम स्थित ग्रामीण परसाला स्टेशन का मामला लिया जा सकता है, जहां रेलवे द्वारा दी गई भूमि का अनुमान 25 एकड़ से लेकर 75 एकड़ तक

अलग-अलग बताया गया है। एक संसद सदस्य के रूप में छह वर्षों में मुझे रेलवे से तीन बार भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें भूमि का यह व्यापक अंतर दर्शाया गया है।

दूसरी समस्या यह है कि रेलवे के पास कई ऐसी भूमि, जिसमें सड़क क्षेत्र भी शामिल हैं, उपलब्ध है जिसका वह वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहा है। इसके बावजूद, रेलवे इस भूमि के संबंध में लचीला रुख अपनाने या समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होने को तैयार नहीं है। इसका सामान्य तर्क यह दिया जाता है कि भविष्य में इस भूमि की आवश्यकता हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या रेलवे थोड़ा अधिक लचीलापन दिखा सकता है? माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि क्या रेलवे थोड़ा अधिक लचीलापन दिखा सकता है और रेलवे नियमावली में, या किसी अधिक समेकित संस्थागत व्यवस्था के तहत, जन प्रतिनिधियों के लिए — जैसा कि उनके उत्तर के भाग (घ) में उल्लेख किया गया है या हमारे जैसे लोगों के लिए, जो जनता की आवाज उठाते हैं, एक स्पष्ट और सुसंगत प्रक्रिया को शामिल करने पर विचार करेगा? जब किसी रेलवे मार्ग के निकट कोई समुदाय निवास करता है और वे आवागमन की सुविधा की मांग करते हैं, तो रेलवे को चाहिए कि वह मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए थोड़ी लचीलापन दिखाए। यदि स्थानीय लोग रास्ता चौड़ा करने या पहुंच की सुविधा देने का अनुरोध करते हैं, तो केवल यह कहकर मना कर देना कि "रेलवे नियमावली में केवल 'एक्स' मीटर की अनुमति है" या यह भूमि भविष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। इस समय, मानवीय आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस मामले में अब तक अपनाए गए कठोर और अपर्याप्त लचीलेपन वाले दृष्टिकोण को पुनः समीक्षित करते हुए अधिक समन्वित और संवेदनशील नीति अपनाई जाए। जैसा कि आप देख सकती हैं, महोदया, यह हम में से कई लोगों के लिए एक आम समस्या बन चुकी है।

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य ने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से वह सुझाव अच्छा है। मैंने वर्तमान कानून का जिक्र किया है। अगर सदन इस विषय में कोई फैसला लेता है, तो भविष्य में विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी जो कानून है, उसमें भारतीय रेल किसी भी उद्देश्य के लिए जमीन नहीं दे सकती है। रेलवे जमीन के बदले जमीन लेगी या राज्य सरकार को भी अगर रेलवे अपनी जमीन देती है तो उसके बदले पैसा लेगी। अभी तक यही प्रावधान है। अगर सदन इस बारे में कोई विचार करेगा और जनहित में कोई फैसला लेने की जरूरत होगी, तो उस बारे में जरूर विचार किया जा सकता है।

एक कैजुअल उत्तर दिया है, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि प्रति वर्ष हमारा सैक्शन इंजीनियर ऐसी सम्पत्तियों का विवरण रिकार्ड करता है और उसकी मैपिंग कराने का भी काम जारी कर दिया गया है और वर्ष 2016 तक उसे पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे के पास जितने भी भूखंड और सम्पत्तियां हैं, उनका डिजिटल रिकार्ड रेलवे के पास उपलब्ध रहेगा।

डॉ. शशि थरूर : इसके लिए आपकी तरफ से कोई प्रपोजल होना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : आपके सुझाव पर हम विचार करेंगे।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाखों परिवार रेलवे की जमीन पर या रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं और वे सभी भारतवासी हैं, उनके पास जमीन नहीं है, क्या उन्हें विस्थापित करने से पहले केन्द्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बात करके, उन्हें बसने-बसाने के लिए इंतजाम करने का विचार रखती है? कल ही मुझे सूचना मिली कि भागलपुर-सुल्तानगंज के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है, जबकि उनके पास बसने की जगह नहीं है, तो केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उनके बसने-बसाने के लिए कोई ठोस उपाय करना चाहिए ताकि उनको बसने की जगह मिले।

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से माननीय सदस्य के प्रश्न का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस लाइन की बात वह कह रहे हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य ने कई बार मुझे कहा है कि दोहरीकरण का काम

जल्दी होना चाहिए। रेलवे की आधिकांश भूमि रेलवे लाइन के अगल-बगल ही है। दोहरीकरण और विस्थापन, लगता है कि आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी उन लोगों के साथ सहानुभूति है, लेकिन अगर रेलवे की सारी भूमि पर लोगों को स्थापित करने में कब्जा हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि भविष्य में रेलवे का विस्तार नहीं हो सकता है और न ही देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय रेल स्वरूप ले सकती है।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस बार हिमाचल प्रदेश की तरफ भी रेलवे विभाग ने देखा है। मैं कई वर्षों से अपनी शिमला कांस्टीट्वेंसी के लिए कुछ रेल्स के लिए बजट आबंटन की डिमाण्ड कर रहा था। इस बार बहुत अच्छा हुआ कि चण्डीगढ़ से बद्दी के लिए 95 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया है। हालांकि वह बहुत कम है, फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। आज तक हमारे जितने भी रेल मंत्री आए, उन्होंने कभी भी हिमाचल प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहां अभी तक 50 किलोमीटर से ज्यादा रेललाइन नहीं बनी है।

साथ ही, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कालका से शिमला रेललाइन, जिसे बने हुए लगभग 110 साल से ज्यादा हो गए हैं, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, उस पर बहुत पुराने डीजल के इंजन काम कर रहे हैं। वे इंजन आधे रास्ते में हांफना शुरू कर देते हैं, उस समय ट्रेन में पर्यटक होते हैं, बच्चे होते हैं, परेशानी होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके जो पुराने डीजल इंजन उसमें कार्यरत हैं, क्या उनको बदलेंगे? साथ ही साथ, क्या उस लाइन को इलेक्ट्रिफाई करने के बारे में कोई प्रावधान है?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन उनकी भावना का हम आदर करते हैं। बजट में रेल मंत्री जी ने कहा है कि विद्युतीकरण हम तीव्र गति से करने वाले हैं और पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष 2169 करोड़ रुपये हमने इलेक्ट्रिफकेशन के लिए एलोकेट किये हैं। मैं समझता हूं कि पिछले अनेक वर्षों से 75-80 प्रतिशत वृद्धि हमने विद्युतीकरण के मद में की है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 86

श्री सी. महेन्द्रन -उपस्थित नहीं।

श्री बी.विनोद कुमार

(प्रश्न संख्या 86)

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न बायो-डीजल की आपूर्ति के संबंध में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब तक तेल के सभी सार्वजनिक उपक्रमों ने विभिन्न राज्यों से कितनी मात्रा में तेल की खरीद की है।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान :अध्यक्ष महोदया, नेशनल रिनुएबल पालिसी के माध्यम से बायो डीजल को ऑल माकेरटिंग कम्पनीज द्वारा 42 रुपए प्रति लिटर का भाव निर्दिष्ट किया गया है। इसके लिए हम लोगों की ओर से 20 डिपो खोलने गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो देश के बायो डीजल मैन्यूफैक्चरर्स हैं, उन्हें उसी रेट पर देने पर कोई लाभ नहीं होने के कारण अभी तक ऑयल माकेरटिंग कम्पनीज के पास कोई सप्लाई नहीं आ रही है।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार: महोदया, हाल ही में यह खबर आई है कि इस प्लांटेशन में कार्यरत किसान समुदाय को पर्याप्त और न्यायसंगत मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमें सूचित करें कि क्या तेल कंपनियाँ किसानों के लिए कीमतों में वृद्धि करने की योजना बना रही हैं?

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 16 जनवरी को सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला केबिनेट में लिया है। हमने इसे फ्री कर दिया है और कंट्रोल आर्डर से उसे बाहर कर दिया है। हमारे पास जो तथ्य हैं, उसके अनुसार जैसे एडिबल ऑयल के लिए पाम ऑयल का आयात होता है, तो पाम ऑयल के ही एक बायो प्रोडक्ट से बायो डीजल बनता है। जो 16 जनवरी को फैसला सरकार ने लिया है, उसके उपरांत मार्केट में उसका रेट फ्री हो जाएगा, कोई कंट्रोल रेट नहीं होगा। इसलिए जो मार्केट में रेट तय होगा, उस दाम पर कोई भी उसे खरीद सकता है। ऑयल माकेरटिंग कम्पनीज भी उसे खरीद सकें, उसके लिए हम मेकेनिज्म डवलप कर रहे हैं। रेलवे जैसे बल्क कंज्यूमर भी उसे खरीद सकते हैं और उसके लिए भी मेकेनिज्म डवलप हो रहा है।

(प्रश्न संख्या 87)

[अनुवाद]

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट से संबंधित विषय है। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमें प्रदान किया गया कार्बन उत्सर्जन कोटा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास हमारे कम किए गए कार्बन उत्सर्जन कोटा को देखते हुए यूनेस्को सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लाभ प्राप्त करने की कोई योजना है।

श्री अशोक गजपति राजू: महोदया, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह सभी का साझा प्रयास है कि प्रदूषण को समाप्त किया जाए, और हम इसी दिशा में कार्यरत हैं।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: महोदया, उत्तर से ही यह स्पष्ट है कि हमारे पास अपने कार्बन उपयोग को कम करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान और विकास तंत्र नहीं है, विशेष रूप से हमारे विमानन क्षेत्र में। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को विमानन क्षेत्र में हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास संस्थानों या अन्य किसी प्रभावी उपाय को अपनाने की कोई विशेष योजना बनाई है या नहीं?

श्री अशोक गजपति राजू: वर्तमान में आई.सी.ए.ओ. विश्व स्तर पर तकनीकी प्रगति, संचालन में सुधार, और अवसंरचना विकास की निगरानी करता है, जो प्रदूषण में कमी लाने में सहायक होते हैं। हम इस विषय के प्रति सजग हैं और जितना व्यावहारिक हो सके, प्रदूषण को समाप्त या कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(प्रश्न संख्या 88)

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी : क्या हमारा देश तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और अनुसंधान के मामले में विकसित और विकासशील देशों की तुलना में पिछड़ रहा है? यदि कोई इस तरह की स्थिति है, तो उसमें सुधार करने के लिए कितना समय लगेगा और उसे कैसे पूरा किया जाएगा? जैसे इन्होंने लिखित जवाब में काफी कुछ बताया है। लेकिन अभी जो स्थिति है, उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे सुधार हो रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि कैसे और कितने समय में ये सुधार कर सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक बार फिर सभी को बताइए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जैसा कि आपका आदेश है, मैं पुनः सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि देश में 26 सेडिमेंटरी ओशियन है। उसका एक मोटा-मोटी अनुमान है कि 3.14 मिलियन स्कवेयर किलोमीटर है। उसकी लगभग 50 प्रतिशत खोज अभी बाकी है। अभी सरकार ने कुछ पॉलिसी सुधार करके, इसको जल्दी कैसे सामने लाया जा सके, इसकी डिसक्वरी, उसका डाटा बन पाए, इसके लिए हमने वर्ष 2016 तक नेशनल डाटा रिपोज़टरी की योजना बनायी है, जिसमें विश्व स्तर की कम्पनियां जो ई. एंड पी. सेक्टर में काम करती हैं, देश की कम्पनियां जो इस सेक्टर में काम करती हैं, ये सभी आने वाले दो साल में देश भर में हमारी यह सम्पत्ति कितनी है, इसकी एक जानकारी हम इकट्ठा करने के काम पर लगे हैं। इस प्रकार की तुलना शायद उचित नहीं होगी कि विश्व स्तर में कितनी सम्पत्ति है और हम उस तरजीह पर हैं या नहीं? यह जो जियोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है, यह आजादी के बाद पहली बार किया गया है, लेकिन अभी तक हम 50 प्रतिशत तक डाटा को इकट्ठा कर पाए हैं। बाकी 50 प्रतिशत डाटा

के लिए नयी टेक्नोलॉजी 2डी सर्वे के लिए हमने दो ई.एंड पी. कम्पनियों ओएनजीसी और ऑयल इण्डिया को काम पर लगाया है। यह काम शीघ्रता से चल रहा है।

श्रीमती रमा देवी: अध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह कार्य तो पहले से भी होता रहा है और इनके डाटा के अनुसार जो कार्य इन्होंने किया है, उसमें पिछले डाटा के अनुसार कितनी प्रगति हुई है? इसके अलावा यह किस तरह से इसकी प्रगति में तेजी ला सकते हैं? सस्ती दर पर ऊर्जा देने की जहां तक बात है तो यह किस प्रकार से लोगों को दे सकते हैं? इस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जनता बहुत विश्वास और चाह में है कि उनको किस प्रकार से यह प्राप्त हो?

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी काम करो।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, हम आपके आदेश का और माननीय सदस्या के सुझाव का बिलकुल पालन करेंगे और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया - उपस्थित नहीं।

श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, हमारा बरसों से यह लक्ष्य रहा है कि प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादन में स्व-निर्भर हों, लेकिन इतनी घोषणाओं के बावजूद भी हम चार दशक से यह देख रहे हैं कि हम दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। जबकि मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि जो डाटा उपलब्ध है, उसके शोध का कार्य भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं इस सवाल के साथ यह जोड़ना चाहता हूं कि हमारे गंगा बेसिन में तेल की खोज के बारे में बहुत से वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं। क्या सरकार की तरफ से नये सिरे से यह पहल की जाएगी कि हमारे अपने देश में तेल को बढ़ाने के लिए गंगा बेसिन में नये सिरे से खोज शुरू किया जाए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्षा जी, केवल गंगा बेसिन ही नहीं, आपितु पूरे देश में, जैसा कि मैंने बड़े नम्रता से बताया कि केवल आधे ही इलाके में इसकी शोध हो पायी है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि ओएनजीसी को गंगा बेसिन जैसे बाकी इलाकों में जहां कुछ अनुमान है, पूरे हिमालय की

तराई में इस प्रकार की सम्भावना है। इसी प्रकार से कच्छ में है, यदि पाकिस्तान के इलाके में क्रूड ऑयल मिल सकता है तो हमारे कच्छ में भी मिल सकता है। अंडमान के आइसोलेटिड आईलैण्ड में भी इस प्रकार की सम्भावना है। नॉर्थ-ईस्ट में बहुत सम्भावना है। यहां के लिए ऑयल इण्डिया को अनुसंधान को पूरा करने का काम दिया गया है। बाकी देश भर में ओएनजीसी को अनुसंधान को पूरा करने का काम दिया गया है। पिछले पचास साल में इस सबके बावजूद भी हमारी अर्थ नीति इम्पोर्ट सैन्ट्रीक रही है। हम सब मिल कर इस काम में लगे हुए हैं। अब नयी टेक्नोलॉजी आ रही है, सैट और सीबीएम टेक्नोलॉजी है। इन सभी के द्वारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े यही हम सभी की कोशिश है।

माननीय अध्यक्ष : सलीम जी, पिछले नौ महीने में हमारे मंत्री जी ने पूरे देश की जानकारी की है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहतगढ़ और रहली में किसानों ने ट्यूबवैल के लिए खुदाई करवायी, जिसमें बड़ी मात्रा में गैस निकली। जियोलॉजिकल विभाग के वैज्ञानिकों ने भी उस संबध में काफी रिसर्च की और वहां व्यापक मात्रा में गैस निकलने की सम्भावना बतलायी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सागर जिले के रहतगढ़ और रहली में, निकलने वाली गैस के संबंध में वहां पर शोध करके क्या प्लांट लगाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, प्लांट लगाना तो आगे की बात है लेकिन मैं इस विषय को संज्ञान में लेता हूं। इस समय विशेष रूप से सागर जिले के बारे में मेरे पास तथ्य नहीं हैं। जो सूचना हमें मिली, उसके ऊपर निश्चित ही मैं शीघ्र ही ओएनजीसी या ऑयल इंडिया किसी को कहकर वहां जाकर अनुसंधान कहां तक पहुंचा है और वहां मोनीटरिंग की जल्दी क्या संभावना हो सकती है, सरकार इस बारे में चिंता करेगी।

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 89 से 100,
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं बोनस संदाय अधिनियम 1965 की धारा 38 की उप-धारा 3 के अधीन बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2014 जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 784(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 896(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1845/16/15]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं ब्लॉक आरजे-ऑन/6 के रूप में पहचान किए गए संविदा क्षेत्र के संबंध में भारत सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा फिनीक्स ओवरसीज लिमिटेड के बीच हुई उत्पादन साझा संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1846/16/15]

———————

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं प्रस्ताव करता हूंः

> "कि यह सभा 27 फरवरी, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 27 फरवरी, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आधिनियम, 2014 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने नियम 72 के अधीन एक नोटिस दिया था।

माननीय मंत्री जी इस विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। मूल अधिनियम जो वर्ष 2014 में पारित किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पारित किया गया था। राज्य के मत को जानने के लिए इस अधिनियम में कोई भी संशोधन संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजा जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को उन दोनों में से किसी भी राज्य को नहीं भेजा है, जो इस अधिनियम के तहत प्रभावित हो रहे थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे दोनों राज्य

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2, दिनांक 02.03.2015 में प्रकाशित

सरकारों - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस संबंध में माननीय मंत्री जी का यह वक्तव्य था। हमें विश्वास है कि सरकार दोनों राज्य सरकारों के साथ चर्चा करेगी और एक व्यापक कानून लाएगी। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका सामना दोनों राज्यों को करना पड़ रहा है। यह 50 से 58 तक सीटों को बढ़ाने का मुद्दा नहीं है। मुझे चिंता नहीं है और हमारी राज्य सरकार को चिंता नहीं है कि सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। हमारी चिंता यह है कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि पिछली सरकार कई तथ्यों पर विचार किए बिना यह कानून लाई है।

महोदया, सात मंडलों को तेलंगाना राज्य से हटा दिया गया और उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य को सौंप दिया गया लेकिन आज भी हमारा राज्य उन सात मंडलों, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, को बिजली की आपूर्ति कर रहा है।

महोदया, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना है। मैं माननीय मंत्री जी से इस विधेयक को वापस लेने और एक व्यापक कानून लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं ताकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य भविष्य में बिना किसी समस्या के रह सकें।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैंने प्रक्रिया नियमों के नियम 72(1) के तहत विधेयक को पुरःस्थापन करने का विरोध किया है क्योंकि यह एक खंडित और अधूरा कानून है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है, हमने इस सभा में बहुत चर्चा के बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया। आप भी वहां उपस्थित थे; मैं भी वहां उपस्थित था। कई अनसुलझे मुद्दे हैं। नई सरकार के आने के बाद यह आशा की जा रही थी कि वे इन सभी समस्याओं को एक साथ लेकर एक व्यापक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत करेंगे। यह बहुत ही विवादास्पद विधेयक रहा है। इसके बजाय, वे कुछ लोगों को समायोजित करने के लिए एक छोटा सा कानून ला रहे हैं, जिससे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 50 से बढ़कर 58 हो जाएगी। इस मामले में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि सरकार ने इसे इतनी

जल्दबाजी में प्रस्तुत क्यों किया है। मैं इस आधार पर विधेयक के पुनर्विचार का विरोध करता हूं क्योंकि यह एक आंशिक समाधान मात्र है और एक समग्र एवं सुविचारित कानून नहीं है।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, प्रो. सौगत राय और माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी ने इस बिल के इंट्रोडक्शन को लेकर जो सवाल खड़े किये हैं, उस संबंध में मुझे यह कहना है कि मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि यह बिल एक कंप्रिहेन्सिव बिल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डिवीजन को लेकर कई ऐसे इश्यूज हैं, जिन्हें रिजोल्व किये जाने की आवश्यकता है। एक पहल हम लोगों ने इस बिल के माध्यम से की है। अन्य भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनसे संबंधित बिल आगे लायेंगे और यह प्रोसैस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जो डिवीजन हुआ और इसे लेकर जो भी विषमताएं और जो भी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं, उन्हें हम लोग रिजोल्व करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपने नोटिस नहीं दिया है, ऐसा ऐन समय पर नहीं होता, खड़गे जी, आप नियम जानते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं इसी के बारे में बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, इन्होंने नोटिस दिया है, मैं उन्हें ही बुला रही हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए मैं आपकी परमीशन मांग रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: हो गया, वही बात यहां है। वह पहले से मालूम होना चाहिए।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

———————

अपराह्न 12.08 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) राज्य में शांतिपूर्ण निर्वाचन होने देने के लिये जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान के आतंकी समूहों को धन्यवाद दिए जाने संबंधी कथित वक्तव्य के बारे में

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो भारत के लोगों के बीच चिंता का कारण बना है। शपथ ग्रहण समारोह में माननीय प्रधान मंत्री और भा.जा.पा. के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने जो कहा मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ:

"मैं यह ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं और मैंने यह भारत के प्रधान मंत्री से भी कहा है कि हमें राज्य में चुनावों के सुचारू संचालन का श्रेय हुर्रियत और उग्रवादी संगठन को देना चाहिए।"

क्या शर्मनाक वक्तव्य है! मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि इस विषय पर उनकी भारत के माननीय प्रधानमंत्री से भी चर्चा हुई थी। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने का श्रेय हुर्रियत और उग्रवादी संगठनों को दिया जाना चाहिए। तथापि, यदि हुर्रियत अथवा किसी उग्रवादी संगठन ने, ईश्वर न करे, किसी प्रकार की विघटनकारी गतिविधि की होती, तो इतनी बड़ी संख्या में नागरिक मतदान हेतु बाहर न आते। अगर वे चाहते, तो वे समस्या पैदा कर सकते थे। यही उन्होंने कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के उप मुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह जी भी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

हम जम्मू-कश्मीर चुनाव की वास्तविकता को जानते हैं। माननीय मुख्य मंत्री का यह कथन कि पाकिस्तान और आतंकवादी समूहों ने वातावरण को अनुकूल बनाया, पूरी तरह से असत्य और आधारहीन है। हम छह

सरपंचों की नृशंस हत्या *को कैसे भूल सकते हैं,* हम ऊरी में हुए सैन्य शिविर में आत्मघाती हमले को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें सेना के अधिकारियों ने अपनी जान गंवा दी थी? मेरे पास आंकड़े हैं। विधान सभा चुनाव के तीसरे चरण से ठीक चार दिन पहले 5 दिसंबर को एक बड़ा हमला हुआ और कश्मीर घाटी में सिलसिलेवार हमलों में 11 सुरक्षा बलों के जवानों, दो नागरिकों और आठ आतंकवादियों सहित कम से कम 21 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? वास्तव में, इसका श्रेय जम्मू-कश्मीर की जनता, सीमावर्ती क्षेत्रों में दिन-रात कड़ी निगरानी रखने वाले हमारे सुरक्षा बलों तथा हमारे देश भारत की इस सच्ची लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संचालित करने वाले चुनाव आयोग को जाता है। इन्हें हमें श्रेय देना चाहिए, न कि पाकिस्तान को, महोदया।

इससे भी गंभीर बात यह है महोदया, जब मुख्य मंत्री ने यह उल्लेख किया था कि उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री से ये बातें कही थीं, इस पर माननीय प्रधान मंत्री की चुप्पी हमें हैरान कर रही है। … (*व्यवधान*) महोदया, हम माननीय प्रधान मंत्री से स्पष्टीकरण की उम्मीद करते हैं कि क्या वे मुख्यमंत्री के बयान से सहमत हैं? महोदया, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी एक वक्तव्य दें। मैं सम्माननीय सभा से आग्रह करता हूं कि कृपया देश की अखंडता के लिए इस प्रकार के बयानों की निंदा करें। सभा को इसकी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह आवश्यक नहीं है।

...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के. बीजू को श्री वेणुगोपाल द्वार उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मब सईद द्वारा ओथ लेने के बाद जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, उसके संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल

खड़े किए हैं। मैं दो टूक शब्दों में और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारा दल, उनके इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से डिसोसिएट करता है, हम स्वयं को उस स्टेटमेंट से अलग करते हैं। यह मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी की बात पूरी तो होने दीजिए। मुझे इस बात का खेद है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कुछ बात उठाई है तो उसका उत्तर पूरा सुनना पड़ेगा। [अनुवाद] यह उचित नहीं है। पहले उन्हें पूरा करने दें। यह क्या है? यह तरीका सही नहीं है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, को अपनी बात पूरी तो करने दीजिए। नहीं, यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, पहले उनकी बात पूरी सुनिए, फिर बोलिएगा।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, उन्होंने तो यह कहा है कि ये बात मैंने प्राईम मिनिस्टर को भी कही है कि पाकिस्तान, हुर्रियत आदि सभी लोगों ने कोऑपरेट किया है, इसी की वजह से ये इलैक्शन सक्सेसफुल हुए हैं और इसका क्रेडिट मैं उन सबको देता हूं। उन्होंने कहा है कि ऐसा मैंने प्राईम मिनिस्टर को भी कहा है। जब उनका कहना है, उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, यह तो वही स्पष्टता से बता सकते हैं। हम आपकी स्टेटमेंट के विरोध में नहीं हैं। हम आपका स्टेटमेंट यहां चाहते हैं, लेकिन वही स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात उठाइएगा। प्लीज बैठिए, मैं आपकी बात समझ गई हूं।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी से हमारी बात हुई है। प्रधान मंत्री जी से बात होने के बाद ही मैं इस सदन में स्टेटमेंट दे रहा हूं। इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारी स्टेटमेंट को ले कर किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी अथवा कोई कंफ्यूज़न किसी के मन में नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ, वह सोच समझ कर कह रहा हूं और अपने प्रधान मंत्री जी की सहमति के आधार पर कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया, उन्हें पूरा करने दें।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, जम्मू और कश्मीर में विधान सभा का जो चुनाव हुआ है, वह बहुत ही कन्ड्युसिव एटमॉस्फियर में हुआ है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में हुआ है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूं। जो यह कन्ड्युसिव एटमॉस्फियर, शांतिपूर्ण माहौल रहा है, चाहे वह जम्मू में रहा हो, चाहे वह कश्मीर में रहा हो, यह जो माहौल बना है, उसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो मैं इलेक्शन कमीशन को देना चाहता हूं। उसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हँ तो अपनी सेना के जवानों को देना चाहता हूँ, उसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपनी पैरा-मिलिट्री फोर्सेज को देना चाहता हूँ, उसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो कश्मीर और जम्मू की जनता को देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह चिल्लाना रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ... *

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपना स्टेटमेंट पूरा कीजिए।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह सही तरीका नहीं है। माननीय मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ... *

माननीय अध्यक्ष: यह सही तरीका नहीं है। [हिन्दी] मंत्री जी द्वारा अपनी बात पूरी किए बिना आपका बोलना अच्छा नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट ही रिकार्ड में जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अन्य किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान) ... **

श्री राजनाथ सिंह : कहीं पर कोई गुप्त बात नहीं हुई है, पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसलिए किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) मैं, दूसरी चीज बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आपको उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपका वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। और कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपकी पूरी बात रिकार्ड में गई है, अब नहीं जाएगी। बीच में चिल्लाना कभी रिकार्ड में नहीं जाता है। मेरी अनुमति के बिना चिल्लाओगे तो रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ... [*]

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया है कि जिस शांतिपूर्ण माहौल में जम्मू-कश्मीर का चुनाव सम्पन्न हुआ है, उसके लिए मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं मिलिट्री, पैरा-मिलिट्री फोर्सेज को बधाई देना चाहता हूं और इसके लिए जम्मू-कश्मीर की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत ही शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल में वहां का चुनाव सम्पन्न हुआ है और मैं समझता हूं कि लोक सभा में जो वोट्स का टर्न आउट था, उससे भी आधिक टर्न आउट यदि रहा है तो इस बार जम्मू-कश्मीर के विधान सभा के चुनाव में रहा है, इसके लिए जम्मू-कश्मीर की जनता बधाई की पात्र है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुरेश जी, अब आप बोलिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

[*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपका जो स्टेटमेंट है, राष्ट्र के हित में हम सभी बात कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, लेकिन हमको खेद है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर हाजिर थे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने एक बार अपनी बात कह दी है। अब आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदया, माइक बन्द हो गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसलिए माइक रहेगा, किस बात के लिए माइक चाहिए। मंत्री जी ने एक्स्प्लेनेशन दे दिया है। यहां प्रश्नोत्तरी थोड़े ही चलेगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी, क्या इस बात पर प्रश्नोत्तरी करनी है?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसी चीज पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं तो फिर वे कौन से इश्यू पर बोलेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हो?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, कौन सा इश्यू हमें उठाना चाहिए, आप हमें बताइये।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, यह देश की एकता का सवाल है और इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। आप इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर कोई वरिष्ठ सदस्य सवाल पूछना चाहता है तो उसे मौका दिया जाता है, लेकिन आप बोलने का मौका नहीं दे रही हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्नोत्तर नहीं हो रहा है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: आप भी बहुत वरिष्ठ हैं और हम भी बहुत पुराने सदस्य हैं।...(व्यवधान) ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। आपको ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर हमें बोलने का मौका देना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या अब इस बारे में सवाल-जवाब किया जाना चाहिए?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैंने इस इश्यू को गंभीरता से लिया है और आप भी ले रही हैं। आप एक रिजोल्युशन पास कीजिए। जो बातें आपने यहां कहीं हैं, उन्हीं के आधार पर तभी सारा हाउस एकमत होगा। इससे एक मैसेज जाएगा कि जम्मू-कश्मीर के नवनियुक्त निर्वाचित मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ सारा सदन है और देश के हित में कोई भी इस बात को नहीं चाहेगा। क्लोकीयल लैंग्वेज में कहे तो 'मेहनत करे मुर्गा साहब और अंडा खाए फकीर साहब' वाली बात हो रही है। सारी मेहनत हमारी बार्डर फोर्सिस ने की, इलेक्शन कमीशन ने की, सभी सरकारी कर्मचारी अपनी जिंदगी का रिस्क ले कर पोलिंग बूथ पर रहे और खास कर जम्मू-कश्मीर की जनता, जो वोटिंग के लिए बाहर आने वाली नहीं थी, उस जनता ने घर से बाहर निकल कर वोट डालकर बताया कि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक इलेक्शन होगा और किसी की बात वहां की जनता नहीं सुनेगी, यह दुनिया को बताकर जम्मू-कश्मीर की जनता ने वोट डाला।...(व्यवधान) लेकिन आज वे लोग कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान की वजह से हुआ, हुर्रियत की वजह से हुआ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग क्यों बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इन्हीं की बात का तो समर्थन कर रहे हैं, आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने कहा कि यह सब मिलिटेंट्स की वजह से हुआ, अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो उन्हें भी सबक सीखाना होगा। अगर आप इस बात पर समझौता कर लेंगे, तो यह बहुत बुरी बात होगी। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बात का खंडन किया जाना चाहिए। वहां के हालात प्रधानमंत्री जी को मालूम हैं, यह बात तो स्पष्ट मुफ्ती साहब ने कही है कि मैंने सारी बातें उन्हें बताई हैं। प्रधानमंत्री जी को क्या बातें बताई हैं, आपको तो सारी बातें बताई होंगी, लेकिन हमें नहीं मालूम है। ये बातें सदन को भी मालूम होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस समय देश में हैं। अगर वे देश से बाहर होते, तो हम कहते कि गृह मंत्री जी ही इस विषय पर सदन में बोल दें। हम आपका स्टेटमेंट तो मान लेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इन चीजों के ऊपर उनकी सहमति नहीं है और इस देश के खिलाफ कोई भी गलत कहता है, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप यह रेजोल्युशन लाइए, तो हम सभी लोग एकदिल से आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हमें सदन में प्रोटेस्ट करना पड़ता है।...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : सदन में इस बारे में निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और इस बारे में अपनी बात सदन में रखनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई इस बात पर न बोले। सदन के सामने यह बात आ गई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ मुलायम सिंह जी इस विषय पर बोलेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी द्वारा इसी तरह की बात कही गई है।

... (*व्यवधान*)

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारी एक ही मांग है कि इस बारे में प्रधानमंत्री जी सदन में आकर इस बात का स्पष्टीकरण दें। उनका बयान इस बारे में आना चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): माननीय प्रधान मंत्री जी को आना होगा और वक्तव्य देना होगा। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : इस बारे में सर्व सम्मति से निंदा होनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी बात सदन में कह दी है। जो सदस्य आपसे वरिष्ठ हैं, आप उन्हें वरिष्ठ रहने दें।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वह प्रधानमंत्री जी की सहमति के आधार पर ही बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी और उनके बीच में क्या बात हुई, किन मुद्दों पर बात हुई, मैं समझता हूं कि विशेष रूप से आज जो मुद्दा सदन में उठाया गया है, इस मुद्दे के संबंध में मैं विश्वास के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ हुई बातचीत करने के आधार पर जो हमारी जानकारी है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दा आज सदन में उठाया गया है, इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी इसलिए मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी का सदन में आ कर स्टेटमेंट देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से, ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की दुर्दशा की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) मैं एक बहुत ही मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेघवाल जी, एक मिनट के लिए रूकिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या हुआ?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, सभा को वक्तव्य की निंदा करनी चाहिए। ... (*व्यवधान*) [हिन्दी] अगर सरकार इसे नहीं मानना चाहती है तो हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं।...(व्यवधान) सरकार की मंशा नहीं है।...(व्यवधान) यहां केवल इधर-उधर की बातें हो रही हैं।...(व्यवधान) ऐसा मुझे कहना पड़ता है।...(व्यवधान)

अगर प्राइम मिनिस्टर आकर कहेंगे, तो हम मानेंगे, नहीं तो हम इसका प्रोटेस्ट करके वॉक-आउट करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी जब कोई ऐसा प्रस्ताव मेरे पास नहीं है तो मैं इसे कैसे करूं?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.27 बजे

(तत्पश्चात् श्री मल्लिकार्जुन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपने कोई प्रस्ताव दिया है? अभी तो कोई प्रस्ताव है ही नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम जी, मेरे सामने जब कोई प्रस्ताव नहीं है तो मैं कैसे इस पर बात करूं?

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। देश में कई ऐसे विधि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, जहां विधि के छात्रों को हिन्दी भाषा में अध्ययन कराया जाता है। उत्तरी, पश्चिमी तथा मध्य भारत के आधिकांश विधि छात्रों की भाषा का माध्यम हिन्दी भाषा होती है। ऐसी परिस्थिति में, जब विधि के छात्र वकील का व्यवसाय अपनाते हैं और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जब वकील के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं तो उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिभाशील वकील होने के बावज़ूद भी उनमें हीन भावना आ जाने के कारण मजबूरन उन्हें निचली अदालतों में वकील का व्यवसाय करने के लिए मज़बूर होना पड़ता है।

मेरी आपके माध्यम से भारत के कानून मंत्री से यह मांग है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिन्दी भाषा के माध्यम से विधि स्नातक वकीलों को हिन्दी में बहस करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इससे बहुत बड़े वर्ग को लाभ प्राप्त हो सकता है। माननीय न्यायाधीश अपना फैसला अंग्रेजी में दे सकते हैं। उनका फैसला अंग्रेजी भाषा में सुनाया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बहस की बाध्यता को खत्म करना भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा लाभकारी कदम सिद्ध होगा।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): मैडम स्पीकर, उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में हिन्दी में भी वकीलों को अपना आर्ग्यूमेंट करने का मौका देना चाहिए। वे अंग्रजी भाषा में बोलें या दूसरी भाषा में बोलें, पर उन्हें हिन्दी भाषा में भी बहस करने का मौका देना चाहिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, वे अंग्रेजी में बहस करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, वहां हिन्दी में बहस एलाउ नहीं है। मैं कहता हूं कि वहां हिन्दी में भी बहस करना एलाउ होना चाहिए। वे चाहे अंग्रेजी में बहस करें, हमें इससे आपत्ति नहीं है। पर, हिन्दी भाषा में भी बहस करना एलाउ होना चाहिए, ताकि जो हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें न्याय मिल सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री निशिकान्त दुबे, श्री दुष्यंत सिंह, डॉ. संजय जायसवाल, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री देवजी एम. पटेल को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): महोदया, हम मराठी का भी समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मेरे ख्याल से यह बात सही है। इनका कहना है कि यह अंग्रेजी भाषा में तो हो ही रही है, मगर हिन्दी भाषा में भी होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा में तो ऑलरेडी हो रही है।

श्री चाँद नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने शून्य काल के दौरान मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मानव सभ्यता जल के प्रबन्धन तथा अपशिष्ट पदार्थ और दूषित जल के निस्तारण से ही बनी एवं विकसित हुई। जीवन के लिए पानी इतना आवश्यक है कि सरस्वती नदी का प्रवाह अवरूद्ध हो जाने पर सरस्वती नदी के तटों पर बसी विकसित सभ्यता समाप्त हो गई। राजस्थान का भी यही हाल है। जल संसाधनों की कमी के मद्देनजर पेयजल की विकट स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय से अनुरोध है कि राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाए, ताकि राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान हो सके।

राजस्थान सरकार ने इसके लिए दस वर्षीय योजना बनाई है और इस योजना में डेढ़ लाख करोड़ रूपए की आवश्यकता है। चालीस हजार करोड़ रूपए भिन्न-भिन्न स्कीमों के अधीन राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। इस तरह एक लाख दस हजार करोड़ रूपए की विशेष सहायता आगामी दस वर्षों की अवधि में 11 हजार करोड़ रूपए प्रतिवर्ष के हिसाब से आवश्यक होगी। मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के आतिरिक्त यह राशि उपलब्ध कराई जाए एवं ग्रामीण जल योजना के अधीन राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत सिंह और श्री देवजी एम. पटेल को श्री चाँद नाथ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद और मैं आपका प्रोटेक्शन भी इस पर चाहूंगा। एक तरफ हमारी सरकार मेक इन इंडिया कैम्पेन की बात कर रही है और हर जगह मेक इन इंडिया पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारी ब्यूरोक्रेसी का यह हाल है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया कैम्पेन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये तीन टेण्डर हैं, अगर आप आज्ञा देंगी तो मैं पटल पर भी रखूंगा। यदि भारत में कोई एक्स-रे का मैनुफैक्चरर है और वह भारत सरकार या डिफेंस मिनिस्ट्री को अपना सामान बेचना चाहता है तो उसे अमेरिका से एफ.डी.आई. अप्रूवल लेने की जरूरत है। जब तक भारत का मैनुफैक्चरर अमेरिका से एफ.डी.आई. अप्रूवल नहीं लेगा, तब तक वह भारत में अपना सामान नहीं बेच सकता है। इस बात पर मैंने डिफेन्स मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री, दोनों को चिट्ठी लिखी। यह बहुत दुःख की बात है कि दो महीने में कोई जवाब नहीं आया है। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा कि जो भारतीय उद्योगपति हैं, भारत में सामान बनाते हैं, उनको भारत में सामान बेचने के लिए कम से कम भारत के मानक जरूरी होने चाहिए। वे अमेरिका जाकर वहां से मानक परमीशन लें, तब भारत में वह सामान बेच सकते हैं। ऐसे ड्रेकोनियन लॉ यहां ब्यूरोक्रेसी कर रही है। इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि इस नियम को कैन्सल किया जाए और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारत में, चाहे वह डिफेंस हो या हेल्थ सेक्टर हो, उसमें सामान बेचने की इजाजत दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : यह सही है।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। भारत में कम से कम एक करोड़ *बीड़ी* श्रमिक और 50 लाख से अधिक श्रमिक तंबाकू, *केंदु पत्ता* और परिवहन जैसे अन्य संबद्ध क्षेत्रों में काम करते हैं। तंबाकू अधिनियम, वर्ष 2003 में पारित किया गया था लेकिन

हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है जो 1 अप्रैल, 2015 से लागू की जाएगी। इस अधिसूचना के अनुसार, *बीड़ी* के पैकेट के कवर को 85 प्रतिशत वैधानिक चेतावनी के साथ मुद्रित किया जाना चाहिए। यह धीरे-धीरे *बीड़ी* की मांग को कम कर देगा और अंत में *बीड़ी* उद्योग बर्बाद हो जाएगा। हम इस तरह के अधिनियम या अधिसूचना के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में गरीब *बीड़ी* श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे।

महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे जिले मुर्शिदाबाद में कम से कम 50 प्रतिशत *बीड़ी* श्रमिक हैं और उनमें से 50 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं। उनके पास कोई और काम नहीं है। तो, वे बेरोजगार हो जाएंगे। अंततः, वे आत्महत्या भी कर सकते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें बेहतर आजीविका हेतु पुनर्वासित किया जाए, ताकि वे और उनके परिवार भुखमरी से बच सकें।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया।

मैं सरकार का ध्यान उन दुखद परिस्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनका सामना मिस्र, इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया जैसे देशों और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों में रहने वाले ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय को करना पड़ रहा है। इन देशों में ईसाई समुदाय को आईएसआईएस और अन्य उग्रवादी संगठनों द्वारा अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में उत्तर-पूर्वी सीरिया के असीरियन ईसाई गांवों से इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने कम से कम 150 निर्दोष लोगों का अपहरण कर लिया, जो वहां की स्थिति की भयावहता को दर्शाता है।

ईसाई समुदाय के लोगों की निर्मम हत्या — कभी सिर काटकर, कभी गोली मारकर, तो कभी अन्य अमानवीय तरीकों से — इन देशों में ईसाई अल्पसंख्यकों के बीच गहरी असुरक्षा और भय का वातावरण पैदा कर रही है। यह बताया गया है कि पिछले चार वर्षों में दो लाख से अधिक लोग इस्लामी आतंकवादी समूहों द्वारा मार डाले गए हैं। आईएसआईएस आतंकवादियों द्वारा सीरिया के अनेक ईसाई ग्रामों पर क्रमिक हमले किए गए

हैं, जिनमें चर्चों को आग के हवाले करना तथा सैकड़ों ईसाई नागरिकों को बंधक बनाना सम्मिलित है। इस क्षेत्र में व्याप्त हिंसा के संदर्भ में विभिन्न धार्मिक संगठनों ने निरंतर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

इराक में आई.एस.आई.एस. के आतंकवादी 7वीं शताब्दी की अमूल्य असीरियन कलाकृतियों को नष्ट कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है। आतंकवादी न केवल लोगों को मार रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के सांस्कृतिक अवशेषों को भी मिटा रहे हैं। नाइजीरिया में बोको हरम द्वारा हाल ही मे किये गए अपहरण ने जिसमें 300 लड़कियाँ भी शामिल हैं, दुनिया को स्तब्ध कर दिया है।

केरल में ईसाई समुदाय, विशेषकर जीरो मालाबार चर्च, जीरो मलंकारा और रोमन कैथोलिक चर्च, ईसाइयों की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं की निंदा करें जिससे कि इन आतंकवादियों पर दबाव बनाया जा सके।

एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते भारत को इस मुद्दे को उठाना चाहिए और विश्व का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यदि भारत इस मुद्दे को उठाता है, तो विश्व समुदाय इसे सुनेगा और भारत को यह संदेश देना चाहिए कि यह धार्मिक आतंकवाद के विरुद्ध है। विश्व समुदाय को इन अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को आई.एस.आई.एस. द्वारा ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय पर किए गए आतंकवादी हमलों की कठोर निंदा करनी चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं की कड़ी आलोचना करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी सभा में उपस्थित हैं और मैं उनसे इस मामले में जवाब देने का अनुरोध करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप हर बार सरकार से प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर सकते।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के. बीजू को श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जितेन्द्र चौधरी -- उपस्थित नहीं

[हिन्दी]

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में कुल 32 विकास खण्ड हैं। आधिकतर विकास खण्ड मुख्यालयों, जैसे कोइलीबेड़ा विकास खण्ड हो गया और बड़े राजपुर विकास खण्ड मुख्यालयों में, बैंक की सुविधा नहीं होने से आम जनता को 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दूर दूसरे विकास खण्डों में जाना पड़ता है। लोगों को बैंक में खाता खुलवाना हो, 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के लिए खाता खुलवाना हो, कृषि ऋण लेना हो, मनरेगा का भुगतान लेना हो या छात्रों को उच्च शिक्षा ऋण लेना हो, धान का बोनस लेना हो, कर्मचारियों का वेतन आहरण हो, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए बैंक नहीं होने से उन्हें दूसरे विकास खण्डों में जाना पड़ता है।

वहां पर 32 विकास खण्ड हैं और आधिकतर विकास खण्ड मुख्यालयों में बैंक की सुविधा नहीं होने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वहां पर बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। विकास खण्ड मुख्यालय और तहसील मुख्यालय एक साथ हैं तो उनके साथ ही उप-तहसील मुख्यालयों में भी बैंक की सुविधा होने से, वहां की जनता को उसका सीधा लाभ मिलेगा। चूंकि, वह ट्राइबल एरिया है, उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए, जिससे वहां की जनता को ज्यादा लाभ मिले और वे बैंकों से सीधा लाभ ले सकें।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बस्तर संभाग के आधिकतर विकास खण्ड मुख्यालयों में उनकी व्यवस्था की जाए, जो जनता की हित की दृष्टि से बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात् मुंबई दक्षिण मध्य का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

माननीय रेल मंत्री महोदय के प्रति मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे सीएसटी–पनवेल कॉरिडोर के साथ जुड़े लंबे समय से लंबित रेल परियोजना, अर्थात् एलिवेटेड कॉरिडोर, पर ध्यान दें। कुछ समय पूर्व रेलवे ने इस परियोजना को मुंबई क्षेत्र में उपनगरीय रेलवे के विस्तार के रूप में प्रस्तावित किया था, क्योंकि अधिकांश मार्ग में आवश्यक भूमि पट्टी के अभाव के कारण मौजूदा पटरियों के साथ अतिरिक्त ट्रैक बिछाना संभव नहीं है। जहां तक परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण का सवाल है, सरकारी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए आवश्यक लगभग 95 प्रतिशत भूमि पहले से ही सरकार के कब्जे में है और केवल एक छोटे से हिस्से का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है।

रेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि परियोजना के लिए शेष भूमि के अधिग्रहण के लिए जल्द से जल्द संयुक्त रूप से प्रयास किया जाए।

महोदया, मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की विभिन्न नगर नियोजन एजेंसियाँ जैसे एम.एम.आर.डी.ए., सिडको, नवी मुंबई हवाई अड्डा प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (एन.ए.आई.एन.ए.), नवी मुंबई और मुंबई के बाहरी इलाकों खोपोली, पुणे और कोंकण क्षेत्र तक के विस्तार के लिए काम कर रही हैं। इसलिए, यह प्रस्तावित एलिवेटेड सीएसटी-पैनवेल कॉरिडोर बुनियादी ढांचे के मामले में सर्वोच्च है। यह आशा की जा रही है कि इन क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं की मांग कम से कम दस गुना अधिक होगी। सेवरी-न्हावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक के विकास को देखते हुए, इन क्षेत्रों में जनसंख्या की दृष्टि से तेजी से वृद्धि होने जा रही है और इसलिए, सीएसटी-पनवेल एलिवेटेड कॉरिडोर की आवश्यकता को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

महोदया, मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वे सीएसटी-पनवेल कॉरिडोर के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबे समय से लंबित परियोजना पर काम करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करें।

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदया, मैं शून्यकाल में अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाना चाहता हूं। पिछले वर्ष 2 जुलाई, 2014 को भारत सरकार ने राजस्थान के अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, चुरू व डूंगरपुर व 27 जुलाई, 2014 को भीलवाड़ा और पाली में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राजस्थान सरकार के साथ अबुनंध किया था जिसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से चुरू व डूंगरपुर का डीपीआर भी बनाकर भारत सरकार को भिजवाया गया है। राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर होने वाले सभी कार्य पूर्ण कर दिए हैं तथा चुरू मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का आबंटन भी कर चुकी है। भारत सरकार ने प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए 189 करोड़ रुपये की लागत निधाररित की है जो बहुत ही कम है। राजस्थान सरकार ने इसकी लागत 263.4 करोड़ रुपये निधाररित की है। भारत सरकार द्वारा अपना अंशदान जारी नहीं किया गया है।

महोदया, चुरू वैसे ही बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। खेती, रोजगार और उद्योगों की पहले से ही कमी है, ऊपर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत हैं। मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि मेडिकल कॉलेज की लागत 189 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 263.4 करोड़ रुपये प्रति कॉलेज निधाररित करते हुए चुरू के लिए अंशदान शीघ्र ही जारी किया जाए।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): महोदया, पिछले सप्ताह माननीय रेल मंत्री जी ने रेल बजट पेश किया था। भारत के लोगों और यात्रियों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत अच्छा बजट रहा है। लेकिन, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत, आंध्र प्रदेश के जनसमूह के लिए एक अलग रेल जोन स्थापित करने का आश्वासन दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में इसकी घोषणा की जाएगी। मेरा माननीय रेल मंत्री से विनम्र

निवेदन है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पूरे क्षेत्र को इस नए जोन के अंतर्गत लाया जाए और इसके किसी भी भाग को अलग न किया जाए। यह जोन अनंतपुर से शुरू होकर श्रीकाकुलम तक पूरे राज्य को समाहित करे।

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, बंगलूरू-चेन्नई के बीच एनएच-7 के 87.6 किलोमीटर पर स्थित टोल प्लाजा को चार लेन वाली सड़क से हटाकर होसुर-कृष्णागिरी खंड के बीच छह लेन वाली सड़क में बदलने का काम शुरू किया गया है। कलेक्ट्रेट भवन तथा प्रसिद्ध दरगाह के निकट प्रस्तावित टोल प्लाजा, कलेक्ट्रेट तथा दरगाह तक वाहनों तथा आने वाले आम लोगों के निर्बाध आवागमन में बाधा बनेगा। जिला कलेक्टर, स्थानीय जनता, वी.आई.पी., निर्वाचित प्रतिनिधियों और विभिन्न संघों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद, उक्त टोल को मौजूदा स्थान से स्थानांतरित नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग (दर एवं संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 8 के अनुसार, नगरपालिका सीमा के दस किलोमीटर के भीतर कोई टोल प्लाज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान टोल प्लाज़ा कृष्णगिरी नगरपालिका सीमा से 1.5 किलोमीटर के अंदर स्थापित किया गया था, जो उक्त नियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं अनुरोध करता हूं कि एनएच-7 के 87.6 किलोमीटर पर स्थित मौजूदा टोल प्लाजा को नगर पालिका सीमा से दूर कृष्णागिरी-होसुर, एनएच-7 पर भंडारपल्ली गांव या पोलुपल्ली गांव में स्थानांतरित किया जाए।

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे 'शून्य काल' में घातक बीमारी स्वाइन फ्लू के संबंध में एक मुद्दा उठाने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

स्वाइन फ्लू पूरे भारत में, विशेषकर गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैल चुका है। महोदया, मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए दो मिनट का समय दीजिए क्योंकि मैं खुद स्वाइन फ्लू से पीड़ित थी और मेरा विशाखापट्टनम में इलाज किया गया था। इस स्वाइन फ्लू के बारे में कुछ समस्याएं हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वाइन फ्लू एक श्वसन रोग है, जो इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होता है, जो मानव शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण बहुत सामान्य हैं। रोगी को सिरदर्द, खांसी और बुखार होता है। ये बहुत सामान्य लक्षण हैं जिनके लिए आम तौर पर लोग अस्पतालों में नहीं जाते हैं। वे सिर्फ़ कुछ पैरासिटामोल लेकर अस्थायी राहत पा लेते हैं। स्वाइन फ्लू के लक्षणों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रभावी प्रचार-प्रसार आवश्यक है। यह रोग विशेष रूप से ठंडी जलवायु और सर्दियों के मौसम में फैलता है। हम इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढने के बजाय हमेशा कुछ अस्थायी उपचारात्मक उपाय करते रहे हैं।

कई बार ऐसा होता है कि सही निदान में ही तीन दिन लग जाते हैं। देश भर में पर्याप्त नैदानिक केंद्र स्थापित नहीं हैं, जिसके कारण इलाज में देरी हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने इस मुद्दे पर बहुत विस्तृत रूप से जवाब दिया है।

श्रीमती कोथापल्ली गीता: आज भी नैदानिक केंद्र उपलब्ध नहीं हैं। जब तक इसका निदान होता है, यह बहुत गंभीर हो जाता है।

दूसरा विषय दवाओं को लेकर है। देश भर में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

वायरस बहुत तेजी से फैलता है। पहले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अराकु जैसी जगहों पर, और राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में भी लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब तक उन्हें एहसास होता है कि वे स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसने लगभग 1,000 लोगों की जान ले ली है।

एक और महत्वपूर्ण विषय जिसे मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूँ, वह यह है कि स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु केवल एक ही दवा उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति पुनः इस संक्रमण का शिकार होता है, तो उसके उपचार के लिए अन्य कोई दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण मृत्यु की संभावना बनी

रहती है। इसलिए, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सभा के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : अध्यक्ष जी, मेरा शून्यकाल का विषय इस प्रकार से है। भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई की खदानों में काम कर करे आठ से दस हजार श्रमिक आधिकतम वेतनश्रेणी में पहुंच कर एक ही पद नाम से सेल नीति की अवहेलना झेल रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के शिकार हो रहे हैं। जो श्रमिक उच्चतम वेतन ग्रेड में पहुंच गए हैं, उन्हें ई-1 ग्रेड में पुनरीक्षित पदोन्नति दिया जाना आवश्यक है। वर्ष 2010 में नॉन-एग्जियूटिव से एग्जिक्यूटिव बनने के लिए 3600 कर्मियों ने आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 370 श्रमिकों को प्रमोशन दिया गया। नियमानुसार हर दो वर्ष के अंतराल में 10 प्रतिशत श्रमिकों को प्रमोशन का अवसर दिया जाना है। यह प्रक्रिया वर्ष 2008 से रुका हुआ है। आविलंब कर्मचारी हित में आदेश जारी करना आवश्यक है। मैं विभागीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि श्रमिक हित में तत्काल निर्णय ले कर आदेश दें।

माननीय अध्यक्ष : राजीव सातव जी, यह तो स्टेटमेंट है, इसे आप यहां क्यों उठा रहे हैं।

श्री राजीव सातव: अध्यक्ष जी, यह मैटर मैं इसलिए उठाना चाह रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री जी का इस बारे वक्तव्य हो, इस बारे में मेरी मांग थी। मैं जो यहां बात रखना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी, शाहू जी महाराज, बाबा अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की भूमि है। इस भूमि में जिस प्रकार से पिछले दिनों नरेन्द्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, उस वक्त आई.बी. ने यह वार्निंग दी थी, ...(व्यवधान)।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): राज्य सरकारों के विषय को इस प्रकार से विमर्श करने लगे तो नहीं हो पाएगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहला वाक्य मेरा यही था, यह राज्य सरकार का विषय है।

श्री राजीव सातव : मेरी गृह मंत्री जी से निवेदन है कि नरेन्द्र दाभोलकर जी की जब हत्या हुई, उस समय आई. बी. ने वार्निंग दी थी कि अगला टारगेट कोल्हापुर से गोविन्द पनसारे जी हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि उस वक्त सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, उनकी हत्या हुई है। इसके बाद तीसरे टारगेट की महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सेन्सेटिव इश्यू है। गृह मंत्री जी की तरफ से गोविन्द पनसारे जी की हत्या के बारे में सदन में बयान हो, यह मेरी मांग है।

अपराह्न 12.50 बजे **सदस्यों द्वारा निवेदन...जारी**

(दो) देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है, उन्हें राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश के उत्तर भारत सहित कई हिस्सों में पिछले तीन दिन से असामयिक तेज बारिश और आंधी के कारण किसान की खड़ी फसल चौपट हो गयी है। राजस्थान के तमाम इलाकों में गेहूं, धनिया, सरसों, चना, जीरा, इसबगोल आदि फसलें कटने की स्थिति में थीं, लेकिन तेज बारिश के कारण वे चौपट हो गयीं। इस बार राजस्थान के कई हिस्सों में गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला था, लेकिन तेज बारिश और अंधड़ के कारण किसान की लहलहराती फसल, जो कटने के

लिए तैयार थी, उसके अलावा कई फसलें कटकर खेत में पड़ी हुई थीं, वे सब चौपट हो गयी हैं। आज वह किसान बर्बाद हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, किसान की लागत का पैसा भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो राष्ट्रीय आपदा कोष है, उससे नहीं मिल पाता है। केन्द्र सरकार ने अभी राज्य सरकार का अंशदान बढ़ाया है, इसलिए केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों मिलकर किसानों की फसल का खेतवार सर्वे करवाये और उन्हें उनकी लागत का मुआवजा दे, ताकि किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हो।

मेरे संभाग कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ में गेहूं, धनिया और सरसों की फसल संपूर्ण चौपट हो गयी है। मेरी आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से मांग है कि एक स्पेशल पैकेज देकर किसानों को राहत दी जाये, ताकि किसान ऋण से डूबने से बच सके।

माननीय अध्यक्ष : जो बारिश हुई है, उस बारे में बहुत से सदस्यों ने निवेदन किया है। इसलिए मैं इसमें दो-तीन सदस्यों को बोलने के लिए एलाऊ कर रही हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, मैं भी सम्मानित सदस्य ओम बिरला जी की बात से सहमत हूं। किसान के लिए वाकई ही बुरे दिन चल रहे हैं। एक के एक बाद, पहले खरीफ की फसल में किसान को पूरा भाव नहीं मिला। उसके बाद यूरिया में ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यह अनुचित है। कल रात की बारिश के बाद पूरे देश और मध्य भारत, राजस्थान, हरियाणा में ...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदया, मैंने कोई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: इन्होंने विषय बदल कर चर्चा शुरू कर दी। अगर वे इससे सम्बद्ध हैं तो सीधे विषय पर आयें। यहां खरीफ की फसल के बारे में न बोलें, क्योंकि किसानों की चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: हम उसी विषय पर आ रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं रूडी जी की बात का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको हमेशा विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। जो समस्या है, उसे समस्या के रूप में उठाइये।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदया, विपक्ष की बात नहीं है। यूरिया की दिक्कत रही, जो सच्चाई है। ...(व्यवधान) यूरिया की दिक्कत के बाद अब दो-तीन दिन से बारिश हो रही है। मैं समझता हूं कि उत्तर भारत में इस तरह की बारिश, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि कई शहरों में मार्च के महीने में एक दिन की बारिश का रिकार्ड कल टूटा है, जिसमें मेरठ, रोहतक, हिसार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब आदि कई शहर शामिल हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है। सब जगह बारिश हुई है।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: पूरे उत्तर भारत में बारिश हुई है। आप भी इस बात के लिए हमसे सहमत हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, सहमत हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: इस बारिश से होने वाला नुकसान हर फसल में है खास तौर पर सरसों और गेहूं की खड़ी फसल में। मैं समझता हूं कि सरकार को तुरंत इसे आति संवेदनशीलता से लेना चाहिए। हमने पिछले सत्र में भी मांग की थी कि एग्रेरीयन क्राइसेज पर चर्चा हो। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह चर्चा तो बाद में होगी।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : इसे भी उसमें जोड़ लिया जाये, क्योंकि बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने नियम 193 पर चर्चा ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अभी इस विषय पर बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: इसे उसमें जोड़ा जाये और सरकार तुरंत गिरदावरी के निर्देश दे। हर खेत में कितना नुकसान हुआ है, उसका आंकलन किया जाये और मुआवजा मिले। ...(व्यवधान) किसान को पूरा मुआवजा मिले।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे देश के किसानों से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। यह विषय राजनीति का विषय नहीं है। आपने संवेदनशीलता दिखाई और कई माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया। श्री ओम बिरला जी और अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं कल इटावा औरैया में था, वहां 44 मि.मी. बारिश हुई। जहां फसलों का नुकसान हुआ, मैं वहां की तीन घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। हमीरपुर के कुलहेटा गांव के इन्द्रपाल किसान ने बैंक से कर्ज लिया हुआ था, उनको उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी और वह बैंक की ईएमआई देंगे। जब बारिश हुई और वह अपने खेत पर गए, उनकी गेहूं की फसल खेत में सो गई, लेट गई तो उन्होंने वहीं फांसी लगा ली। इसी तरह उत्तर प्रदेश में तीन घटनाएं हो गई। उन्नाव और राजथाने में चांदगांव के वीरेन्द्र सिंह ने आत्महत्या की। हमीरपुर के भगवा समेलपुर के पलहेटा गांव में राजा भैया तिवारी जी खेत पर गए और जब वे वापस आए तो उनकी सदमे से मौत हो गई। उत्तर भारत में शनिवार की रात से शुरु बारिश से शुरु हुई है, कहीं तो 22 मि.मी. है और कहीं 42 मि.मी. है। इससे किसानों की फसलों की बहुत क्षति हुई है। गेहूं, सरसों, दलहन, तिलहन और आलू की क्षति हुई है। केंद्र से टीम जानी चाहिए और जिन राज्यों में असामयिक बारिश के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। पूर्व उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर और गोरखपुर में भी काफी नुकसान हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री जमदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय बिरला जी और अन्य माननीय सदस्यों से सहमत हूं। मैं भी कल अपनी कांस्टीटुएंसी के भ्रमण पर था। वास्तविकता यह है कि जीरा, ईसबगोल और कमर्शियल फसलें पकने की स्थिति में थी, चौपट हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने टेलीफोन पर कहा था कि स्थिति देखकर अवगत कराएं। मैंने उनसे भी निवेदन किया और आज सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि केंद्र से टीम भेजी जानी चाहिए जो उन राज्यों का आकलन कर ले जिन राज्यों में नुकसान हुआ है। किसानों को राहत मिलनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी मेहनत से खेती करते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें चौपट हो जाती हैं। ऐसे समय में सरकार का कर्तव्य बनता है कि केंद्र से टीम भेजी जाए, जायजा लिया जाए और उसी के अनुरूप नुकसान का भुगतान किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि नुकसान का भुगतान देर से होता है और बहुत कम एमाउंट होता है, इस कारण काश्तकार संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरा पुनः निवेदन है कि उनको कम से कम फसल का लागत मूल्य दिया जाए जिससे उनको रिलीफ मिल सके।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): माननीय अध्यक्ष जी, ओम बिरला जी ने इस चर्चा की शुरुआत है। नार्दन इंडिया में बारिश के कारण फसल की बर्बादी हुई है। हम किसान को अन्नदाता कहते हैं क्योंकि वे अपना पेट पालने से पहले हमारा पेट पालते हैं लेकिन आज वह अन्नदाता दुखी है। विशेषकर गिरदावरी, पूरे हरियाणा, आउटर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जहां फसल का नुकसान हुआ है, अन्नदाता की सुधबुध जानने के लिए मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री से मांग करें कि वह प्रदेश सरकारों को आज ही आदेश दें। पिछले साल सूखे का मुआवजा भी नहीं पहुंचा है। किसानों को कम से कम प्रति एकड़ 30,000 रुपए का मुआवजा दिलवाएं और तुरंत कार्यवाही करें।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थिति वैसे भी पहले से ही खराब रही है, कई सालों से यहां सूखे के कारण स्थिति खराब थी और अभी ओले पड़ने के कारण, बारिश तो बाद में हुई, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी मात्रा में ओला पड़ा है, उसके कारण वहां पर पूरी फसल नष्ट हो गयी है। उसके बाद लगातार दो दिनों तक हुई बारिश से स्थिति और आधिक विषम हो गई है। आपके माध्यम से मेरा सदन से अनुरोध है कि इस संबंध में ऐसा निर्देश दिया जाए कि राज्य सरकार से को-ऑर्डिनेट करके केन्द्र सरकार उस पर व्यापक व्यवस्था करे, जिससे उन किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर न होना पड़े।

माननीय अध्यक्ष : अब करीब-करीब सभी लोगों की बात पूरी हो गई, जिनको एसोसिएट करना है, वे अपने-अपने नाम लिखकर दे दें क्योंकि जहाँ-जहाँ नुकसान हुआ है, उससे सभी लोग चिन्तित होंगे, इसे मैं भी समझ रही हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, लखन लाल साहू, रमेश बिधूड़ी, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती कमला पाटले, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, सर्वश्री सुमेधानंद सरस्वती, सुधीर गुप्ता, राजकुमार सैनी, राजेश कुमार दिवाकर, प्रहलाद सिंह पटेल, देवजी एम. पटेल, श्रीमती संतोष अहलावत, सर्वश्री दद्दन मिश्रा, श्रीरंग आप्पा बारणे, नारणभाई भिखाभाई काछड़िया, श्रीमती ज्योति धुर्वे, सर्वश्री हरिओम सिंह राठौड़, गजेन्द्र सिंह शेखावत, हरीश मीना, राहुल कस्वां, नाना पटोले और श्री शरद त्रिपाठी को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष महोदया, जिस विषय को श्री ओम बिरला जी ने उठाया है, उसके साथ ही श्री सी.आर. चौधरी जी, जो नागौर, राजस्थान से हैं, श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी हरियाणा से, श्री जगदम्बिका पाल जी उत्तर प्रदेश से, श्री दुष्यंत चौटाला जी और श्री भैंरो प्रसाद मिश्रा जी ने इस विषय को उठाया है। यह

सचमुच अप्रत्याशित रहा है, जिस प्रकार से पिछले दो दिनों से पूरे उत्तर भारत में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा अप्रत्याशित रूप से हुआ है। ... (व्यवधान) बिहार में अभी झींसी पड़ रहा है। आप पता लगा लीजिएगा, वहां अभी वैसा नुकसान नहीं है। पूरे देश में जिस प्रकार से इस बारिश के कारण नुकसान हुआ है, यह बहुत ही अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जहाँ पर भी नुकसान हुआ हो।

श्री राजीव प्रताप रूडी : जिस अनुपात में किसानों का नुकसान हुआ है, खास तौर से राजस्थान और हरियाणा में जीरा, सरसों, गेहूं इत्यादि फसलों का नुकसान हुआ है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मध्य प्रदेश का नाम लिया है।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : निश्चित रूप से सरकार जीवित है और पूरे जीवंत रूप से हमने इस विषय के बारे में कहा है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये इस विषय को मैं माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाऊँगा। किसानों के पक्ष में जो भी विषय हों, जिस प्रकार की भी हों और जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं, हम पूरी तरह से इस समस्या के निदान के लिए कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में पश्चिम-मध्य रेलवे के अंतर्गत दमोह और सागर के बीच में एक स्टेशन असलाना है, अभी रेल मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो गांव रेलवे लाइन के उस पार है और सारी खेती इस पार है, सड़क के एप्रोच रोड के लिए भी रेलवे परमिशन

नहीं देता है, जी.एम. स्तर पर भी यदि सांसद पचास बार कहे, तो भी दो-दो वर्ष तक परमिशन नहीं मिलती है। आप जानती हैं कि यदि जहाँ पर खेती दूसरी तरफ है, वहां न कोई ओवर ब्रिज है, न कोई अंडर ब्रिज है, गांव तक सड़क बना देने के लिए तैयार नहीं है, तो वे कैसे खेती करेंगे। ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के निकलने के लिए कोई अंडर पास नहीं है। वहां पर इतनी भयानक मुसीबत है कि दस-दस किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि ऐसे मामलों को, जिसका शिकार पूरा गांव है, यदि कोई एप्रोच रोड चाहिए और लोग अपने खर्चे पर बनाने को तैयार हैं, तो कम से कम रेल विभाग उसका परमिशन दे और यह समयसीमा के भीतर दिया जाए, क्योंकि रेलवे की प्रक्रिया वर्षों तक घिसटते रहती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि असलाना गांव में उसके लिए रेल मंत्री जी.एम. को निदेरशित करें।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदया, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दिसम्बर, 2000 में दुर्गम गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए बनाई थी। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा ग्रामीण सड़क विस्तार एवं नई सड़क बनाने सम्बन्धी योजना शामिल है। पिछले कई सालों से यह योजना देशभर के विभिन्न भागों में चल रही है, इससे देश के गांवों को शहरों से जोड़ने का काम भी प्रगति पर चल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र मावल और पूना जिले में भी इस योजना के तहत काम चल रहा है, लेकिन कुछ महीनों से मावल संसदीय क्षेत्र और पूना में यह काम अचानक बंद हो गया है। जब मैंने इस बात का पता किया तो मुझे बताया गया कि संबंधित विभाग द्वारा ठेकेदारों का पैसा समय पर नहीं देने के कारण यह काम बंद हुआ है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेते हुए आतिशीघ्र प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत केन्द्र से पूना और मावल संसदीय क्षेत्र के लिए धनराशि मंजूर की जाए ताकि ये काम पुनः शुरू हो सकें।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन कानून बनाने वाली संस्थाओं की विधायी सर्वोच्चता के संबंध में है। केरल राज्य विधान सभा ने प्लाचीमाडा कोका-कोला पीड़ित राहत एवं क्षतिपूर्ति दावा विशेष न्यायाधिकरण विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक 24-02-2011 को पारित किया गया था, ताकि हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और उससे संबंधित मामलों के संबंध में विवाद के शीघ्र निपटारे और पीड़ितों के लिए मुआवजे की वसूली के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की जा सके। केरल सरकार ने भी मुआवजे के संबंध में एक अध्ययन कराया है और यह निर्धारित किया जा रहा है कि मुआवजा देने के लिए 216 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है।

महोदया, बाद में, 29-03-2011 को सरकार ने माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को विधेयक भेजा था। जहां तक विधायिका के विधायी सर्वोच्चता का संबंध है यह एक बहुत ही गंभीर और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं समझ सकता हूं कि यदि माननीय राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को राज्य को वापस भेजा जाता है। लेकिन हुआ यह कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने विधेयक को महामहिम के कार्यालय में भेजे बिना ही इसे केरल सरकार को यह कहते हुए वापस भेज दिया कि: “आपको विधेयक वापस ले लेना चाहिए। आपको विधेयक खारिज कर देना चाहिए।”

महोदया, मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों को यह कहने का विधायी अधिकार और क्षमता किसने दी है कि विधेयक वैध है या अवैध? राष्ट्रपति कार्यालय ने इस विधेयक की समीक्षा भी नहीं की है। इस प्रकार इस विधेयक के साथ भारत सरकार द्वारा अत्यंत अनियमित और अनुचित व्यवहार किया गया है।

इसलिए, मैं गृह मंत्रालय से यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों की विधायी क्षमता क्या है। यह न केवल अन्यायपूर्ण और अनुचित है, बल्कि हमारे देश की विधायी प्रक्रिया के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध और अवैध भी है।

महोदया, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, आप माननीय गृह मंत्री जी को निर्देश दीजिए कि वे सभा समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

श्री सी. गोपालकृष्णन (नीलगिरी): महोदया, केंद्र ने 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मैं अपनी नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा की ओर से सरकार से आग्रह करूंगा कि वह तमिलनाडु में कम से कम 10 शहरों को अविलंब स्मार्ट सिटी घोषित करें।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण के महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण के लिए आने वाले 20 वर्षों में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की विशाल धनराशि की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है हर वर्ष औसतन लगभग 35,000 करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक होगा ताकि आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

ये अनुमान नगर विकास मंत्रालय द्वारा 'स्मार्ट सिटी योजना पर प्रारूप अवधारणा पत्र' में तैयार किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में इस योजना पर आवश्यक ध्यान और निधि सुनिश्चित करने के लिए 7,060 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

स्मार्ट सिटी योजना में, अभी तक सरकार की ओर से केवल 'व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण' की परिकल्पना की गई है, जो कुल निवेश का एक छोटा भाग मात्र है और यह निवेशकों को पर्याप्त प्रेरणा देने में असमर्थ हो सकती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों से भी व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए आगे आने की उम्मीद है और उनमें से अधिकांश नकदी संकट में हैं।

तमिलनाडु की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शहरीकृत है और हमारी पूज्य नेता डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण तमिलनाडु लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आईटी के विकास में शहरीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के सम्मान स्वरूप, तमिलनाडु के चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै के साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित कम से कम 10 शहर जिनमें ऊटी

(पहाड़ों की रानी), नीलगिरी, सलेम, तिरुची, थूथुकुडी, तंजावुर, कुड्डालोर और इरोड शामिल हैं—स्मार्ट सिटी योजना के लिए पूरी तरह योग्य हैं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि तमिलनाडु में कम से कम 10 शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु में प्रस्तावित शहरों को अविलंब स्मार्ट सिटी घोषित किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मुंबई मेट्रो-1 प्रकल्प के लिए राज्य सरकार ने नगर विकास मंत्रालय को फेयर-फिक्सिंग कमेटी नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। मुंबई मेट्रो-1 का किराया दस रुपये से बढ़कर 40 रुपये हुआ। इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिए हैं।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि फेयर-फिक्सिंग कमेटी जल्द से जल्द नियुक्त की जाए।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि संविधान में छठी अनुसूची के प्रावधान विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किए गए हैं, जो उत्तर-पूर्व के आदिवासी समुदायों और वंचित समूहों की भूमि की रक्षा के लिए हैं। प्रारंभ में, ये प्रावधान केवल असम के लिए थे। फिर धीरे-धीरे, इन्हें त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया।

अब, समय के साथ यह पाया गया है कि छठी अनुसूची के ये प्रावधान इन स्वायत्त परिषदों के लोगों की आकांक्षाओं और मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। त्रिपुरा विधान सभा और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद ने भी बार-बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और इसे भारत सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए भेजा है कि त्रिपुरा के टी टी.टी.ए.ए.डी.सी. और अन्य परिषदों को भी पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाए; और केंद्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग से धन वितरण के लिए कुछ प्रावधान किए जाएं।

इसलिए, मैं फिर से इस सम्माननीय सभा, विशेष रूप से, गृह मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करके टी.टी.ए.ए.डी.सी. को सशक्त बनाने के लिए एक कानून लाया जाए और संविधान के 77वें संशोधन के समान 3-स्तरीय संरचना भी लाई जाए जिससे कि लोकतांत्रिक और नियोजन प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी के साथ लोग टी.टी.ए.ए.डी.सी. और अन्य परिषद भी लाभान्वित होते हैं।

महोदया, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे उम्मीद है कि इस पर विचार किया जाएगा।

———————

अपराह्न 1.12 बजे

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित...जारी

(दो) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब ऐसे विधेयकों को पुरःस्थापित किया जाएगा, जिन पर पहले विचार नहीं किया गया था।

श्री पी. राधाकृष्णन।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदया, मैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री नितिन जयराम गडकरी की ओर से मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं

क्या कोई आपत्ति है? नहीं! ठीक है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2, दिनांक 02.03.2015 में प्रकाशित

अपराह्न 1.13 बजे

अध्यादेश संबंधी विवरण

(एक) मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 2)* के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद सं 7 - श्री राधाकृष्णन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदया, मैं मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला क एव्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———————

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1847/16/15।

अपराह्न 1.14 बजे

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित...जारी

(तीन) कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015*

माननीय अध्यक्ष: मद सं 8 - श्री पीयूष गोयल।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड -2, दिनांक 02.03.2015 में प्रकाशित

श्री भर्तृहरि महताब ने विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया और आपत्ति दर्ज कराई।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं आज ही *हिंदू* में प्रकाशित एक समाचार पढ़ रहा था, जिसमें अध्यादेशों पर नेहरू-मावलंकर चर्चा का वर्णन है। इस समाचार में, लोक सभा के पहले अध्यक्ष द्वारा 25 नवम्बर, 1950 को लिखा गया पत्र शामिल है। मावलंकर ने कहाः

"अध्यादेशों का प्रवर्तन स्वाभाविक रूप से अलोकतांत्रिक था, चाहे अध्यादेश न्यायोचित हो या नहीं, बड़ी संख्या में अध्यादेशों का जारी होना मनोवैज्ञानिक रूप से बुरा प्रभाव डालता है। लोगों में यह धारणा बन जाती है कि सरकार अध्यादेशों से चलती है।"

13 दिसंबर, 1950 को नेहरू ने अपने उत्तर में कहाः

"मुझे लगता है कि मेरे सभी सहयोगी आपसे सहमत होंगे कि अध्यादेशों का जारी होना आम तौर पर वांछनीय नहीं है और विशेष और तत्काल अवसरों को छोड़कर इससे बचा जाना चाहिए।

मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं। "

"संसदीय पद्धति विचार-विमर्श और चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने तथा उसमें आने वाली त्रुटियों और गलतियों को सही करने के लिए सक्षम है। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है।"

महोदया, फिर से 17 जुलाई, 1954 को मावलंकर ने नेहरू जी को लिखा।

"अध्यादेश को जारी करना अलोकतांत्रिक है और इसे अत्यधिक तात्कालिकता या आपातकाल को छोड़कर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा, जब तक अध्यादेश को अत्यधिक और बहुत जरूरी मामलों तक सीमित नहीं रखा जाता, इसका परिणाम यह हो सकता है कि भविष्य में सरकार अध्यादेश जारी करती रहेगी, जिससे लोक सभा के पास अध्यादेशों पर मुहर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।"

डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य के मामले में वर्ष 1986 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में मावलंकर की चेतावनी को दोहराया गया है, जहां उन्होंने कहा कि अध्यादेश *राज* की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैं कहूंगा कि इस मामले में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती जी की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बिहार सरकार की उस प्रथा पर विचार किया था जिसमें वह समय-समय पर अध्यादेशों को बड़े पैमाने पर पुनः जारी करती थी, जबकि उनके प्रावधानों को विधानमंडल द्वारा अधिनियम के रूप में अधिनियमित नहीं किया जाता था।

माननीय अध्यक्ष : आपका ऑबजेक्शन क्या है, वह बताइए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई बातों के बारे में दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूं।

> "एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनिवार्य रूप से एक असाधारण स्थिति से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली शक्ति है और इसे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकृत नहीं होने दिया जा सकता है।"

यह माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सभी लोकतांत्रिक मानदंडों के विपरीत है कि कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए।

महोदया, कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक में एक उपबंध है और यह उपबंध खंड 7 से संबंधित है। खंड 7 में कार्यपालिका अर्थात सरकार द्वारा कतिपय शक्ति को अपने अधीन किया है।

सबसे पहले, मैं यह कहना चाहूँगा कि हम कोयला खानों की नीलामी के विरुद्ध नही हैं। हम चाहते हैं कि कोयला खानों की नीलामी की जाए। हम चाहते हैं कि सभी खानों की नीलामी की जाए। लेकिन सरकार द्वारा जिस प्रकार मनमाने ढंग से कतिपय व्यक्तिपरक निर्णय लिए गए हैं, हम उन निर्णयों के विरुद्ध हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने माननीय प्रधान मंत्री को भी एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट

रूप से उल्लेख किया है कि वे कैसे इनका चयन करेंगे और किसी राज्य के कितने ब्लॉक को विनियमित क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र में रखने का निर्णय लेंगे। वे किसी भी राज्य सरकार को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वे राज्य सरकार के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। ओडिशा के मामले में एक स्पष्ट मामला है। कितने ब्लॉक्स का निर्णय लिया जाएगा? मैं दरअसल इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: यही तो मैं कह रही हूं। आप केवल एक विशेष खंड पर आपत्ति कर रहे हैं, न कि विधेयक के पूरे पुरःस्थापित किए जाने पर।

श्री भर्तृहरि महताब: उस खंड में कहा गया हैः 'नीलामी के विवरण को अधिसूचित करने से पहले अनुसूची I कोयला खदानों के लिए पहचानी गई खदानों को वर्गीकृत करना जैसा कि निर्दिष्ट अंतिम उपयोगकर्ताओं के समान वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है...'। मुझे इस बात को स्पष्ट करना है।

माननीय अध्यक्ष : यह सब तो आप चर्चा के समय भी कह सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मंत्री महोदय यह समझने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं।

श्री तथागत सत्पथी (धेंकानल): हम विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: हाँ।

आप एक विनियमित खान और एक गैर-विनियमित खान के बारे में कैसे निर्णय लेते हैं? ओडिशा में नीलामी के लिए नौ ब्लॉकों की पहचान की गई है। उसमें से केवल एक ब्लॉक ही गैर-विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों स्पष्ट रूप से कहा था कि लगभग एक लाख करोड़ रुपये के कोयला खदानों की नीलामी की गई है और हम इसे राज्यों को भेज रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: महताब जी, चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: इसी कारण मैं यह प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

ओडिशा में अनियमित क्षेत्र की केवल एक खान है और शेष को विनियमित किया गया है। … (*व्यवधान*) जो स्थिति बन रही है, वह यह है कि अविनियमित क्षेत्र में — जहां सीमेंट, स्टील और एल्यूमिनियम के कारखाने स्थित हैं — नीलामी प्रक्रिया एक श्रेणीबद्ध प्रणाली के तहत संचालित होती है, जिसमें अधिकतम बोलीदाता को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन विनियमित क्षेत्र में, जैसे कि विद्युत क्षेत्र के लिए, जहाँ कम मूल्य पर नीलामी दी जाती है, वहां बड़े उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस दृष्टि से, ओडिशा हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में खदान ब्लॉक विद्युत क्षेत्र के लिए नीलाम किए जा रहे हैं। अतः, यह वही खंड है जहाँ सरकार को व्यक्तिपरक निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला खनन क्षेत्रों के आबंटन में मनमर्जी अपनाई जा रही है, जिसमें सरकार यह तय कर रही है कि किस राज्य से विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला दिया जाएगा और किन खनन क्षेत्रों को गैर-विनियमित क्षेत्रों के लिए आबंटित किया जाएगा। यह विधेयक केंद्र सरकार को अत्यधिक अधिकार प्रदान करता है और यह राज्यों के विरुद्ध जाता है। यही कारण है कि हम इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के विरोध में हैं।

श्री तथागत सत्पथी: यह कोई सहकारी संघवाद नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं। अब माननीय मंत्री महोदय।

श्री पीयूष गोयल: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। भर्तृहरि जी ने दो-तीन मुद्दे उठाए हैं, मैं उन सबका समाधान करूंगा। सर्वप्रथम, उन्होंने अध्यादेशों के बारे में कहा। मुझे विश्वास है कि वे इस सरकार के सामने उस गंभीर संकट और चुनौती को समझेंगे जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने 204 कोयला ब्लॉकों का आबंटन निरस्त किया था। उनमें से कई, लगभग 42, पहले से ही उत्पादन कर रहे थे या उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार थे। इस सरकार के पास 31 मार्च के बाद उन खदानों का संचालन बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यदि ऐसा होता, तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाते, जिनमें से कुछ माननीय सदस्य के राज्य से भी होते। इससे कोयले की भारी कमी होती, जिससे देश पहले से ही ग्रस्त है। अतः सबसे पहले अध्यादेश को जारी करना आवश्यक हो गया था।

यह तथ्य कि विधेयक को लगातार व्यवधानों के कारण राज्य सभा में पारित नहीं किया जा सका, सभी माननीय सदस्यों के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राज्य के प्रति उनकी चिंताएँ केंद्र के समक्ष भी थीं, और इसलिए, जब विधेयक को पारित नहीं किया जा सका, सरकार ने दूसरे अध्यादेश को जारी करने का निर्णय लिया। यह एक तरह से सौगत राय जी के प्रश्न के उत्तर को भी संबोधित करता है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप केवल श्री महताब जी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दें।

श्री पीयूष गोयल: इसलिए, जब सभा बार-बार बाधित होती थी तो दूसरे अध्यादेश को प्रख्यापित करना आवश्यक था।

माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए खंड 7 का प्रश्न है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसकी केंद्रीय सरकार के लिए आवश्यकता है, और धारा खंड के अंतर्गत की गई किसी भी कार्रवाई को मनमाने ढंग से नहीं किया गया है। हमारी तकनीकी समिति, जिसमें इस्पात विभाग, डीआईपीपी समेत अन्य अंतर-विभागीय कार्यालय भी शामिल हैं, जिनके बारे में उन्होंने प्रश्न उठाया है, ने मिलकर एक निर्धारित मानक के आधार पर इस पर निर्णय लिया है। यह मापदंड माननीय न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, जहाँ इस मुद्दे को उठाया गया है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, दो खदानों के संबंध में माननीय न्यायालय ने निश्चित रूप से यह सुझाव दिया है कि तकनीकी समिति इसका पुनः मूल्यांकन कर सकती है, और उन दोनों का पुनः मूल्यांकन तकनीकी समिति द्वारा किया जा रहा है। लेकिन, इसके अलावा माननीय न्यायालय ने भी इसकी सराहना की। यह आवश्यक उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र में कोयले की जो भारी कमी है उसकी तुरंत पूर्ति की जा सके ताकि बिजली की कीमतें सबसे निम्नतर स्तर पर रखी जा सकें और इन्हें बढ़ने नहीं दिया जाए। अतः इन खदानों को बिजली क्षेत्र को दिया गया है जो कि विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 125 करोड़ भारतियों को प्रभावित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी के लिए किफ़ायती कीमत पर पर्याप्त कोयला और पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो, उन्हें एक परिभाषित मानक के आधार पर आबंटित करना आवश्यक था।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि उनके राज्य को काफी लाभ मिलने वाला है क्योंकि अब और ज्यादा खानों की नीलामी और आबंटन किया जाएगा। प्रारंभिक अवधि में केवल उन्हीं खानों को आबंटित किया गया है जो पहले से ही उत्पादन कर रही हैं या उत्पादन करने के लिए तैयार हो रही हैं। मैं मानता हूं कि आगामी समय में और अधिक खानों की नीलामी की जाएगी, जिससे उनके राज्य को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होगा। ये वे प्रारंभिक खदानें हैं, जिन्हें पहले ही संचालन हेतु खोला जा चुका है।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री पीयूष गोयल: प्रारंभिक खदानें पहले से ही खुल चुकी थीं और उत्पादनरत थीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा राज्य के पास ऐसी खदानें उपलब्ध नहीं थीं जो पहले से उत्पादन में रही हों। इसी कारण यह प्रतीत हो सकता है कि उक्त राज्य को अपेक्षाकृत कम खदानें प्राप्त हुई हैं। आगे चलकर और भी अधिक खदानों की नीलामी की जाएगी, लेकिन तकनीकी समिति ने परिभाषित मानदंडों के आधार पर — जो विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि विनियमित और अविनियमित क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर आधारित हैं — सभी क्षेत्रों के हितों और आवश्यकताओं की रक्षा के लिए एक ईमानदार प्रयास किया है।

यदि हमने भी वही किया होता जो पूर्व में किया गया था, तो हम पर भी वही आरोप लगते कि हम उन समस्याओं या अनियमितताओं को बरकरार रखे हुए हैं, जिनके कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा उन्हें निरस्त किया था।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष गोयल: महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———————

अपराह्न 1.25 बजे

अध्यादेश संबंधी विवरण...जारी

(दो) कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 7)* के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदया, मैं कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1848/16/15

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

नियम 377* के अधीन मामले

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामलों का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल को सौंप दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा, जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो जाए, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* सभा पटल पर रखा माना गया।

(एक) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ऋणग्रस्त किसानों के लिए ऋण-माफी योजना की घोषणा तथा उनके कल्याण के उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : पिछले 10 वर्षों में बुन्देलखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन में 55 फीसदी की कमी आई है। लगातार सूखा इसका प्रमुख कारण है। वर्तमान में बुन्देलखण्ड के सभी जिले सूखाग्रस्त घोषित हैं। बुन्देलखण्ड के किसानों के सभी कृषि ऋण माफ किए जाएँ। बैंकों द्वारा किसानों के उत्पीड़न व वसूली को रोका जाए। बुंदेलखण्ड के किसानों को चिरकालिक आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान कैसे हो, इस पर भी विचार किया जाए।

बुन्देलखण्ड में सूखे के चलते गाँव वालों के सामने अपने जरूरी खर्च पूरा करने के लिए नकदी की समस्या है। पढ़ाई और शादी जैसे कामों के लिए किसानों के पास ब्रेडिट कार्ड का सहारा भी नहीं बचा है। ऐसे में उनके सामने निजी सूदखोरों के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रदेश भर में प्रचलित सूद के रेट 2 से 3 रूपये सैंकड़े के उलट बुन्देलखण्ड में सूदखोर किसानों को 10 रूपये सैंकड़े की ब्याज दर पर कर्ज दे रहे हैं। खेत के खेत गिरवी रख दिये गये हैं। जमींदार अब शहरों में चौकीदारी पर उतर आए हैं। गाँव के गाँव बुजुर्गों से भरे पड़े हैं। उनके जवान बेटे शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं। एक किसान किन परिस्थितियों में अपनी खेती-किसानी छोड़ अनजान स्थानों की ओर पलायन करता है, इसका दर्द बस वह ही समझ सकता है।

(दो) राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए समुचित शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश मीना (दौसा) : मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दौसा (राजस्थान) में महिलाओं की मौजूदा स्थिति के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र दौसा तीन राजस्व जिलों में फैला है- दौसा, अलवर और जयपुर। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मात्र एक महिला कॉलेज है जिस कारण काफी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में औसत साक्षरता दर 68.16 प्रतिशत थी जिसमें पुरूष साक्षरता दर 82.98 प्रतिशत और स्त्री साक्षरता दर 51.93 प्रतिशत है। यह आँकड़ें दर्शाते हैं कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं। यह देखते हुए मैं केन्द्र और राज्य सरकार दोनों से दरख्वास्त करूँगा कि महिलाओं को पुरूषों के बराबर का दर्जा दिलाने के लिए महिलाओं की विशिष्ट कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थान की जरूरत को समझे और इस दिशा में जल्द कदम उठायें।

इसी तरह, महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल हर व्यक्ति का आधिकार है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में अस्पतालों में महिला डॉक्टरों की संख्या काफी कम है और अस्पतालों में महिलाओं के लिए कोई विशेष सेवा जैसे स्पेशल वार्ड इत्यादि कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं।

दौसा एक ग्रामीण क्षेत्र है और महिला डॉक्टरों के अभाव में महिलाएं पुरूष डॉक्टरों से खेद को आभिव्यक्त करने के लिए हिचकिचाती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में अस्पतालों की कमी और चिकित्सा की जानकारी के अभाव में काफी महिलाएं घर में ही बच्चों को जन्म देती हैं और सही इलाज न मिलने के कारण जन्म देने के दौरान ही मर जाती हैं, यह चिंता का विषय है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वे मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में महिलाओं के कल्याण के लिए उपयुक्त शैक्षिक और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

(तीन) झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण अस्पताल पुनः खोले जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण केन्द्रीय चिकित्सा केन्द्र स्थित है। करोड़ों रूपये की लागत से बना अस्पताल परिसर जिससे सैकड़ों मजदूर लाभान्वित होते थे, वर्तमान समय में यह अस्पताल परिसर लगभग बीस वर्षों से उजाड़ की स्थिति में पड़ा है। यहां पर नाम मात्र के केवल तीन चिकित्सक लगभग 20 वर्षों से हैं। स्थानीय मजदूरों द्वारा यहां पर सुविधाएँ बढ़ाने हेतु कई बार धरना-प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। यह अस्पताल पूर्व में काफी प्रसिद्ध था, लेकिन आज इसका भवन खण्डहर जैसी स्थिति में है।

अतः मेरा माननीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री जी से अनुरोध है कि इस अस्पताल को इ.एस.आई. के अधीनस्थ करते हुए इसका नवीनीकरण व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए।

(चार) बिहार के बख्तियारपुर और खगड़िया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को चार लेन का बनाये जाने के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : बिहार में 4 लेन सड़कों का विकास राष्ट्रीय औसत से कम ही हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा एन. एच. 31 को 4 लेन में परिवर्तित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई, जिसमें प्रथम पाली में बख्तियारपुर से मोकामा, द्वितीय पाली में मोकामा से सिमरिया और तीसरी पाली में सिमरिया से खगड़िया चार लेन राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण होना है, पर बिहार राज्य सरकार की भूमि आधिग्रहण के क्षेत्र में शिथिलता के कारण यह योजना ठण्डे बस्ते में पड़ी हुई है। इससे राष्ट्रीय क्षितिज पर बिहार का पिछड़ापन भी उज़ागर होता है।

अतः मेरा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह है कि बख्तियारपुर से खगड़िया तक 4 लेन की योजना के क्रियान्वयन की दिशा में आभिरूचि लेकर त्वरित कार्यवाही की जाए।

(पांच) नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहने वाली रोहिणी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए समुचित उपाय किये जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : जनपद गोरखपुर के अन्दर नेपाल से महाराजगंज होते हुए एक सदानीरा नदी रोहिनी आती है। यह कुछ समय पूर्व तक जनपद महाराजगंज-गोरखपुर की अत्यन्त साफ एवं पवित्र नदी थी। सैकड़ों गांव इसी के तट पर बसे हैं तथा इस नदी के पवित्र जल का सेवन भी करते हैं। पशुधन के साथ-साथ खेतीबाड़ी में भी इस नदी की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल के जनपद नवलपरासी में सोनवल चीनी मिल तथा अन्य उद्योगों का कचरा इस नदी में डालने के कारण रोहिनी नदी पूरी तरह प्रदूषित हो गई है। जलीय जीव मर रहे हैं। भीषण जल प्रदूषण से बदबू है। यह रोहिनी नदी गोरखपुर महानगर के डोमिनगढ़ के पास राप्ती नदी में मिल जाती है। इसके कारण राप्ती नदी भी प्रदूषित हो रही है। चूंकि इस नदी में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई तथा अन्य उद्योग नेपाल में स्थित है इसलिए स्थानीय प्रशासन इस सम्बन्ध में कुद नहीं कर पा रहा है।

भारत सरकार इसका संज्ञान ले और नेपाल के औद्योगिक कचरे के कारण महाराजगंज एवं गोरखपुर की पवित्र नदी रोहिनी को प्रदूषण से मुत्त करने के लिए नेपाल से बातचीत करके आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और नेपाल के प्रदूषित जल का कचरा भारत की किसी भी नदी में न आने पाए, यह सुनिश्चित किया जाए।

(छह) जिन किसानों की फसल को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजकुमार सैनी (कुरूक्षेत्र) : मैं सरकार का ध्यान अपने देश के किसानों की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। किसान बड़ी मेहनत से महँगे खाद एवं महँगी दवाईयों से फसलों को पैदा करता है, परंतु आवारा जंगली जानवरों विशेषकर नीलगायों द्वारा फसलों को कुचल व खाकर बर्बाद कर दिया जाता है जिससे किसानों की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है जिससे वह आज खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हैं। प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को मुआवजा मिल जाता है, परन्तु वह जंगली जानवरों से होने वाली फसलों की क्षति की भरपाई नहीं कर पाता।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि जिस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसानों की दशा में सुधार के लिए जंगली जानवरों द्वारा नष्ट हुई फसलों के लिए भी किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

(सात) राजस्थान के राजसमन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राजसमन्द झील में पर्याप्त जल स्तर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद में विश्व प्रसिद्ध मानव निर्मित ऐतिहासिक 'राजसमंद झील' स्थित है। विगत कई वर्षों से यह झील अपने भराव क्षमता के अनुरूप भर नहीं पाई है। इसकी वजह से इस झील का पर्यटक महत्व कम होता जा रहा है। इस झील की पाल का निर्माण मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा राज सिंह जी द्वारा बड़े ही कलात्मक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कराया गया है। इस पाल पर राज प्रशस्ति नामक ग्रंथ पत्थरों पर खुदा हुआ है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस ऐतिहासिक झील को इसकी पूर्ण क्षमतानुसार भराए जाने की व्यवस्था की जाए ताकि यह झील आधिक से आधिक पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन सके।

(आठ) असम में मिसामारी-रंगपारा-बलीपाड़ा सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम प्रसाद शर्मा (तेजपुर): मैं मिसामारी-रंगापाड़ा-बलीपाड़ा सड़क (23 कि.मी.) पर सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसे वर्ष 2011 के दौरान निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य के लिए सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) द्वारा लोक निर्माण विभाग असम सरकार से अधिग्रहित किया गया था। रक्षा की दृष्टि से यह सड़क मिसामारी से अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी सड़क है। मिसामारी सबसे बड़ी सैन्य छावनी में से एक है, जिसे 2011 में संभागीय मुख्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था।

यह सड़क पिछले कई वर्षों से दयनीय स्थिति में है, भले ही वर्ष 2011 में बी.आर.ओ. ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। सड़क को पूरा नहीं करने का कारण केवल बी.आर.ओ. को माना जाता है। सड़क की वर्तमान स्थिति किसी भी प्रकार के वाहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है और इससे दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रंगापाड़ा कस्बे और राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के बीच बालीपाड़ा और थेलामारा प्वाइंट पर सड़क, ग्रेटर रनापाड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 30 से अधिक चाय बागान, ग्रामीण-दूरस्थ गांव और असम-अरुणाचल सीमा तक फैले पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं।

अब समय आ गया है कि सरकार इस मामले को देखे और बी.आर.ओ. के संबंधित अधिकारियों को बिना किसी और देरी के सड़क का निर्माण पूरा करने का निदेश दे। यदि सीमा सड़क संगठन सड़क निर्माण से इनकार करता है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय निर्माण का अधिग्रहण कर सकता है, क्योंकि यह सड़क रक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की है।

(नौ) राजस्थान में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : जल संसाधन की कमी के मद्देनज़र पेयजल की विकट स्थिति को देखते हुए राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आतिरिक्त धनराशि का आबंटन करने की मांग काफी समय से चल रही है। राज्य में दीर्घकालीन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु आगामी 10 वर्षों की अवधि में रूपये 1,50,000 करोड़ की आवश्यकता है, जो सामान्य रूप से रूपये 40,000 करोड़ स्टेट प्लान, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी., जे.एन.एन.यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। इस तरह रूपये 1,10,000 करोड़ की विशेष सहायता आगामी 10 वर्षों में रूपये 11,000 करोड़ प्रतिवष् के हिसाब से आवश्यक होगी। माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की माननीय केन्द्रीय मंत्री के साथ दिनांक 04.07.2014 को दिल्ली में आयोजित बैठक में ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु राशि रूपये 72,750 करोड़ की कमी बतायी गयी, जिसके बाबत विशेष सहायता आगामी 10 वर्षों में 7,275 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. मद में आवश्यक होगी। इस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा भी एक ज्ञापन 29.06.2009 से तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा देने हेतु भेजा गया था, परंतु आज दिनांक तक भारत सरकार के स्तर पर निर्णय लम्बित है।

अतः मेरा माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री से आग्रह है कि राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत रूपये 7,275 करोड़ प्रतिवर्ष धनराशि देने की कृपा करें ताकि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को पीने का पानी मिल सके।

(दस) कर्नाटक के धारवाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कपास के लिए खरीद केंद्र खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का धारवाड़ जिला, कर्नाटक के सबसे बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इस मौसम में, बाजार में बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के कपास की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हुई है, विशेषकर कुंडागोल, कालाघाटगी, नवलगुंड, धारवाड़, हुबलू तालुकों से और हुबली में भारतीय कपास समिति द्वारा खरीद की प्रक्रिया प्रगति पर है लेकिन सहकारी समितियों द्वारा जिन कीमतों पर खरीदारी की जा रही है, वे किसान के लिए लाभदायक नहीं हैं। खुले बाज़ार में कीमतें सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई हैं। इस वर्ष कपास उगाने वाले किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय कपास सोसाइटी ने केवल हुबली में क्रय केन्द्र खोला है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में कपास के बंडल पड़े हुए हैं। किसान जमा हुए स्टॉक को जल्दी निकालने के लिए भारतीय कपास सोसाइटी द्वारा अधिक क्रय केन्द्र खोलने की मांग कर रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि भारतीय कपास सोसाइटी को कालाघाटगी, अन्निगेरी, धारवाड़, नवलगुंड में नए खरीद केंद्र खोलने का निर्देश, किसानों को दिए जाने वाले प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ दिया जाए। वर्तमान में हमारे क्षेत्र में, सभी प्रकार के कपास की खरीदारी 3800-4000 रुपये में की जा रही है, जो संतोषजनक नहीं है और इसे बढ़ाकर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(ग्यारह) केरल के चेंगान्नूर में एक एडवांस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और इट्टुमनूर में रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): मैं सरकार का ध्यान राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केरल में प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की अपर्याप्तता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार ने संप्रग-1 के दौरान वर्ष 2007 से कौशल विकास कार्यक्रमों पर प्रमुख जोर दिया है और कौशल विकास पहल के तहत और अधिक आई.आई.टी. की स्थापना करने के लिये प्रयत्नशील है। केरल शिक्षित और प्रशिक्षित श्रम शक्ति पैदा करता है। केरल न केवल देश के भीतर बल्कि विश्व स्तर पर श्रम शक्ति की आपूर्ति कर रहा है। जब हम दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो हमारी प्रशिक्षित श्रम शक्ति भी विश्वस्तरीय होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षक, प्रशिक्षु आदि होने चाहिए। इसलिए, विशाल कार्य बल को प्रशिक्षित करना और उन्हें अपनी क्षमता का कार्यक्षम करने में सक्षम बनाना एक बड़ा कार्य है। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा और, प्रशिक्षण संस्थानों आदि को स्थापित करना होगा। महिलाओं के कौशल, प्रशिक्षण और विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत डी.जी.ई.एंड टी. को एन.वी.टी.आई. और आर.वी.टी.आई. के नेटवर्क के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार की पहलों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2013 के दौरान चेंगान्नूर में एक एडवांस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ए.टी.आई.) और इट्टूमनूर में एक आर.वी.टी. स्थापित करने का निर्णय लिया है। लेकिन अभी तक इन केंद्रों को खोलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं निवेदन करता हूं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय को इट्टूमनूर में आर.वी.टी.आई. और चेंगान्नूर में ए.टी.आई. को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया जाए।

(बारह) केरल में अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों के आवेदनों जिनकी मेरिट -कम-मीन्स छात्रवृत्ति छोटी तकनीकी गलतियों के कारण अस्वीकार कर दी गई थी, पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया केरल राज्य में 2000 छात्रों की शिकायत का निवारण करें, जिनके मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृति छात्रवृत्ति के आवेदन छोटी तकनीकी गलती के कारण खारिज कर दिए गए हैं। यह पता चला है कि प्रत्येक आवेदक को इस वर्ष 30,000 रुपये का नुकसान होगा। इसका मतलब है कि केरल में अल्पसंख्यक छात्रों को 6 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृति की भावना और उद्देश्य के विरुद्ध है। केरल की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से भी इन छात्रों की मदद करने का अनुरोध किया है। इसलिए, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह मानवीय आधार पर इन छात्रों के मामले पर विचार करे और आवश्यक कार्रवाई करे ताकि वे मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृति का लाभ उठा सकें।।

(तेरह) तमिलनाडु के विलुपुरम और टिंडीवनाम रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किये जाने और कंदामंगलम, काटपाडी और अरकनल्लूर में रेलवे समपारों पर सड़क उपरिपुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री एस. राजेन्द्रन (विलुप्पुरम): दक्षिणी रेलवे की प्रमुख रेलगाड़ियाँ विलुपुरम जंक्शन से गुजरती हैं और यह जंक्शन दक्षिण भारत के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बराबर अधिक यात्रियों को संभालता है। सुविधाओं की बात करें तो विलुपुरम जंक्शन कई मायनों में पिछड़ रहा है जिसके कारण असुविधा हो रही है। विलुपुरम जंक्शन को उपयुक्त रूप से उन्नत किया जा सकता है, जिससे इसे सुविधाओं से भरपूर एक नया रूप मिले। यही हाल टिंडीवानम रेलवे स्टेशन का भी है, जो तमिलनाडु को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से जोड़ता है। इसके अलावा, विलुपुरम-पुडुचेरी रोड पर कंदामंगलम लेवल क्रॉसिंग और विलुपुरम-तिरुकोविलुर लाइन पर अरकनल्लूर लेवल क्रॉसिंग को यातायात की भीड़-भाड़ और आम जनता के सामने आने वाली भारी परेशानियों से बचाने के लिए सड़क उपरिपुलों का निर्माण का निर्माण करना होगा।

अतः मैं सरकार और रेलवे मंत्रालय के साथ-साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वे इस समन्वित उपाय को लागू करें ताकि रेलवे यात्रियों और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके।

(चौदह) ओडिशा के बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा सुरक्षापायों को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): मेरे बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों जैसे प्रूफ एंड इन्टेरिम टेस्ट रेंज (आई.टी.आर.) को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के ना होने के कारण लगातार खतरा बना हुआ है।

हाल ही में, ओडिशा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो विदेशी एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी प्रदान कर रहा था। यह मामला सुरक्षा में एक गंभीर चूक है और वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की खोखलापन को उजागर करता है। जो जानकारी दुश्मन के हाथों में जा सकती थी, वह रक्षा संस्थानों के आस-पास स्थित तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों और स्वयं प्रतिष्ठानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

बालासोर में एक विशाल तटरेखा है जिसमें कई सारे रास्ते हैं और विदेशी तत्वों द्वारा घुसपैठ के उदाहरण कई अवसरों में दर्ज किए गए हैं। इस विशाल तटीय सीमा पर प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त और अकुशल है, जिससे निर्दोष नागरिकों के जीवन को लगातार खतरा बना रहता है तथा राष्ट्रीय रक्षा संस्थानों की सुरक्षा से समझौता होता है।

इसलिए, मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बालासोर में स्थित महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों के पास पर्याप्त सक्रिय और सुरक्षा उपाय करे ताकि इस प्रकार की सुरक्षा चूक से उत्पन्न होने वाले तत्काल खतरों से लोगों को बचाया जा सके।

(पंद्रह) महाराष्ट्र के ग्रेटर मुंबई में तटीय विनियमन जोन-II क्षेत्रों में स्लम पुनर्वास योजना के कार्यान्वन के लिये नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधनों को अंतिम रूप देने में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री जी का ध्यान तटीय विनियमन जोन-2 क्षेत्रों मे स्लम पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 6 जनवरी, 2011 को ग्रेटर मुंबई की स्लम पुनर्वास योजनाओं के लिए तटीय विनियमन जोन-2 क्षेत्रों में अनुमेय एफ.एस.आई. बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों के बारे में एक अधिसूचना जारी की। लेकिन अभी तक, इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पिछली राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ इस मामले को ठीक से आगे बढ़ाने में विफल रही है।

यह सर्वविदित है कि तटीय विनियमन जोन-2 क्षेत्रों में स्लम क्षेत्र सभी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। तटीय विनियमन जोन-2 क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के पुनर्वास के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय को एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह सुझाव दिया गया कि तटीय विनियमन जोन-2 क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को गैर-तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में और प्रचलित डी.सी.आर. के अनुसार अनुमेय एफ.एस.आई. में वृद्धि की अनुमति दी जाए। तटीय विनियमन जोन-2 क्षेत्रों में स्लम पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के लिए 27-8-2013, 23-12-2013 और 8-7-2014 को प्रस्तुत किए गए हैं।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया लंबित मामलों पर गौर करें और अधिक से अधिक मुंबई में तटीय विनियमन जोन-2 क्षेत्रों में स्लम पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों के संशोधन के लिए जल्द से जल्द आदेश जारी करें।

(सोलह) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तेलंगाना में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 26 (1) में कहा गया है कि "संविधान के अनुच्छेद 170 में निहित प्रावधानों के अधीन और इस अधिनियम की धारा 15 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्तराधिकारी राज्यों की विधान सभा में सीटों की संख्या क्रमशः 175 और 119 से बढ़ाकर 225 और 153 कर दी जाएगी और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है..."

भारत के निर्वाचन आयोग ने राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित होने के एक वर्ष बाद भी परिसीमन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

तेलंगाना सरकार राज्य में नए जिले बनाने का इरादा रखती है, जिसके लिए विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन जल्द से जल्द पूरा किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधान सभा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार जिले के भीतर ही रहे।

मेरा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई करे और हस्तक्षेप करे और भारत के चुनाव आयोग को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उचित निर्देश जारी करें।

(सत्रह) कोट्टप्पुरम से कोल्लम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-3 का तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के कुलांचल तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल): जल संसाधनों को दुनिया का सबसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई अच्छी नदियां हैं जो या तो नौवहन योग्य हैं या नौवहन योग्य बनाई जा सकती हैं। केरल में पानी के बहुत अच्छे प्रवाह के साथ 44 नदियां हैं। वर्तमान में केरल में केवल एक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केवल कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। केरल और तमिलनाडु की सड़कों पर, विशेष रूप से भारी वाहनों, अतिविशाल माल तथा खतरनाक सामग्री के बढ़ते यातायात भीड़ को कम करने के लिए, तमिलनाडु के कन्न्याकुमारी जिले में कोल्लम से कुलाचल तक जलमार्ग का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही, पूर्व में स्थापित तिरुवनंतपुरम-शोरनूर नहर के जलमार्गों का विकास और आधुनिकीकरण अब भी लंबित है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं भारत सरकार से उक्त हिस्से को भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने और भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा विकास गतिविधियाँ शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

———————

अपराह्न 2.31 बजे

*सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : अब, हम मद सं. 11, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार करेंगे। श्री वैंकैय्या नायडू।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा। यह बहुत ही सरल विधेयक है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने वर्ष 2014 में संसद के अंतिम सत्र में इस विधेयक पर चर्चा की थी और इसे पारित किया था, और फिर यह राज्य सभा में गया था। हमने इसे वर्ष 2014 में पारित किया था; यह राज्य सभा में गया था और वर्ष 2015 इसे उस सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था। अतः, मुझे दो संशोधन करने हैं। एक यह है कि पैंसठवें के स्थान पर छियासठवें वर्ष होगा, यानी गणराज्य की स्थापना के बाद यह छियासठवां वर्ष है। दूसरा संशोधन, खंड 1 में पृष्ठ 1 की पंक्ति 4 में अंक 2014 के स्थान पर अंक 2015 को प्रतिस्थापित किया जाए। इसलिए, वर्ष के परिवर्तन के कारण ये केवल परिणामी संशोधन हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

---

* लोक सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 2014 को विधेयक पारित किया गया और इस पर सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 24 फरवरी, 2015 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 25 फरवरी, 2015 को लोक सभा को लौटा दिया।

“कि सरकारी स्थान (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम,1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "पैंसठवें " शब्द के स्थान पर शब्द “छियासठवें" *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, *अंक* "2014" के स्थान पर अंक "2015" *प्रतिस्थापित किया जाए।*

माननीय उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है। इसलिए, हमें केवल इसमें संशोधन करना होगा।

प्रश्न यह है:

“कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "पैंसठवें" शब्द *के स्थान पर*, शब्द "छियासठवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

खंड 1

3. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, अंक "2014" *के स्थान पर* अंक "2015" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को एक साथ सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, शब्द "पैंसठवें" के स्थान पर शब्द “छियासठवें” *प्रतिस्थापित* किया जाए।

खंड 1

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, *अंक* "2014" के स्थान पर अंक "2015" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करेंगे कि राज्य सभा द्वारा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014 में किए गए संशोधनों पर लोक सभा द्वारा यथा पारित रूप में, सहमति दी जाए।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदय, मैं सदन का आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 2.34 बजे

नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम मद सं. 12 और 13 पर विचार करेंगे। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है"

महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं विधेयक के विभिन्न प्रावधानों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इस सम्माननीय सभा के समक्ष विधेयक लाया जा रहा है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इस विधेयक के पुर:स्थापन के समय भी मैंने ये आपत्तियां व्यक्त की थीं। महोदय, आप जानते होंगे कि यह सरकार द्वारा प्रख्यापित नौवां अध्यादेश है। यह सरकार द्वारा सात महीने के भीतर प्रख्यापित नौवां अध्यादेश है। आज भी माननीय सदस्य महताब जी ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रख्यापित किया जाता है, जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप या तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। जहां तक वर्ष 2014 के नागरिकता विधेयक या अध्यादेश का संबंध है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसी तात्कालिकता नहीं है और न ही कोई तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी इस तरह के अध्यादेश जारी करने के लिये क्या कारण दे रहे हैं? आप कृपया ध्यान दें कि माननीय प्रधान मंत्री ने अक्टूबर 2014 में अमेरिका और नवम्बर 2014 में ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान विदेशों में भारतीय नागरिकता कार्ड और भारतीय मूल के व्यक्तियों के कार्ड को 7 जनवरी 2015

तक विलय करने की घोषणा की थी। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था और अगले सत्र तक इंतजार नहीं किया जा सकता था, इसलिए नागरिकता अध्यादेश जारी किया गया।

महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र प्रश्न है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने अक्टूबर 2014 में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में और इसके बाद उन्होंने नवम्बर 2014 में ऑस्ट्रेलिया में भी वही घोषणा की। मान लीजिए कि सरकार माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में इतनी रुचि रखती है, तो वो शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में बहुत आसानी से ला सकते थे।

एक और संवैधानिक प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि क्या माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में विधान की आवश्यकता है या नहीं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर जानना चाहूंगा। हां, माननीय प्रधान मंत्री जी ने मैडिसन स्क्वायर के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया में भी एक बयान दिया है। क्या इसे एक आकस्मिक प्रावधान के रूप में माना जाए ताकि संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सके? नहीं, महोदय, कभी नहीं। संसद के बाहर या संसद के अंदर इतने सारे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन यह कभी भी अध्यादेश जारी करने का संवैधानिक अधिकार नहीं बन सकता। यहां अध्यादेश का प्रख्यापन केवल माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए आश्वासन के आधार पर है कि 7 जनवरी, 2015 से पहले, विदेशों में रहने वाले भारतीय कार्ड धारक और भारतीय मूल के व्यक्ति का एक साथ विलय कर दिया जाए। यह माननीय प्रधान मंत्री जी का एक वक्तव्य है। यह अध्यादेश जारी करने का एक बड़ा कारण नहीं बन सकता है।

23 दिसंबर, 2014 को एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, यानी नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसे सदन में पुरःस्थापित किया गया। यह वही दिन था जब सभा *अनिश्चित काल* के लिए स्थगित हो गई। 6 जनवरी, 2015 को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। फिर 26 फरवरी, 2014 को विधेयक वापस ले लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया उस विधेयक को देखें जिसे 23 दिसंबर, 2014 में पुर:स्थापित किया गया है और 6 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित अध्यादेश में वह प्रावधान या संशोधन नहीं है जिसे 2015 विधेयक में शामिल किया गया।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी भारतीय नागरिक (ओ.आई.सी.) कार्डधारकों को नागरिक का दर्जा या कुछ सुविधाएं प्रदान करना है, जिसके लिए उस परिभाषा की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 के विधेयक और 6 जनवरी को प्रख्यापित अध्यादेश में एक भी ओ.आई.सी. कार्ड धारक की परिभाषा नहीं है जिस लापरवाही से विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं विधेयक में एक और दोष बताना चाहूंगा, विधेयक पुर:स्थापित किए जाने के समय में ही मैंने इसे उजागर किया था, और वह है कि वर्ष 2015 के विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी संशोधन के बारे में नहीं बताया गया है। संशोधन क्या है? एक नई परिभाषा को धारा 2(1)(ङङ) के रूप में शामिल किया गया है। पूर्व परिभाषा को एक नई परिभाषा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन उद्देश्य और कारणों के विवरण में नई परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसीलिए मैं विधेयक पुर:स्थापित किए जाने के समय कह रहा था कि यह एक अपूर्ण और अक्षम विधेयक है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इस तरह के संशोधन करने के कारणों का उल्लेख नहीं है। विधेयक और अध्यादेश में उपबंधों का समावेश नहीं है। मेरा कहना है कि संसद की अनदेखी की जा रही है और ऐसे विधान लाने की कोई तात्कालिकता नहीं है। इससे क्या संकेत मिलता है? संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत निर्धारित कारणों को बताए बिना, संसद की विधायी सर्वोच्चता या विधि-निर्माण की शक्ति को कार्यपालिका द्वारा, सरकार द्वारा छीन लिया गया है। यही कड़ी आपत्ति है जो मैं करना चाहता हूं।

अब मैं विधेयक के कुछ प्रावधानों पर भी आता हूं क्योंकि हम इन दोनों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं और कार्यसूची कागजात में भी यही कहा गया है। कुछ आपत्तियों और कुछ स्पष्टीकरण मांगने के अलावा, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह दुनिया में भारतीय प्रवासियों की लंबे समय से लंबित मांग है। हमें भारतीय

मूल के लोगों की आकांक्षाओं, और भावनाओं का सम्मान करना होगा। साथ ही, हमें अपने देश की राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के लिए उनके द्वारा दी जा रही अद्भुत सेवा की सराहना करनी चाहिए। हमें निश्चित रूप से उन्हें मान्यता देनी चाहिए और भारत को दुनिया का एक शक्तिशाली देश बनाने में उनके कौशल और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करना होगा। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

मैं अप्रवासी भारतीयों के संबंध में भी एक बात कहना चाहूंगा। अप्रवासी भारतीय भी देश के विकास में बहुत योगदान देते हैं। विशेष रूप से विदेशी मुद्रा आय के मामले में, एन.आर.आई. द्वारा जबरदस्त योगदान दिया जा रहा है। हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल से एक दिन पहले पेश किए गए बजट में *प्रवासी* देश में एन.आर.आई. के कल्याण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हम हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और हम पुरस्कार आदि देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से *प्रवासियों* के पुनर्वास और कल्याणकारी गतिविधियों की मांगों पर सरकार द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए।

धारा 5 में संशोधन करने के बारे में, मुझे एक संदेह है और मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वो इसे स्पष्ट करें। संशोधन की धारा 5 के अनुसार, एक विदेशी नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति, या किसी विदेशी नागरिक से विवाहित भारतीय नागरिक, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण करने का हकदार है। वर्तमान कानून के अनुसार, देश में 12 महीने के निरंतर प्रवास के बाद, 30 दिन की छूट दी जाती है। यह अच्छी बात है। इसका अर्थ है कि हम किसी विदेशी भारतीय नागरिक को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर रहे हैं। मुझे इस संबंध में संदेह है और मैं गलत भी हो सकता हूं। और वह यह है कि दोहरी नागरिकता की भूमिका क्या है? भारतीय कार्ड धारक की विदेशी नागरिकता का अर्थ है कि उसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है और यदि उसके पास 5 साल का ओसी कार्ड है और यदि वह आवेदन करने से पहले हमारे देश में 12 महीने का निरंतर प्रवास कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने का हकदार है। इसका मतलब है कि उसे दोहरी नागरिकता मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं कि दोहरी नागरिकता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है?

महोदय, क्योंकि हम सभी विदेश जा रहे हैं और भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, मैं उस प्रावधान से पूरी तरह सहमत हूं जो संशोधन की धारा 7(क) में किया जा रहा है, अर्थात, भारतीय मूल के व्यक्ति और ओ.सी.आई. कार्ड धारक का विलय करना क्योंकि इसमें बहुत भ्रम की स्थिति है। जहां तक भारतीय मूल के व्यक्ति का संबंध है, वह 15 वर्ष के वीज़ा का हकदार है। जहां तक ओ.सी.आई. कार्ड धारक का संबंध है, वह आजीवन वीज़ा पाने का हकदार है। इसलिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ने और ओसीआई कार्डधारकों को और अधिक सुविधाएँ और अवसर देने का यह एक अत्यंत स्वागत योग्य कदम है।

अंत में, मैं धारा 7क(3) में संशोधित प्रावधान के बारे में कुछ आशंकाओं के बारे में बताना चाहूंगा। मैं उद्धृत करना चाहूंगा; "उप-धारा 1 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि केंद्र सरकार को विश्वास हो कि विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं, तो वह लिखित रूप में परिस्थितियों को दर्ज करने के बाद किसी व्यक्ति को भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत कर सकती है।" यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे मैं माननीय मंत्री जी और सरकार के सामने लाना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति को भारत का विदेशी नागरिक कार्ड धारक घोषित करना सरकार का अप्रतिबंधित अधिकार है। यह कैसे हो सकता है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में वास्तविक कारणों पर विचार किए बिना विदेशियों और भारतीयों को अवैध पासपोर्ट जारी करने के मामले में नोटिस जारी कर दिए। झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट के आधार पर इतने लोगों को पासपोर्ट दिए गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया गया है। इसलिए, यह प्रावधान मनमाना है। मान लीजिए, यदि सरकार और नौकरशाही के अधिकारी किसी व्यक्ति को ओसीआई कार्ड देना चाहते हैं, तो केवल लिखित में कारण बताने पर सरकार की इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। यह मनमाना है और यह एक निरंकुश अधिकार है जो कार्यपालिका या सरकार को प्रदान किया जाता है। इसलिए, मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। दुर्भाग्य से, आज मैं केवल संशोधन प्रस्तुत कर सका, लेकिन यह फ़ाइल में नहीं आया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि धारा 7 खंड 3 के उपबंध की कृपया

समीक्षा करें क्योंकि यह मनमाना है और फिर से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

मैं एक बार फिर इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लाए जाने का कड़ा विरोध करता हूं और विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप कोई भाषण या उसका उत्तर देना चाहते हैं, अन्यथा आप यह समाप्त कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): हम अंत में जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): चर्चा हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष: सांविधिक संकल्प और विधान दोनों को एक साथ युग्मित कर दिया गया है। आपने संकल्प प्रस्तुत किया, उन्होंने उस पर भाषण दिया। यदि मंत्री इच्छुक हैं, तो वे अब उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा वे अंत में उत्तर दे सकते हैं। मुझे यही जानना है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वे अंत में जवाब दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यह ठीक है।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिटिजेनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2015 पर अपनी बात रखने का जो आपने मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका बेहद आभारी हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आभारी हूं कि प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली अमेरिकी यात्रा में जो वायदा अप्रवासी भाई-बहनों से किया था कि वे प्रवासी भारतीय दिवस से पहले ओ.सी.आई. और पी.आई.ओ. को एक साथ मर्ज़ कर देंगे, उसके लिए उन्होंने संज़ीदगी दिखाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रेमचन्द्रन जी बार-बार

इसके लिए ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इसके लिए इतनी जल्दी क्यों है? उसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूं। हमारे दल में एक बात जरूर होती है कि इस देश का प्रधान मंत्री कोई बात कहता है और अगर हम उसका पालन नहीं कर सकते, तो यह हमारे लिए अफ़सोस की बात होती है। पर, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ कहा और उसका पालन हम लोगों ने 7 जनवरी से पहले करके दिखा दिया। प्रेमचन्द्रन जी को यह बात इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि हम लोगों ने पिछली लोक सभा में देखा कि माननीय मनमोहन सिंह जी यहां कुछ वक्तव्य देते थे और एक माननीय सांसद, जो उस समय पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे, वे अपने पार्टी ऑफिस में जाकर बिल फाड़ दिया करते थे। उनको यह समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री की किसी बात का क्या महत्व होता है, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री की बात का महत्व समझते हैं। प्रधानमंत्री का कुछ भी कहा हुआ, हमारे लिए एक ऐसी लकीर है, जिसे काटा नहीं जा सकता है। मैं बहुत अच्छी तरह से इसे समझता हूँ, क्योंकि वहां हमेशा से ड्यूल पॉवर की बात रही है, इसलिए वे यह बात नहीं समझ सकते हैं।

जब इस बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो प्रो0 सौगत राय जी ने इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध किया था और उन्होंने यह कोट किया था :

[अनुवाद]

> “यह एक नई शैली है जो सरकार अपना रही है कि विधेयक प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर एक अध्यादेश लाती है और फिर वह मूल विधेयक को बदलने की कोशिश करती है। यह कुशासन है।”

[हिन्दी]

अगर किसी बिल में कोई गड़बड़ी है और उसे सुधार लिया जाता है, तो यह बैड गवर्नेंस का क्या एग्जाम्पल है, यह हम लोगों की समझ से परे है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति जी के आभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कहा था, इस बिल के नहीं, दूसरे बिल के सन्दर्भ में, कि अगर आज भी हमें कोई बताए कि इस बिल में क्या

सुधार की जरूरत है, तो हम उसे करने को तैयार हैं। अगर बिल को वक्त रहते सुधार लिया गया तो इसके लिए अपोजीशन को हमें धन्यवाद देना चाहिए, न कि इसका विरोध करना चाहिए।

बैड गवर्नेंस की जो बात सांसद कहते हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग एक ऐसा प्रदेश देख रहे हैं, जहाँ हर हफ्ते या तो कोई सांसद या कोई मंत्री जेल चला जाता है। यहां तक कि कोई मुख्यमंत्री के साथ विदेश यात्रा करता है और आने के बाद वह भी जेल चला जाता है। उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री रोड पर मार्च करती हैं और उसे करेक्टर सर्टिफिकेट देती हैं कि यह बहुत अच्छा है। इस तरह की चीजों को बैड गवर्नेंस कहते हैं, बिल सुधारने को बैड गवर्नेंस हरगिज नहीं कहते हैं।

सिटिजनशिप एक्ट में चार मुख्य बातें कही गई हैं। मैं प्रेमचन्द्रन जी का आभारी हूं कि उन चारों का उन्होंने सपोर्ट किया है। पहली बात तो यह है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया करके दो भाग दिया जाता था और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को 15 साल के ऊपर के वीज़ा का सपोर्ट नहीं मिलता था और 6 महीने बाद हर 15 दिन में थाने जाना पड़ता था, इन दोनों को मर्ज करके ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर करके एक कार्ड दिया गया और उनकी पूरे परिवार और बच्चों को जो ओ.सी.आई.सी. कार्ड देने का प्रावधान किया गया है, उसके चलते मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके चलते वे लोग भी यहां पर प्रापर्टी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है।

प्रेमचन्द्रन जी ऑब्जेक्ट कर रहे थे, लेकिन यह एक अच्छी धारा है कि अगर मुख्य एक्ट की धारा 7(1) में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर की पत्नी अथवा पति दूसरे मूल का है, तो उसे बार-बार वीज़ा के लिए अलग से जाना पड़े, यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ब्यूरोक्रेट क्लियरेंस नहीं देगा तो क्या पॉलिटिकल पर्सन क्लियरेंस देंगे या रोड पर चलने वाला आदमी क्लियरेंस देगा, उसे क्लियरेंस हमारे यहां रॉ देगी या कोई भी सक्षम ब्यूरोक्रेट ही देगा, इसलिए यह एक अच्छी चीज है। कम से कम आगे उनके विदेशी मूल के पति या पत्नी को दिक्कत नहीं होगी।

तीसरा, मूल आधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में है कि ओ.सी.आई.सी. का कोई नागरिक भारत का नागरिक बनना चाहता है तो एक साल के बदले उसे तीस दिनों का लिबरल व्यू दिया गया है, लेकिन उसे लिखित कारण के साथ दिया गया है। अगर गवर्नमेंट किसी से संतुष्ट है, कोई दो-चार बार चला गया, उसका कोई इंपोर्टेंट काम है, तो उसके चलते भी उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल पाएगी। यह भी एक बहुत अच्छी धारा है।

चौथा, अगर ओ.सी.आई.सी. का कोई आदमी खुद अपना सरेंडर करता है तो उसकी वाइफ और माइनर बच्चों का भी सरेंडर हो जाता है। ये चारों धारायें अच्छी हैं और मैं इनका समर्थन करता हूं। हमारे यू.पी.ए. के माननीय साथी ने भी समर्थन किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इससे एक बहुत ही मिलता-जुलता बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, 2011 यू.पी. ए. गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया था। जैसा कि यू.पी.ए. गवर्नमेंट के समय हर बिल का हश्र होता था, वैसे ही वह बिल भी पास नहीं हो पाया। उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे आज के वर्तमान पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री एम. वैंकैय्या नायडू थे। आज जब इस बिल पर डिस्कशन हो रहा है, तो मैं उस स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस को जरूर कोट करना चाहूंगा :

[अनुवाद]

"समिति इस बात पर चिंतित है कि भारत आए पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी देश के नागरिक तो बन सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य विधान सभा चुनावों में मतदान का कोई अधिकार नहीं है। उनके बच्चों को कुछ सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिला नहीं मिल पाता है और उन्हें भी जम्मू-और कश्मीर की राज्य सरकार में कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। समिति को यह समझाया गया कि इस समस्या को हल करने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया था - यह तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा एक आश्वासन था - लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। "

"…..समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार इस मामले को जम्मू और -कश्मीर सरकार के समक्ष उठा सकती है और जल्द से जल्द एक स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पलायन करने वाले चकमा शरणार्थियों के मुद्दे की भी जांच की जाए और जल्द समाधान निकाला जाए।

समिति यह भी चाहती है कि रियांग आदिवासियों के मुद्दे की भी जांच की जाए। मिजोरम और त्रिपुरा की सरकारों के साथ आगे चर्चा हो और जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाए। "

[हिन्दी]

ये सब स्टैंडिंग कमेटी के रिकमैण्डेशन्स थीं और उसके चेयरमैन, आज के हमारे माननीय पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनकी बातों पर भी ध्यान दे। इतना ही नहीं वर्ष 2003 में, जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी सिटिजनशिप अमैण्डमेन्ट बिल, 2003 राज्य सभा में लाये थे, तब विपक्ष के नेता श्री मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था, मैं उसे भी कोट करना चाहूंगा। [अनुवाद] भारतीय प्रवासी विधेयक के संबंध में यह कहा गया था और मैं उद्धृत करता हूँ:

"जब मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं, महोदया, मैं शरणार्थियों के साथ होने वाले व्यवहार के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और यह हमारा नैतिक दायित्व है कि यदि परिस्थितियां, इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को हमारे देश में शरण लेने के लिए मजबूर करती हैं, तो इन दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों को नागरिकता देने का हमारा दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। मैं पूरी आशा करता हूं कि माननीय उप प्रधान मंत्री (श्री आडवाणी तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री थे) नागरिकता अधिनियम के संबंध में भविष्य की कार्रवाई को करते समय इसे ध्यान में रखेंगे।"

माननीय उपाध्यक्ष : श्री आडवाणी, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक भी पीड़ित हैं। उनका भी ध्यान रखना होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदया, मैं इस विचार का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। ”

[हिन्दी]

आज जब यह चर्चा हो रही है कि हम अप्रवासी भारतीयों को बहुत विशेष सुविधायें दे रहे हैं तो मेरा आपसे यह भी अनुरोध रहेगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के जो भाई परेशान हैं, उनके बारे में भी हमारी सरकार को जरूर सोचना चाहिए और उनके लिए भी एक सिटिजनशिप अमैण्डमेन्ट बिल जरूर आना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिटिजनशिप बिल, 2015 को फुंल्ली एन्डोर्स करता हूं, उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शनवास (वायनाड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 एक बहुत ही आवश्यक विधेयक है लेकिन मुझे इसके कुछ प्रावधानों के संबंध में आशंकाएं हैं।

सबसे पहले, मैं अपने माननीय सहयोगी श्री प्रेमचन्द्रन जी द्वारा इस सरकार द्वारा अपनाए गए अध्यादेश मार्ग पर पर उठाई गई आपत्तियों को उजागर करना चाहता हूं। मैं यह दोहराना नहीं चाहता कि श्री प्रेमचन्द्रन जी ने क्या कहा था।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पी.ओ.आई. और ओ.सी.आई. योजनाओं का विलय करना कोई नया विचार नहीं है। भाजपा के मेरे माननीय सहयोगी ने स्वयं कहा है कि इस प्रकार का एक विचार पिछली बार यूपीए सरकार ने शुरू किया था और इसे राज्य सभा में पारित किया गया था। इसे तत्कालीन माननीय मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी और फिर श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन जी (तत्कालीन गृह मंत्री) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में लोक सभा में विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी।

जैसा कि एनडीए सरकार की प्रथा रही है, जो नौ महीने पहले सत्ता में आई है, यह सरकार हमेशा वही कर रही है जो कांग्रेस पिछले पांच या दस वर्षों में कर चुकी है। इसलिए, मैं अपने भाजपा सहयोगियों को यह बताना चाहता हूं कि दो कार्डों को मिलाने की इस पहल का विरोध विभिन्न प्रवासी समुदायों द्वारा किया गया था, विशेष रूप से भाजपा के विदेशी मित्रों द्वारा विरोध किया गया था जिन्हें ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा कहा जाता है।

अपराह्न 3.00 बजे

वे दोनों कार्डों के विलय को लेकर चिंतित थे और इसके विरुद्ध थे।

अध्यादेश के संबंध में, वे इंतजार कर सकते थे। श्री प्रेमचन्द्रन जी ने अध्यादेश के मार्ग के बारे में विस्तार से बात की। नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014 को वापस लेने के लिए बताए गए कारण माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका और वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्राओं के दौरान की गई घोषणाएं थीं। प्रधान मंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका में भाषण देते हैं और उनके भाषण के कारण, सरकार अध्यादेश मार्ग अपनाने का निर्णय लेती है।

संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, यदि संसद का कोई भी सभा सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियां हों, जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी प्रधान मंत्री द्वारा विदेश में दिया गया भाषण ही अध्यादेश जारी करने का एकमात्र कारण हो सकता है। क्या यह एक नया चलन बन सकता है, या ऐसा करना भविष्य में एक स्थिर परंपरा बन जाएगी?

संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया था कि अध्यादेश बनाने की शक्तियां आवश्यक हैं, क्योंकि मौजूदा कानून में कोई कमी हो सकती है और कुछ तात्कालिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी के अनुसार, कानून लागू करने की शक्ति कार्यपालिका को उस विशिष्ट परिस्थिति से निपटने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि वह सामान्य विधिक प्रक्रिया का सहारा नहीं

ले सकता। फिर भी, मैं इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों का समर्थन करता हूँ, क्योंकि यह एक आवश्यक कदम है।

अधिकांश भारतीय प्रवासी चाहते हैं कि इन दोनों कार्डों को एक साथ मिला दिया जाए। वर्तमान में, भारत में यात्रा करने वाले विदेशी भारतीय कार्डधारकों को विभिन्न चेक प्वाइंटों पर आव्रजन की समस्याओं से बचने के लिए 'यू' वीज़ा स्टीकर और भारतीय कार्ड के विदेशी नागरिक वाले पासपोर्ट ले जाने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब है, मंत्री महोदय कि यदि आपका पासपोर्ट 'यू' वीज़ा स्टीकर समाप्त हो गया है और एक नए पासपोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो आपको पुराने पासपोर्ट को भी ले जाने की आवश्यकता है प्रवासी भारतीय नागरिकता की स्थिति प्रमाणित की जा सके। मुझे लगता है कि यह तरीका बहुत ही खराब है। ऐसे समय में जब बायोमेट्रिक पासपोर्ट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक आवश्यकता बन चुके हैं, प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड धारकों को ऐसी असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि ओसीआई की स्थिति के हस्तांतरण को स्वचालित करने हेतु तकनीकी उपाय अपनाए जाएं। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ओसीआई कार्डधारकों को भारत आने-जाने के लिए आजीवन वीजा की सुविधा प्राप्त है, और इससे देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर आव्रजन काउंटरों पर होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकेगा।

आइए अब हम विशिष्ट खंडों को देखें। धारा 7 घ कहती है:

"केंद्र सरकार, आदेश के माध्यम से, तो वह धारा 7क की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिया गया पंजीकरण रद्द कर सकती है। यदि उसे लगे कि -

(ख) भारतीय कार्ड धारक के विदेशी नागरिक ने संविधान के प्रति असंतोष दिखाया है, जैसा कि कानून द्वारा स्थापित किया गया है;

मैं इस सिद्धांत से सहमत हूं। लेकिन कौन तय करेगा कि व्यक्ति ने संविधान के प्रति असंतोष पैदा किया है? इसे तय करने का प्राधिकार किसको है? इसी धारा में एक अन्य उपबंध जिसमें कहा गया है कि यदि एक प्रवासी

भारतीय नागरिकता कार्डधारक, जिसे उप-धारा 7(क) के खंड(घ) के अंतर्गत कार्ड प्राप्त हुआ है, का विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो, तो वह कार्ड रद्द किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी कृपया इन दो पहलुओं पर विचार करें। विवाह विघटन एक ऐसी शर्त है जहां कार्ड को रद्द किया जा सकता है जहां पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। विवाह का विघटन और बाद में ओ.सी.ए. स्थिति का खंडन एक ऐसा मुद्दा है जो इस सरकार द्वारा हल किये जाने की मांग करता है। विवाह-विघटन कैसे एक कारण बन सकता है कि एनआरआई को उसके अधिकारों से वंचित किया जाए? किस व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत विवाह आता है? क्या यह मुस्लिम कानून है? क्या यह एक ईसाई कानून है? या यह एक हिंदू कानून है? इसलिए, माननीय मंत्री जी कृपया इस मामले को देखें और विवाह-विघटन, पंजीकरण को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।

अगला मुद्दा संविधान के प्रति असंतोष से संबंधित है। हम सभी संविधान का सम्मान करते हैं। हम संविधान के रक्षक हैं। हम अपने संविधान से प्रेम करते हैं और हम अपने संविधान की शपथ लेते हैं। उसी में हमारा अस्तित्व समाया हुआ है। मैंने पहले यह सवाल पूछा था कि इस संविधान के प्रति असंतोष का निर्णय कौन करेगा। सदन के माननीय सदस्यगण, हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे हैं जहाँ एक पुलिसकर्मी या जांच अधिकारी किसी अनजान प्रवासी भारतीय को जो भारत यात्रा पर आ रहा है, यह निर्देश दे सकता है कि उसे राष्ट्रद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाए।

मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां वेटिकन के अधिकारियों और पादरी को, जब वे भारत की यात्रा करना चाहते थे, वीज़ा नहीं दिया गया था। वे भारत के विरुद्ध किसी साजिश के कारणों से यहां नहीं आना चाहते थे। वे कैथोलिक पादरियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आना चाहते थे। उन्हें इस देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो, कौन तय करेगा? सरकार का रवैया सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसमें देशद्रोह के इस पहलू पर गौर किया जाता है। माननीय सदस्य कृपया उस घटना को याद करें कि कैसे डॉ. बिनायक सेन जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता को देशद्रोह के आरोपों के कारण जेल में डाल दिया गया था। हमें समझना चाहिए कि इस विधेएक में ऐसे प्रावधानों को लाकर कितनी बड़ी

समस्या पैदा की जा रही है। डॉ. बिनायक सेन ने अदालत से पूछा था कि 'राजद्रोह' क्या है। न्यायधीश ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि यह "राजद्रोह" है। यह किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए, इस धारा पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। यह भारत के हित और संप्रभुता के लिए आवश्यक है। इस धारा को हटाया जा सकता है।

मैंने माननीय प्रधान मंत्री का कार्यक्रम देखा है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले प्रधान मंत्री हैं, लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि उन्होंने अब तक मध्य पूर्व का दौरा नहीं किया है। इसलिए, वे नागरिकता के पहलू के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय मेहनतकश हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। वे इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए हर साल 20 बिलियन डॉलर देते हैं। उनके पास उचित आजीविका नहीं है; उनके पास उचित कमाई नहीं है। इसलिए, इस पहलू पर सरकार द्वारा गौर किया जाना चाहिए। मैं सरकार से उनके कल्याण के लिए कदम उठाने की मांग करता हूं। पश्चिमी देशों से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से और कनाडा से आने वाले प्रवासी सभी की स्थिति बहुत अच्छी हैं, लेकिन मध्य पूर्व में गरीब श्रमिकों के मामले पर विचार करें। उनके मामले को न केवल नागरिकता के संबंध में बल्कि उनके भविष्य के संबंध में भी ध्यान में रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार उचित कदम उठाएगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सेवा के अधिकार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दूतावास प्रवासियों और हमारे नागरिकों को अच्छी सेवा नहीं दे रहे हैं। इसलिए, सेवा के अधिकार को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं माननीय मंत्री जी और मंत्रिमंडल का ध्यान मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ दर्जनों लोगों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो दुर्भाग्य से पाकिस्तान के नागरिक हैं। 1950 के दशक में, वे कुछ छोटे व्यवसाय जैसे चाय की दुकान आदि करने के लिए पाकिस्तान गए थे और उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता मिली है। जब कारगिल में कोई युद्ध छिड़ता है, तो इन लोगों को हमारे सीमा क्षेत्रों में घेर लिया जाता है। वे स्वतंत्र रूप से घूम-फिर नहीं सकते, न ही कहीं जाने की अनुमति पाते हैं। उन्हें सीमा पर पहुंचाकर

पाकिस्तानी अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर वे पाकिस्तान की जेलों में कठोर परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इन लोगों को ध्यान में रखें। जो लोग 80 की आयु के आस-पास हैं, उनकी याचनाओं का भी समाधान किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, मैं सरकार के उस निर्णय की प्रशंसा करता हूँ, जो यूपीए सरकार के मार्गदर्शन में दोनों कार्डों को मिलाने की दिशा में कदम उठा रही है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के संबंध में बोल रहा हूं। नियम 367 के अधीन, मुझे निम्नलिखित व्यक्तिगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है। महोदय, यह यहां प्रासंगिक है। कृपया मेरी बात सुनिए।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह विषय से संबंधित है? आप इसे लिखित रूप में दीजिए, फिर बाद में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाऊँगा।

श्री पी.आर. सेनथिलनाथन (शिवगंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर इस चर्चा पर बोलने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

चूंकि यह विधेयक विदेश जाने वाले हमारे लोगों और उनके भारत वापस आने से संबंधित है, इसलिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र शिवंगंगा के फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार की भारत वापसी का स्वागत करना चाहूंगा। मैं हमारी प्रिय नेता, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा,* प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा अफगानिस्तान से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों का दिल से धन्यवाद देता हूं।

अब विधेयक पर आते हुए, मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। हमारे पास दो प्रकार के कार्ड हैं, अर्थात् भारतीय मूल के लोग (पी.आई.ओ.) कार्ड और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (ओ.सी.आई.) कार्ड।

पी.आई.ओ. कार्ड धारक भारत में लगातार एक साल रहने के बाद पूर्ण भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हैं। पी.आई.ओ कार्डधारकों को भारत आने के लिए आवधिक वीज़ा दिया गया था जबकि ओ.सी.आई. कार्ड धारकों के पास आजीवन बहु-प्रविष्टि वीज़ा है।

अब इस संशोधन विधेयक के माध्यम से एक वर्ष के लिए निरंतर प्रवास अपेक्षित नहीं है। पी.आई.ओ कार्ड धारक कुछ अंतराल के साथ रह सकते हैं और नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए 12 महीने तक ठहर सकते हैं।

यह विधेयक एक नए कार्ड को 'भारतीय विदेशी कार्ड धारक, (आई.ओ.सी.) के रूप में नामित करने के लिए पी.आई.ओ. कार्ड और ओ.सी.आई. कार्ड दोनों को मिलाने का भी प्रयास करता है। निरंतर प्रवास को इस कारण से छूट दी गई है क्योंकि बढ़ते वैश्वीकरण के कारण लोगों को आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के चलते विदेश जाना पड़ता है।

नाबालिग बच्चों के लिए वीज़ा या ओ.सी.आई. कार्ड प्राप्त करने में हमेशा समस्या होती है। यहां तक कि जब माता-पिता दोनों या उनमें से एक विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक होते हैं, तो नाबालिग बच्चों को हमेशा वैध यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने में समस्या होती है। अब, इस संशोधन विधेयक की धारा 7क के माध्यम से, नाबालिग बच्चों के लिए ओ.सी.आई. पंजीकरण को पाना सरल बनाया जाएगा।

मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्री लंका, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल के भारतीय मूल के लोगों को पी.आई.ओ. कार्ड क्यों नहीं दिए जाते हैं, जबकि हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर भारतीय नागरिक बनने के योग्य विदेशी नागरिकों को ओ.सी.आई. कार्ड दिया गया था। जब हम इन दो कार्डों का विलय कर देंगे तो पड़ोसी देशों के लोगों के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज क्या होगा?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आधार कार्ड को भी इससे जोड़ा जाएगा। हमें इस प्रक्रिया के स्पष्टीकरण और सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है।

मैं पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के लोगों के मामले में सरकार द्वारा की गई चिंता को समझ सकता हूं। लेकिन मैं यह समझने में असफल रहा कि भारतीय मूल के लोगों, विशेषकर श्रीलंका के तमिलों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है। मुझे लगता है कि इस संबंध में हमारी विदेश नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

हम देखते हैं कि केंद्र सरकार सभी श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को वापस भेजने की व्यवस्था कर रही है। यहां तक कि वर्ष 1983 के बाद भारत में ऐसे तमिल शरणार्थियों के यहां जन्मे बच्चों को भी अब अपने माता-पिता के पास वापस जाना होगा। तमिलनाडु की हमारे नेता अम्मा द्वारा चलाई जा रही सरकार चाहती है कि इन शरणार्थियों को तत्काल वापस न भेजा जाए, हमें वहां अनुकूल वातावरण बनने तक इंतजार करना चाहिए।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु की हमारी सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया जाए।

हाल ही में, कनाडा के नागरिकता और आव्रजन मंत्री ने हमारे तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कनाडा के मंत्री ने कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण राज्यों का दौरा करने की योजना बनाई थी जैसे तमिलनाडु, जो पहले से ही एक निवेशक अनुकूल राज्य होने के लिए जाना जाता है।

उन्होंने पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी के गतिशील नेतृत्व में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना की। जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो उन्होंने एन.आर.आई और पी.आई.ओ. से वादा किया कि भारत की उनकी यात्रा उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। उस वादे को पूरा करने के लिए यह सरकार यह संशोधन विधेयक ला रही है जिसे पिछली यू.पी.ए. सरकार ने प्रस्तावित किया था। मुझे आशा है कि यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं है।

हमारे अधिकांश भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ, कुशल श्रमिक और आई.टी. पेशेवर के रूप में विदेशों में जाते हैं। हमारे अधिकांश तमिल युवा दुनिया के कई हिस्सों में जाते हैं। इन सभी लोगों के साथ व्यापारी समुदाय के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि प्राचीन काल से ही शिवगंगाई क्षेत्र के लोग हमेशा अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के अलावा म्याँमार, मलेशिया, सिंगापुर और श्री लंका जैसे देशों की यात्रा करते रहे हैं। उन्हें भी वही व्यवहार मिलना चाहिए जो व्यापारी समुदाय को दिया जा रहा है क्योंकि कानून के लिए सभी समान हैं।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, आपकी पार्टी के सदस्य अब अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस विषय का अपने भाषण में उल्लेख करें।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: किस बारे में? क्या इसका इस विषय से कोई संबंध है जिस पर चर्चा हो रही है?

... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय:...*

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आपने अपनी बात रख दी है। कृपया बैठ जाइए।

... (*व्यवधान*)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह मुद्दा उठाने का प्रश्न नहीं है। कृपया मेरी बात सुनिए। मेरा यहां केवल यही निवेदन है। प्रो. सौगत राय अभी कुछ बता रहे थे। संभवतः, जब डॉ. संजय जायसवाल जी बोल रहे थे, वे सदन में उपस्थित नहीं थे। आप इसे कार्यवाही-वृतान्त से देख सकते हैं। डॉ. संजय जायसवाल जो बोल रहे थे उसे हम सब लोग सुन रहे थे।

प्रो. सौगत रायः वे क्या बोल रहे थे? … (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: तब आप सभा में उपस्थित नहीं थे। … (*व्यवधान*) मुझे बोलने दीजिए।

महोदय, माननीय सदस्य एक मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन जब डॉ. संजय जायसवाल जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब वे सदन में उपस्थित ही नहीं थे। डॉ. संजय जायसवाल जी के द्वारा दिए जा रहे वक्तव्य को हम सब सुन रहे थे। यह सब सदन के कार्यवाही-वृतान्त में है। मुझे याद नहीं है और हम में से किसी को भी वह विषय याद नहीं है जिसे प्रो. सौगत राय उठा रहे हैं। यह विषय चर्चा में बिल्कुल भी नहीं आया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनका वक्तव्य बिल्कुल गलत है। उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे सभा के कार्यवाही-वृतान्त से जांचा जा सकता है। डॉ. संजय जायसवाल ने प्रो. सौगत राय का कोई संदर्भ नहीं दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ... *

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों और आप उस समय सभा में उपस्थित हों, तो आप अपनी आपत्ति तत्काल उठा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी आपत्ति इस कारण है कि उसमें आपका नाम लिया गया है, तो उस स्थिति में आपको विधिवत रूप से उसके लिए पूर्व सूचना देनी होगी।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. सौगत रायः मैंने सूचना दी है।

माननीय उपाध्यक्ष: यह सूचना नहीं है। आपको सुबह दस बजे से पहले सूचना देनी होगी।

प्रो. सौगत राय: आप मुझे बताइए कि मैंने सूचना दी है या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष: यह सूचना नहीं है। उसके लिए पूर्व सूचना प्रातः दस बजे से पहले देनी होती है। तभी उस विषय को विचार हेतु लिया जा सकता है।

प्रो. सौगत रायः मैं सदन के नियमों का पालन करने को पूर्णतः तैयार हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं निर्णय देता हूं। आप क्यों दोहरा रहे हैं?

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप कोई भी विषय उठाना चाहते हैं, तो आपको दस बजे से पहले सूचना देनी होगी। आप इस तरह नहीं कर सकते। यह उचित तरीका नहीं है कि आप अपनी इच्छा से किसी भी समय मुद्दे को उठाएं। आपने जो भी विषय उठाया है उस पर अब विचार नहीं किया जा सकता है।

अब, अगली वक्ता डॉ. रत्ना डे (नाग)।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इस पर अपना निर्णय दे दिया है। प्रो. सौगत राय, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वे नियम और प्रक्रिया जानते हैं। भाषण देते समय, वे आपत्तियां, व्यवस्था का प्रश्न आदि उठा सकते हैं। बाद में, यदि उन्हें कोई आपत्ति है, तो वे कार्यवाही-वृतांत को देख सकते

हैं और 10 बजे से पहले सूचना देकर उस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया है। अब आपने जो भी विषय उठाया है, वह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): महोदय, मुझे नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देना चाहती हूं। नागरिकता अधिनियम, जिसमें विधेयक के माध्यम से संशोधन किया जा रहा है, महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय नागरिकता प्राप्ति और निर्धारण का प्रावधान करता है।

इससे पहले मैं विधेयक के विवरण में जाऊं, मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार ने 6 जनवरी, 2015 को नागरिकता अध्यादेश प्रख्यापित किया था जिसका उद्देश्य श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.) को आजीवन वीज़ा देने की घोषणा करते हुए न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को दिए गए आश्वासन को पूरा करना था।। अध्यादेश को 6 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित किया गया था क्योंकि प्रधान मंत्री को 9 जनवरी, 2015 को गुजरात में प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करना था।

प्रस्तावित संशोधन उचित है क्योंकि कुछ कमियाँ सामने आई हैं। विशेष रूप से, संशोधन से नागरिकता अधिनियम की धारा 5 में “भारत में एक वर्ष से निवास कर रहा है' शब्दों को '12 महीने से भारत में सामान्यतः निवासी है' से प्रतिस्थापित किए जाने की उम्मीद है। इसी प्रकार, 'भारत के विदेशी नागरिक' को 'भारतीय कार्ड धारक के विदेशी नागरिक' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस संशोधन के द्वारा "पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजन कार्ड होल्डर" शब्द में से ओरिजिन शब्द को हटाकर "ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर" शब्द प्रतिस्थापित करना सामयिक है क्योंकि इसके द्वारा जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे हटाने का प्रयास किया गया है। इस सम्माननीय सभा के समक्ष लाए गए विधेयक और संशोधन विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है क्योंकि यह वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम की कमियों को दूर करता है।

मैं पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर-इन दोनों कार्डों के विलय का स्वागत करती हूं। लेकिन मैं उस विधेयक पर अपनी आपत्ति रखना चाहूंगी जो अध्यादेश के माध्यम से सभा में लाया गया था। मैं सरकार द्वारा अपनाए गए अध्यादेश के मार्ग पर आपत्ति करती हूं। धन्यवाद, महोदय।

प्रो. सौगत रायः मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। क्या आपने पूरा एक्सपंज कर दिया? … (*व्यवधान*) मैं सूचना दूंगा। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आपने कहा कि आपने सूचना दी है, जिसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और जो कुछ भी आपने कहा है उसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। यही मैंने कहा है।

... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं यहां नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा में भाग लेने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूँ, और यह 2015 (संख्यांक 1) का पहला अध्यादेश है। अध्यादेश मार्ग अपनाया गया। मैंने अध्यादेश मार्ग अपनाने पर अपनी आपत्ति दी थी। सुबह जब कोयला खान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था, तब मैंने विस्तार से बताया था कि 1950 और 1954 में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री मावलंकर और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच क्या बातचीत हुई थी। मैंने प्रथम लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लिखे गए पत्रों को उद्धृत किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि इस लोक सभा को अध्यादेश जारी करने के तरीके को मानकीकृत करना होगा।

मैंने एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक भी प्रस्तुत किया है जब भी यह चर्चा के लिए आएगा तो मुझे लगता है कि हमारे सभा के कई सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे। चर्चा हमारे संविधान से अध्यादेश के प्रावधान का उन्मूलन करने के संबंध में है। संसदीय जनतंत्र के इतिहास को पढ़ते हुए मैं यह पता लगाना चाहता था कि वे कौन-कौन से संसदीय लोकतंत्र हैं, जिनमें इस अध्यादेश का प्रावधान है। मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा जानकारी लेना चाहूंगा। क्या यह सच है कि अध्यादेश का प्रावधान केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के संविधान

में है? या यह विशेष प्रावधान कई अन्य संसदीय लोकतंत्रों में भी प्रचलित है? यदि उन देशों में अध्यादेश का रास्ता लिए बिना विधि के प्रख्यापन में कोई कठिनाई नहीं आती है तो हमें अपने अपने संविधान में औपनिवेशिक मनोवृति के भार को ढ़ोने की क्या आवश्यकता है? स्वतंत्रता के प्राप्ति के वर्ष 1947 से या हमारे संविधान के लागू होने के 1950 से अब तक, हमें यह बोझ क्यों उठाना चाहिए कि कार्यपालिका यह निर्धारित करे कि कानून क्या होगा, और संसद मात्र उसे अनुमोदित करने वाला एक औपचारिक अंग बन जाए? इस पर चर्चा होनी चाहिए।

<u>अपराह्न 3.30 बजे</u> (श्री हुकुम सिंह *पीठासीन हुए*)

महोदय, उस आधार पर मैं कहूंगा कि बीजू जनता दल कानून को लागू करने के इस अध्यादेश मार्ग का विरोध करता है। ...(व्यवधान) इसलिए करते हैं क्योंकि वह है। इसीलिए संविधान में सुधार की आवश्यकता है; इसीलिए हर राज्य को अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने से भी रोका जाना चाहिए। यह देश की संसद का अपमान है; यह देश के जनादेश का अपमान है। कार्यपालिका को कानून बनाने का जिम्मा क्यों लेना चाहिए? यह निर्वाचित जनादेश है जिसको देश का कानून बनाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं किसी अन्य देश में ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा इसके बारे में जानना चाहूँगा।

यहां, मेरे प्रिय सहयोगी, श्री प्रेमचन्द्रन जी ने पहले ही इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की अनिवार्यता का उल्लेख किया है। लेकिन एक मामले में मैं उनसे सहमत नहीं हूं। वह यह है कि जब प्रधान मंत्री जी कहीं भी—चाहे वह मैडिसन स्क्वायर हो या ऑस्ट्रेलिया—कोई बयान देते हैं, तो वह सरकार की स्पष्ट मंशा होती है। यदि यही सरकार की मंशा है, तो सरकार उसे या तो अध्यादेश के द्वारा, जैसा कि उन्होंने किया है, या विधेयक के माध्यम से आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहां जो हुआ, वह क्या है? सरकार की मंशा प्रधानमंत्री द्वारा मैडिसन स्क्वायर में और बाद में ऑस्ट्रेलिया में व्यक्त की गई थी। लेकिन यदि सरकार को यह मंशा इतनी अत्यावश्यक

लगती, तो यह अध्यादेश शीतकालीन सत्र के समापन के बाद बहुत देर से क्यों जारी किया गया? माननीय प्रधान मंत्री का वक्तव्य अक्टूबर, 2014 में दिया गया था। बाद में, यह शीतकालीन सत्र शुरू होने से बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था। यह ऐसा जटिल विधेयक नहीं है जिसे विचार-विमर्श के लिए बहुत समय की आवश्यकता हो। पहले भी यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था। पहले ही गृह मामलों की स्थायी समिति ने इस विधेयक पर चर्चा की थी। अतः, मुझे लगता है माननीय प्रधान मंत्री और सरकार की मंशा को देखते हुए, शीतकालीन सत्र में यह विधेयक लाया जा सकता था। यह राज्य सभा में पारित नही हो पाता, यह अलग बात है। लेकिन यह प्रस्तुत किया जा सकता था और इसलिए अध्यादेश से बचा जा सकता था। लेकिन यहां अध्यादेश मार्ग अपनाया गया है और विधेयक हमारे सामने है। विधेयक पुरःस्थापित करने में इतना समय क्यों लगा? इसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

दूसरी बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि धारा 5, खंड 2, उप-धारा 1(क) के संशोधन में एक शब्द है, जहां यह उल्लेख किया गया है - जो नागरिकता अधिनियम का हिस्सा है - 'एक वर्ष के लिए भारत में रह रहे हैं' शब्दों के स्थान पर 'बारह महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है। यहां, मैं कहूंगा 'सामान्य रूप से निवासी', शब्द का निश्चित अर्थ होता है। इस विधेयक में, भारत में निवास करने की अवधि को एक वर्ष तक सीमित किया जा रहा है।

माननीय सभापति: मुझे आपको बाधित करने के लिए खेद है। मेरा विचार है कि हमें आज एक और विधेयक पर भी चर्चा करनी है, अतः प्रत्येक वक्ता का समय पाँच से सात मिनट तक सीमित किया जाएगा। कृपया सहयोग करें।

श्री भर्तृहरि महताब: इस विधेयक के संबंध में 'सामान्य रूप से निवासी' को एक वर्ष की सीमा तक सीमित रखा गया है, इस एक वर्ष को आगे संशोधित करके "सरकार की संतुष्टि तक" रखा गया है और "सरकार की संतुष्टि" को पुनः विभिन्न अंतरालों में 30 दिनों तक सीमित किया गया है। इसका मतलब है कुछ खास आदमियों के लिये यह हो रहा है। कुछ विशिष्ट लोगों को आपकी प्राथमिकता में रखा गया है। यह भेदभाव क्यों किया जा

रहा है? यह आपके शासनकाल में न हो, पर जब कोई कानून लागू होता है, तो वह कानून तब तक सभी के लिए लागू रहता है जब तक उसे संशोधित न किया जाए। भविष्य में, जब आप सत्ता में न हों, तब इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस प्रावधान के तहत कार्यपालिका या वह अधिकारी, जो निर्णय करेगा, उसके पास अत्यंत व्यापक विवेकाधिकार होगा कि किसे कार्ड दिया जाए, किसे न दिया जाए, किसे 30 दिन के भीतर दिया जाए, और किसे विभिन्न अंतरालों पर दिया जाए, खासकर यदि वह व्यक्ति देश से बाहर गया और पुनः वापस आया हो।

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: यह मेरी आशंका है। मुझे खुशी होगी अगर मेरी आशंका दूर हो जाए।

महोदय, मेरे पास एक और मुद्दा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि सभा के दूसरी तरफ जो सदस्य बैठे हैं, वे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मैं संबंधित प्रावधान को पढ़ना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

> "इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे अन्य देशों का नागरिक है या रहा है, जिन्हें केन्द्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।"।

कोई भी व्यक्ति अगर वह पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है तो पात्र नहीं होगा। यह उन लोगों को अस्वीकार करता है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासी हैं। यह खंड कहाँ से उत्पन्न होता है? यह भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री लियाकत अली के बीच एक समझौते से निकला है। जब इस उपमहाद्वीप में भयंकर रक्तपात हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश में तथा दूसरे देश से इस देश में आ रहे थे, उस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों में यह समझौता हुआ था कि हम अपने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकेंगे, क्योंकि वे एक विशिष्ट धर्म से संबंधित हैं। तो, यह संविधान में दिखाई दिया। समझौता वर्ष 1948 में किया गया था। बाद में वर्ष 1950 में यह संविधान में परिलक्षित हुआ। मैं भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध करूंगा। आज केवल देश के दक्षिणी

हिस्सों में ही नहीं, बल्कि राजस्थान, जहां से श्री मेघवाल जी निर्वाचित हैं, और गुजरात में भी बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से पलायन करने को मजबूर हुए हैं क्योंकि वे एक विशेष धर्म के अनुयायी हैं। उन्हें उनके धर्म के कारण अत्याचार सहना पड़ा है।... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: अब, मैं अगले वक्ता को बुलाता हूं; कृपया समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि वे इस प्रावधान को क्यों नहीं हटाते। यहां बड़ी संख्या में लोग निवासरत हैं, जो अपनी आजीविका चला रहे हैं और सुरक्षित हैं। यह देश किसी भी धर्म के पालन करने वालों को संरक्षण प्रदान करता है। यदि वे मदद के लिए हमारे पास आते हैं, तो सहारा देने के लिए आश्रय प्रदान किया जाता है। क्या हम उन्हें नागरिकता नहीं दे सकते? हमने नागरिकता कानून और नागरिकता के अधिकार को इस तरह से काफी हद तक कमजोर कर दिया है। लेकिन वे लोग, जिनका धर्म के कारण बांगलादेश या पाकिस्तान जैसे देशों में उत्पीड़न हो रहा है, क्या हम उन्हें नागरिकता नहीं दे सकते? अब समय आ चुका है कि इस मुद्दे पर विचार किया जाए और इसे संविधान से हटाया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): महोदय, धन्यवाद। मैं पी.आई.ओ और ओ सी.आई. कार्डों को आपस में मिलाने के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा मेडिसन स्क्वायर में दिए गए आश्वाशन के बाद व्यक्तिगत पहल करने के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। विदेशी नागरिकों के प्रति माननीय प्रधान मंत्री के भावनात्मक लगाव ने दुनिया भर के देशों में अब ओ.सी.आई. कार्ड प्राप्त करने के लिए एक अच्छी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। इस विधेयक के माध्यम से वह उस आश्वासन को पूरा कर रहे हैं और मैं उसका स्वागत करता हूं।

महोदय, 200 से अधिक देशों में अनुमानित 25 मिलियन एन.आर.आई., पी.आई.ओ. और ओ.सी.आई. फैले हुए हैं। कुल मिलाकर, उन्होंने केवल वर्ष 2013-14 में भारत को लगभग 70 बिलियन डॉलर का धन भेजकर योगदान दिया।

मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि मैं खुद कई सालों तक एन.आर.आई. रहा हूँ, मेरे जीवन के पहले आधे हिस्से तक, हालांकि 20 साल पहले मैं भारत वापस आ गया। मुझे एन.आर.आई. होने का जो परायापन महसूस होता है, मैं उसे अच्छे से समझता हूं। साथ ही, यह भी जानता हूं कि मातृभूमि के प्रति प्रेम हमेशा बना रहता है और चाहे वे कितने भी साल विदेश में बिताएं, यह प्रेम कभी कम नहीं होता।

अमेरिका में रहने वाले एन.आर.आई. के बीच, सबसे अधिक संख्याओं में से मेरे राज्य आंध्र प्रदेश से आते हैं। मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या मेरे गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से आती है। आज, आप किसी भी गांव में जाएं, किसी भी शहरी क्षेत्र की किसी भी गली में जाएं, लगभग हर घर में कोई न कोई एनआरआई विदेश में रहता है और उनमें से हर कोई अपने परिवारों को तथा राज्य और देश की भलाई के लिए पैसा भेज रहा है। हाल के हुदहुद संकट के दौरान और हमारी नई राजधानी बनाने के लिये संसाधन जुटाने के अभियान में भी पूरी दुनिया में रहने वाले अनिवासी भारतियों ने काफी धन का योगदान दिया है। अतः, भारतीय प्रवासी के साथ सम्बन्ध हमारे देश के लिये लाभदायक हैं। भारतीय प्रवासी विश्व में सर्वाधिक प्रतिभाशाली समुदाय है और हमें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़कर रहना चाहिए।

सरकार का उद्देश्य भारतीय प्रवासियों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाकर रखना होना चाहिए। हमें उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि हमें उनकी चिंता हैं; हम उन्हें भारत के भविष्य में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं ताकि वे हमारे देश की विकास गाथा में अपना योगदान दे सकें जो कि वे कर सकते हैं। और हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे वे हमसे अलगाव महसूस करें। बल्कि, हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो उन्हें आकर्षित करे ताकि वे न केवल निवेश के प्रति अपना झुकाव दिखाएं बल्कि अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम भी दिखाएं।

दोहरी नागरिकता के संदर्भ में, मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता है कि हम दोहरी नागरिकता की अनुमति क्यों नहीं देते हैं जिससे अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। दुनिया के कई देश हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करने का फैसला करते हैं तो हम अकेले नहीं होंगे। आइए, देशभक्ति जैसे भाषणात्मक वक्तव्यों को एक तरफ रखकर तर्कसंगत दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करें। विदेशों में रहने वाले भारतीय हमारे देश में रहने

वाले भारतीयों से कम देशभक्त नहीं हैं। इसलिए, यह तर्क कोई मायने नहीं रखता है। मैं जानता हूं कि हमारा संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। लेकिन संविधान का संशोधन करके ऐसा किया जा सकत है।

दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय अनेक वर्षों से दोहरी नागरिकता की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2003 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की वकालत की थी प्रस्तावित ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड भारतीय नागरिकों द्वारा प्राप्त राजनीतिक, आर्थिक, लोक सेवा और अन्य अधिकारों के बराबर अधिकार प्रदान करने वाली दोहरी नागरिकता प्राप्त की उनकी मांग को पूरा नही करता है।

महोदय, इस विधेयक के अनुसार विदेशों में रह रहे भारतीयों को धारा 3, 4, 5, 5क एवं 6 के अंतर्गत और लोक सेवा तथा जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 16 के अंतर्गत मतदाता बनाने पर रोक लगाई गई है। जब हम उन्हें लगभग सभी अधिकार और सुविधाएं दे रहे हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि लोक सेवा तथा जन प्रतिनिधित्व कानून और दोहरी नागरिकता के तहत उन्हें मतदान अधिकार एवं अन्य अधिकार देने में कोई भी बुराई नहीं है।

कुछ देश ऐसे हैं जो राष्ट्रीय चुनावों में नहीं तो कम से कम स्थानीय चुनावों में विदेशी नागरिकों को मतदान का अधिकार दे रहे हैं। लेकिन, यहां हम उन्हें वोटर कार्ड प्राप्त करने से रोक रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें स्थानीय चुनावों में मतदान करने से भी रोक रहे हैं।

धारा 7क के अंतर्गत प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओ.सी.आई.) को आर्थिक, वित्तीय एवं शिक्षा के क्षेत्रों में एन.आर.आई. के समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन, सा.का. 542 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2005 के अनुसार, जो दिनांक 11.4.2005 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड-3(2) में प्रकाशित हुआ था, के अनुसार ओ.सी.आई. कृषि या बागान सम्पदा का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। मैं इसके पीछे के औचित्य

और तर्क को समझने में विफल हूं। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने एवं इससे सम्बंधित अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

भारतीय प्रवासी समुदाय में ओसीआई कार्ड को लेकर एक चिंता व्याप्त है। इंडियन डायसपोरा एंड दि ग्लोबल आर्गेनाईजेशन ऑफ़ पीपल्स ऑफ़ इंडिया ओरिजिन के सदस्यों ने यह आशंका जताई है कि एक अलग कार्ड को लागू करने से न केवल भारतीयों में बल्कि भारतीय अप्रवासन प्राधिकारियों जैसे उच्चायोगों एवं दूतावासों तथा भारत में प्रवेश के पत्तनो में भी भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

विधेयक में हर यात्रा पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने पेश होने से छूट का भी प्रस्ताव है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी आशंकाएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उनके भय को दूर करें और एक संदेश दें कि ओसीआई कार्ड एक सरल और आसान प्रक्रिया के माध्यम से जारी किया जाएगा।

मूल अधिनियम की मौजूदा धारा 5 के अनुसार,भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में एक वर्ष का निरंतर प्रवास अनिवार्य है। अब इस अवधि को 30 दिनों तक कम करने का प्रस्ताव है। ... (*व्यवधान*) मैं बस समाप्त कर रहा हूं, महोदय। लेकिन यहां समस्या यह है कि इसको भारत सरकार के विवेक पर निर्भर कर दिया गया है। आप 'विशेष परिस्थितियों' से संतुष्ट होने के बाद ही उसमें छूट देंगे। लेकिन विधेयक में उन 'विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख नही किया गया है जिनके आधार पर सरकार एक वर्ष की अवधि को कम करने पर राजी होगी। इसलिए, प्रस्तावित विधान में या अधीनस्थ विधान के तहत इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि नियमों के तहत इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह भारतीय मूल के लोगों में फिर से भ्रम और निराशा पैदा करता है। इसलिए, इसे जल्द से जल्द स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

यह माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार का एक और स्वागत योग्य कदम है। यदि कोई वर्ष 2005 संशोधन को देखेगा तो केवल पौत्र-दौहित्र तक ही खुद को ओ.सी.आई. कार्ड धारक के

रूप में पंजीकृत करने की अनुमति है। लेकिन अब सरकार उन पौत्र-दौहित्र के बच्चों को भी अनुमति दे रही है जो मुझे यकीन है कि उन सभी लोगों को शामिल करेगी जो वर्ष 1947 तक भारत के नागरिक थे।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ, मैं एक बार फिर माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं जो न केवल भारतीय विदेशियों की मांगों को पूरा करेगा बल्कि निवेश एवं विदेशी मुद्रा को भी बढ़ावा देगा।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): महोदय, मैं केवल इतना ही याद दिलाना चाह रहा हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसके लिए एक घंटे का समय तय हुआ था। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि डिस्कशन लम्बा चले, लेकिन इसके बाद माइंस एंड मिनरल्स बिल के लिए चार घंटे का समय निधाररित है, आज ही बैठकर उसे क्लियर करना है। कल दो कानून हैं, परसों दो कानून हैं। जो समय तय हुआ है, उससे दस-पन्द्रह मिनट इधर-उधर हो गया तो कोई प्राब्लम नहीं है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वैस्ट है कि अगर समय कम लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में देर होगी, शाम को आठ, साढ़े आठ बजे तक भी बैठना पड़ेगा। कृपया, इस बारे में सोचकर सब लोग सहयोग कीजिए। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है।

प्रो. सौगत राय : बी.ए.सी. में इस सिटिजनशिप एक्ट के लिए दो घंटा और और माइंस एंड मिनरल्स के लिए चार घंटे का समय निधाररित हुआ था।

कई माननीय सदस्य : एक घंटा तय हुआ था।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आप पहले ही बोल चुके हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: अब उन्हें बोलने दीजिए।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : माननीय सभापति महोदय, मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विषय यानी ओ.सी.आई. कार्ड का पी.आई.ओ. कार्ड के साथ विलय का स्वागत करता हूं।

मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि यह पहली बार है जब सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, और माननीय प्रधान मंत्री का वादा पूरा किया गया है। उनका वादा अध्यादेश में प्रख्यापित कर दिया गया है और अब यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है।

महोदय, मैं एक एन.आर.आई. के रूप में विदेश में 25 वर्षों तक रहा हूं। कई मंत्री उन देशों की जब यात्रा करते थे, तो हमे उनका आतिथ्य करने का अवसर मिला है। हम उनके लिए रात्रिभोज और पार्टियों का आयोजन करते थे, जिनका वे भरपूर आनंद लेते थे। वे वहां निवास करने वाले सभी एनआरआई नागरिकों को सुख-सुविधाओं का आश्वासन देते थे। हम उन्हें शानदार पार्टियां देते थे लेकिन जब हम अपने देश में एक छोटी सी समस्या को लेकर उनके पास जाते थे तो हम एन.आर.आई. को अनपेक्षित भारतीय के रूप में देखा जाता था। अब कम-से-कम सरकार उन्हें नागरिकता कार्ड दे रही है। वे यहां आकर रहने की कोशिश करते हैं और यह वास्तव में उन भारतीयों के लिये है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं।

मैं उन अप्रवासी भारतीयों के बारे में जानना चाहूँगा जो खाड़ी देशों में रह रहे हैं। इस देश से इन खाड़ी देशों में जाने वाले अधिकांश लोग मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। वे करीमनगर, महबूबनगर, निजामबाग, वारंगल और तेलंगाना के अन्य पिछड़े क्षेत्रों से हैं। वे उन देशों में संघर्ष कर रहे हैं वे अपने द्वारा अर्जित सारा धन भारत भेजते हैं। एक सच्चे नागरिक के रूप में, वे देखते हैं कि विदेशी मुद्रा यहां वापस भेज दी जाती है और उन्हें लगता है कि एक दिन आएगा जब उन्हें इस देश में वापस आना होगा। लेकिन, महोदय हम यहां जो देखते हैं वह यह है

कि जब वे यहां कोई संपति खरीदते हैं, तो यहां के *माफिया* लोग उन संपत्तियों पर *कब्ज़ा* जमाने का प्रयास करते हैं। ये लोग लंबी छुट्टी पर भारत वापस आते हैं और अपनी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें किसी भी पुलिस स्टेशन में जाने की अनुमति नहीं है। सचिवालय में कोई अधिकारी या कोई मंत्री उनसे तब नहीं मिलता जब वे किसी मदद के लिए उनके पास जाते हैं।

इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि जैसा कि आपने संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीयों को कुछ सुविधाएं दी हैं - आप उन्हें नागरिकता कार्ड दे रहे हैं ताकि वे 12 महीने तक यहां रह सकें -एनआरआई को भी एक विशेष कार्ड प्रदान किया जाना चाहिए, और उस कार्ड के साथ ये लोग वास्तव में सरकार में किसी भी अधिकारी या मंत्री से संपर्क कर सकते हैं जब वे 30 दिन की यात्रा पर आते हैं। आज जाते हैं तो कहते हैं कि वह आफिसर नहीं है। कल जाते हैं तो कहते हैं कि कोई दूसरा आफिसर नहीं है। ऐसा करते-करते तीस दिन की छुट्टी निकल जाती है। वह बिना किसी बात के चले जाते है। वे वास्तव में अपने परिवार के बारे में चिंतित है, उस संपत्ति के बारे में जो उन्होंने खरीदी है और मेहनत की कमाई के बारे में जो उन्होंने भारत वापस भेज दी। इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि खाड़ी देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों को भी एक विशेष कार्ड उपलब्ध कराया जाए और जब वे लोग उस कार्ड के साथ आएं तो सरकार के किसी भी मंत्री या अधिकारी से आसानी से संपर्क कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विद्वान सहयोगी, श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी जी द्वारा अभी व्यक्त किए गए अनेक विचारों का समर्थन करना चाहता हूं।

महोदय, आपकी अनुमति से, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में हमारे पास कितने प्रकार की नागरिकता है? महोदय, भारत के संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में कहता है, और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 भारत की नागरिकता के बारे में हैं। हम विभिन्न प्रकार की नागरिकता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे भी, मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूँ; साथ ही सरकार की एक विषयगत मंशा से भी मैं सहमति प्रकट करता हूं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरकार की मंशा यह है कि सरकार भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) और भारतीय विदेशी नागरिकता (ओ.सी.आई.) को एक साथ विलय करना चाहती है। यह अच्छा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरह के लोगों के पास में जीवन भर का वीज़ा होगा और लोगों के दूसरे सेट में केवल 15 साल का वीज़ा होगा। वैसे भी हम इन दोनों को एक साथ मिला रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें पुलिस स्टेशन जाने, कतार में खड़े होने और पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हम सभी अवगत हैं कि पुलिस स्वयं को केवल कानून का पालन कराने वाला ही नहीं, अपितु आपके निवास, यात्रा और भविष्य के निर्णयकर्ता के रूप में भी देखता है। मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि अब इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जा रहा है।

लेकिन, महोदय, कुछ आशंकाएं हैं जिन्हें मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड 4, पृष्ठ 2 की तरफ दिलाना चाहूँगा। श्री प्रेमचन्द्रन सहित मेरे सहयोगियों ने आज चर्चा के दौरान कुछ मुद्दे उठाए हैं। वास्तव में, मैंने भी संशोधन प्रस्तुत किए हैं। लेकिन शनिवार को यह बजट का दिन था। बजट प्रस्तुति के बाद, हर कोई इस बात पर विचार करने में व्यस्त था कि बजट में क्या वादे किए गए थे और क्या नए कर प्रस्तावित थे। कल अवकाश था। फिर, आज हम दो विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी जल्दबाजी में हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस विधेयक के समाप्त होने के बाद अगला विधेयक भी चर्चा के लिए आए।

महोदय, अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड 4, पृष्ठ 2 की तरफ दिलाना चाहूँगा। इसमें कहा गया है:

"केंद्र सरकार, इस संबंध में किए गए आवेदन पर, निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों और विधि के अनुसार, एक भारतीय मूल के विदेश नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण कर सकती है-

(क) पूर्ण आयु और क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति -

(1) जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था,;

अथवा

(2) जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिये अर्ह था; "

यहां, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पंक्ति 26, खंड 4(7क) (1) (क)(4) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

(4) जो किसी नागरिक का पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या प्रपौत्र/प्रपौत्री हो"

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अन्य देशों में भी ऐसे खंड हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि दुनिया के अन्य देशों में इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता, तो हम अकेले ही इस सिद्धांत का पालन क्यों करें?

अब, मैं खंड 4(7क)(घ) पर आऊंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसमें कहा गया है :

"भारत के किसी नागरिक का विदेशी मूल का पति या पत्नी या धारा 7ए के अंतर्गत पंजीकृत भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति या पत्नी, जिसका विवाह इस धारा के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए पंजीकृत और अस्तित्व में रहा हो।"

इसका मतलब है कि पत्नी या पति - जीवनसाथी - कार्ड प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन वह कार्ड प्राप्त करने से पहले भी, बच्चे या बच्चों को कार्ड मिल सकता है। इसलिए, अतः इसको माननीय मंत्री से स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

अब, मैं खंड 4(7ख)(2) के बारे में बात करूंगा। इसमें कहा गया है :

"एक भारतीय मूल के विदेश नागरिक कार्ड धारक को भारत के नागरिक को प्रदान किए गए अधिकारों का पात्र नहीं होगा-"

महोदय, यहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश, उच्च न्यायालय के न्यायधीश, आदि के चुनाव से संबंधित नौ बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त, ऐसे कई अन्य पद हैं जिन्हें ये व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं। एक व्यक्ति के राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने के बारे में क्या? एक व्यक्ति के वाणिज्य मण्डल का अध्यक्ष बनने के बारे में क्या? इसलिए, इन सभी बातों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

तो, महोदय, खंड 4 की अंतिम पंक्ति कहती है:

(2) यदि वह विवाह निरस्त नहीं हुआ हो, लेकिन उस विवाह के दौरान उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो।“

महोदय, यहां मेरा तर्क है कि शब्द 'वह' के स्थान पर ओसीआई' प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

महोदय, समाप्त करने से पहले, यह हमारे उन भाई-बहनों का मामला है जो विदेशों में कार्यरत हैं। यह उन पाँच मिलियन भारतीयों का विषय है जो विदेशों में काम कर रहे हैं। इस विधेयक पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की वजह से विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक प्रसिद्ध हास्यात्मक अभिव्यक्ति 'एबीसीडी' है, जिसे हम सभी जानते हैं और जो उन व्यक्तियों के लिए प्रचलित है जो विदेश जाते हैं। इसे 'अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी' कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अन्य लोगों पर भी लागू होना चाहिए, जिसमें खाड़ी देशों में कार्यरत

लोग भी शामिल हैं। उनकी कठिनाइयों का भी समाधान किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद, महोदय।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): माननीय सभापति महोदय, मुझे नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जिसे 7 जनवरी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता अध्यादेश, 2015 के रूप में प्रख्यापित किया गया था।

यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने मैडिसन स्क्वायर, यू.एस.ए. में और ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान विशाल सभा को संबोधित करते हुए इस तरह के अधिनियम की घोषणा की थी। इस विधेयक का उदेश्य पी.ओ.आई. और ओ.सी.आई कार्डधारकों का विलय करना है। पहले कुछ समस्याएं थीं जिनका सामना पी.ओ.आई. कार्डधारकों को करना पड़ता था। अपने बढ़ाए गए प्रवास के दौरान, उन्हें जाने और उनके बढ़ाए गए प्रवास के लिए पुलिस स्टेशन को सूचित करने के लिए कहा गया था। ऐसी सभी बाधाओं को दूर किया गया है। ओ.सी.आई. की तुलना में उन्हें जो लाभ मिलते थे, वे कम थे और इसलिए यह विधेयक पी.ओ.आई. और ओ.सी.आई. कार्डधारकों के विलय का प्रावधान करता है, जो सरकार द्वारा एक स्वागत योग्य कदम है, और यह सभी कार्डधारकों को समान लाभ प्रदान करेगा।

इस विधेयक के माध्यम से, उनके द्वारा भारत में पूरे एक वर्ष रहने की आवश्यक अवधि की शर्त को घटा दिया गया है और वे देश से बाहर 30 दिन की यात्रा करने के हकदार हैं। इस परिभाषा का विस्तार भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चों, भारतीय नागरिकों के पति-पत्नी, ओ.सी और पी.ओ.आई. कार्डधारकों के पति-पत्नी और भारतीय मूल के नागरिकों के प्रपौत्र/प्रपौत्री को शामिल करने के लिए किया गया है, जो सरकार द्वारा एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि हर भारतीय, चाहे पीढ़ियाँ क्यों न बीत जाएं, अपने देश में बसने की इच्छा रखता है। भारतीय संविधान के आने के बाद ऐसे लोग, जो देश से दूर हैं, उनका देश में वापस स्वागत है।

इसलिए, सरकार ओ.सी.आई. कार्डधारकों के पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिये प्रतिबद्ध है, जो कि एन.आर.आई. के लिए एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ओ.सी.आई. को रद्द करने के लिए शर्तें निर्धारित की जाती हैं, जो पिछले अधिनियम में कभी नहीं थीं, और इस अधिनियम के माध्यम से सदस्यता प्राप्त करने वाले लोगों की नागरिकता, यदि वे तलाकशुदा हो जाते हैं या न्यायालय के माध्यम से तलाकशुदा हो जाते हैं, तो निरस्त की जा सकती है। इस प्रकार, यह भी सुनिश्चित करता है कि लोग इस नागरिकता अधिनियम के तहत प्राप्त की गई सुविधा का दुरुपयोग न करें।

इस अधिनियम के माध्यम से, ओ.सी.आई. कार्डधारकों को एक आजीवन वीज़ा दिया जाएगा जो उनके लिए सुविधाजनक होगा, और इसके माध्यम से, हालांकि उन्हें मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और वे किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं, ओ.सी.आई. कार्डधारकों को और बहुत सी सुविधाएं दी जाएगी। उन्हें लंबे समय तक देश में रहने और अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताने की अनुमति होगी। यह भारत में अक्सर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहन भी देता है और वे अपने प्रवास की अवधि बढ़ा सकते हैं।

मैं अपने सहयोगी श्री जयदेव गारू जी से सहमत हूं, जिन्होंने कहा कि कई भारतीय जो कदम-कदम पर विदेश में बसे हुए हैं, वे अपनी मातृभूमि में निवेश करना चाहेंगे और वे अपने हिस्से की कमाई भारत में अपने परिवार को भेजना चाहेंगे। इसलिए, यह उनके लिए एक स्वागत योग्य कदम है। यह अधिनियम ओ.सी.आई. कार्डधारकों को कृषि भूमि और बागानों का अधिग्रहण करने का प्रावधान नहीं करता है, लेकिन यह उन्हें अन्य एन.आर.आई. की तरह किफायती, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, यह अधिनियम दुनिया भर में चारों तरफ भारतीय मूल के लोगों से अपनी मातृभूमि में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह अधिनियम न केवल भारत सरकार के लिए एक प्रशासनिक कदम है, बल्कि इससे लालफीताशाही भी कम होगी तथा विदेशों में रह रहे लाखों भारतियों को सुविधा होगी ।

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्रीमती कोथापल्ली गीता: इसलिए, इन चंद शब्दों के साथ, मैं इस नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 का समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि यह कानून आवश्यक सुविधा देने में बहुत लम्बा सफ़र तय करेगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को भी इस तरह के कानून बनाने की पहल के लिए धन्यवाद देती हूं। यह विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया।

दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा, जहाँ भारत का कोई न कोई व्यक्ति मौजूद न हो। भारत देश के लोग जहाँ-कहीं भी दुनिया में गए हैं, उन्होंने विश्व में जिस किसी भी संस्कृति में जाकर काम किया है, उन्होंने उस संस्कृति के साथ में अपने आपको आत्मसात किया है। उस व्यवस्था के साथ अपने-आप को आत्मसात् किया है और वहां जाकर केवल अपने-आप को ही सिद्ध नहीं किया है, आपितु इस महान भारत देश का नाम भी सभी जगह रौशन किया है। अनायास ही हमारे देश के जो लोग विश्व भर में निवास करते हैं, उन लोगों ने इस महान संस्कृति के ब्राण्ड एम्बैस्डर के रूप में दुनिया भर में काम किया है।

जिन लोगों के माता-पिता या दादा-परदादा अनेकों वर्ष पहले इस देश को छोड़ कर चले गए थे और व्यावसायिक, व्यापारिक कारणों से या अन्य किन्हीं अन्य कारणों से दुनिया के अन्य देशों में जाकर उन लोगों ने वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। क्यूंकि उनकी सांस्कृतिक आत्मा आज भी भारत के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वे भारत के साथ सम्बन्ध रखना चाहते हैं। इस संस्कृति के साथ अपने सम्बन्ध को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते हैं, इसलिए उस सम्पर्क को जीवित रखने के लिए लगातार इस देश में बार-बार यात्रायें करते हैं और बच्चों को भी इस संस्कृति के साथ सम्बद्ध रखने के लिए, बार-बार इस देश की यात्रा करने का मानस रखते हैं। जिस तरह के हर्डल्स इस देश के लोगों के साथ हैं, भारतवंश के लोग जो विदेश में रहते हैं, वे बार-बार यहां वीज़ा लेने के लिए आते थे, जिस तरह से उनको क्लीयरैन्सेज लेनी पड़ती थीं, भारत में आधिक समय

तक रहना है तो उन्हें थाने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जिस कारण से उनको जो तकलीफ होती थी उनको दूर करने के लिए हमारी सरकार जो बिल लायी है, मैं उस बिल का समर्थन करता हूं।

माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनके ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूं। देश का जो दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, जिसकी चर्चा अनेक लोगों ने की है, उस विभाजन के समय हमारे जो हिन्दू भाई पाकिस्तान में रह गए थे, करोड़ों की संख्या में जो हिन्दू पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, जिस तरह का दर्द उन्होंने सहा है और वे लोग लगातार अत्याचार और अनाचार सह रहे हैं, उसके कारण कई लोगों को बलात् धर्म परिवर्तन करना पड़ा। उन लोगों की सम्पत्ति का आतिक्रमण तो बहुत साधारण-सी चीज है। वहां उन लोगों की बहु-बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, इस दर्द से दुःखी हो कर वे भारत में आते हैं। जो लोग अवैधानिक रूप से भारत में आते हैं, वे न जाने कैसे-कैसे तरीके अपनाकर देश की नागरिकता और देश की नागरिकता से जुड़े हुए सारे दस्तावेज हासिल कर लेते हैं, लेकिन, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, मैं उन गरीब विस्थापितों का दर्द आपके साथ बांटना चाहता हूं। वे लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत में आते हैं। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं, उसके पड़ोस में ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पाकिस्तान से भारत को जोड़ता है। जब हम उन रेलवे स्टेशंस पर आते हैं, यदि भारत का कोई आदमी विदेश से यहां आता है, दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर आता है तो उसको बहुत सारी सुविधायें मिलती हैं, उसके लिए कोई सर्टेन नॉर्म्स हैं कि वह इतने मूल्य की सम्पति, जो अपने साथ में पहना हुआ गहना आदि लेकर यहां आ सकता है, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर वे गरीब दुःखी होकर, अत्याचार और अनाचार को सहकर हिन्दुस्तान में आते हैं तब कस्टम के लोग उनकी महिलाओं का पहना हुआ सोना भी उतरवा देते है, उनको भी जब्त कर लिया जाता है। वे जब हिन्दुस्तान में आते हैं तो उनको सात साल तक हिन्दुस्तान की नागरिकता नहीं प्रदान की जाती है। सात साल तक उनके पास में कोई भी आइडैन्टिटी प्रूफ भी नहीं होता है। सात साल तक वे किसी भी तरह की सम्पत्ति यहां आधिग्रहित नहीं कर सकते हैं। वे सात साल तक बिना आइडैन्टिटी प्रूफ के कहीं भी जाकर नौकरी नहीं कर सकते हैं। वे सात साल तक दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर रहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात को समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपके साथ डेढ़-दो लाख लोगों के दर्द को आपके साथ बांट रहा हूं। वे सात साल तक इस देश में कोई काम नहीं कर सकते हैं। उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। उनके बच्चों को भीख मांगकर खाना खाने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में भी सबसे क्रूर स्थिति उस समय होती है, जब उनके सात साल पूरे होने के बाद, उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने का समय आता है। पहले उसके लिए मात्र 500 रुपये फीस हुआ करती थी, जो वे बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर पाते थे।

माननीय सभापति महोदय, अब 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रूपये तक विभिन्न आयटम्स में फीस लागू कर दी गयी है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो सात साल तक दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिनके पास आजीविका का कोई भी साधान नहीं है, जिनके पास सर्दी, गर्मी और बरसात में अपने बच्चों के साथ सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर 15,000 रुपये फीस देनी पड़ती है। ...(व्यवधान) वह दस लोगों का परिवार लेकर आता है।...(व्यवधान) जब उससे डेढ़ लाख रुपये फीस मांगी जाती है तो वह उसका जुगाड़ नहीं कर पाता।

यहां माननीय गृह मंत्री जी विराजमान हैं। उनके सामने भी अनेक अवसरों पर इस बारे में रिप्रैजैंटेशन दिया गया। जब वे जोधपुर पधारे थे, तब भी दो-ढाई हजार लोगों ने उनके सामने यह बात रखी थी।...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसी बिल के साथ उन लोगों के लिए भी तुरंत प्रावधान करना चाहिए और फीस को कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें तुरंत सिटिजनशिप मिलनी चाहिए। अटल जी की सरकार के समय वर्ष 2005 में जिस तरह कलैक्टर्स को पावर दी गई थी, उसी तरह की व्यवस्था इस बार फिर लागू की जाए।

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ही एकमात्र ऐसी जगह है जो दुनिया में कहीं भी रहने वाले हिन्दुओं के लिए नैसर्गिक मदरलैंड है। यदि इस नैसर्गिक मदरलैंड में उसे इस तरह का कष्ट भोगना पड़ता है तो यह उचित नहीं है।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले नौ महीने से इस देश में अध्यादेशों का राज चालू है। हम अध्यादेश पर बहस कर रहे हैं। यहां आदरणीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अध्यादेश के बारे में पिछले सदन में बात रखी कि एक्सट्रा आर्डिनरी सिचुएशन होनी चाहिए, अर्जेंट नैसेसिटी होनी चाहिए और अगर इम्मीजिएट एक्शन रिक्वायर्ड है तभी अध्यादेश निकाल सकते हैं। यह सरकार पिछले नौ महीने से काम कर रही है। आप नौ महीने से इस दुख और दर्द के बारे में बात कर रहे हैं। यह तीसरा सैशन है, आपको तीसरे सैशन में आर्डिनैंस और बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप इसे पहले सैशन में ला सकते थे, दूसरे सैशन में भी ला सकते थे। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था तो उसके तुरंत बाद विंटर सैशन में भी ला सकते थे, लेकिन नहीं लाए।

अभी संजय जी ने बात रखी, हमारे भाई साहब ने बात रखी। इन सब बातों का अध्ययन स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। हमारे वरिष्ठ नेता, सदन के संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बनी है। आप सबने जो बात रखी, उसके बारे में रिपोर्ट में मैंशन है। हमारा सरकार से आग्रह है कि आप ये बातें लाए, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो मैंशन हो रहा है, क्या उसके बारे में कुछ बात हो रही है। वैंकैय्या नायडू जी ने सिटिजनशिप के बारे में यहां जो रिपोर्ट दी थी, मिनिस्ट्री और वैंकैय्या नायडू जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कहा था कि सिटिजन्स वर्ड नहीं होना चाहिए। क्या आज आप वैंकैय्या नायडू जी से भी सहमत नहीं हैं? अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे तो वैस्ट पाकिस्तानी हिन्दुओं के बारे में कहा गया है कि वैस्ट पाकिस्तानी हिन्दु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान को सरकार को जिस तरह की मदद करनी चाहिए, वह नहीं मिली। इस बारे में इस बिल में कोई मैंशन नहीं है। चकमा रिफ्यूजी, जो बंगलादेश से माइग्रेट हुए हैं, हमें अपेक्षा थी कि आप उनके बारे में कोई प्रोविजन इस बिल में लेकर आएंगे। रियांग ट्राइबल्स जो मिजोरम के हैं, वे अपने स्टेट वापिस आए, लेकिन उन्हें अभी तक वोटिंग राइट नहीं मिला है। इतना महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन इस बारे में भी बिल में दूर-दूर तक कोई मैंशन नहीं है। राज्य सभा के सदस्य श्री शांता राम नायक गोवन पुर्तगीज़ को राइट देने के बारे में बिल लाए थे। उसके बारे में भी इस बिल में न कोई प्रोविजन है और न कोई बात हो रही है। गृह राज्य मंत्री

जी का नाता अरुणाचल प्रदेश से है। जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के स्टैपल वीज़ा की बात होती है, उस बारे में यह सरकार क्या सोचती है, इस बारे में भी बिल में कुछ नहीं कहा गया है। नार्थ-ईस्ट में बंगलादेशी इम्मीग्रैंट्स के बारे में भी इस बिल में कोई मैंशन नहीं है।

मैं एक प्वाइंट रेज करना चाहूंगा कि यू.पी.ए. के समय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता वायलार रवि जी को ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई थी। हमें अपेक्षा थी कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को हैड करेंगे। अगर मुरली मनोहर जोशी जी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को देखते तो लोगों को बहुत मदद मिलती।इसलिए ओवसीज मिनिस्ट्री को आपने अंडरग्रेड किया, डाउनग्रेड किया। यह अच्छी बात नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि ओवरसीज मिनिस्ट्री की ओर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। जो प्रोसेस आप इसमें यूज करना चाह रहे हैं, उस प्रोसेस के सम्पिलिफिकेशन के बारे में भी आपने कोई चर्चा नहीं की है। यहां पर कहा है कि पति या पत्नी को भारत में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व सुरक्षा मंजूरी के अधीन किया जाएगा। यह कितने दिन में देगा, एक महीने में होगा, छह महीने में होगा, साल भर में होगा, इस बारे में भी बिल में कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है। आपके माध्यम से आग्रह है कि आप रूल्स बनाइए, लेकिन उसे एक निश्चित टाइम फ्रेम दीजिए, पांच दिन में या 10 दिन में उनको न्याय मिलना चाहिए। जो इश्यूज मैंने यहां पर रेज किए हैं, उनके बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। दो-तीन प्वाइंटस डालकर आप बिल नहीं ला सकते हैं, इससे जुड़ी कई सारी बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्यों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान हिस्सा लिया, इस पर कन्क्लूडिंग रिमार्क्स हमारे सहयोगी श्री किरेन रिजीजू द्वारा होगा, लेकिन इस बीच मैं इतना ही इंटरवीन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कई सम्मानीय सदस्यों ने विचार करते समय बिल पर यह कहा है कि इसे ऑर्डिनेंस के रूप में लाने की जरूरत क्यों पड़ी। यदि इसे बिल के रूप में लाया गया होता तो संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई होती। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी का एक कमिंटमेंट था, जब वह यू.एस. और आस्ट्रेलिया गए थे, उसके कारण यह किया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने आर्बिट्ररिली इसे कह दिया हो या मनमाने तरीके से बोल दिया हो, बल्कि एक ऐतिहासिक तिथि को ध्यान में रखते हुए यह बात कही गई थी। सम्माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक महापुरूष थे। लंबे समय तक दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों में रहते हुए सवारधिक समय उन्होंने साउथ अफ्रीका में गुजारा था। 9 जनवरी, 1914 को वे भारत लौटे थे, वे भी एक प्रकार से प्रवासी भारतीय थे। इसके 9 जनवरी, 2015 को 100 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगला प्रवासी भारतीय दिवस जब भी भारत में होगा, उस अवसर पर जो ओ.सी.आई. और पी.आई. ओ. दोनों को मर्ज करने की मांग है, सभी को ओ.सी.आई. कार्ड होल्डर बनाया जाना चाहिए, यह सुविधा आपको मुक्कमल तौर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। गांधीनगर में प्रवासी भारतीय दिवस 7/8 और 9 जनवरी को हुआ। 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी के भारत लौटने के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। 9 जनवरी, 1914 को भारत आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, इसे सहज रूप से स्वीकार करेंगे। फ्री डम स्ट्रगल को भारत की राजनीति में एक नया डाइमेन्शन देने का यदि किसी ने काम किया था तो वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, इसीलिए उस तिथि का चयन किया गया। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि नई सरकार का तीसरा सत्र चल रहा है, पहले में क्यों नहीं लाए, दूसरे में क्यों नहीं लाए, पहले सत्र में लाने का सवाल नहीं था, क्योंकि सत्र बहुत छोटा था, इसके साथ बजट भी पेश करना था। दूसरे में क्यों नहीं लाए। यह दूसरे सत्र में ही दिसम्बर में लाया गया था, लेकिन समयाभाव होने के कारण यह पारित नहीं हो पाया। इस सदन का यह तीसरा सत्र प्रारंभ हुआ है, उसमें यह लाया गया है, आर्डिनेंस जारी करने की

जरूरत इसीलिए पड़ी। चूंकि यह कहा जा चुका था कि महात्मा गांधी के साऊथ अफ्रीका से भारत आने के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आपको यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तब सदन का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए आर्डिनेंस जारी करने की आवश्यकता पड़ी, मुझे इतना ही अनुरोध करना था।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदय, सबसे पहले मैं सभी माननीयों सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है। कुछ माननीयों सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न से संबंधित मुद्दों पर चर्चा में न जाते हुए मैं अध्यादेश को प्रख्यापित करने के साथ-साथ पूर्ववर्ती विधेयक को वापस लेने के संबंध में माननीय सदस्यगण को धन्यवाद देना चाहूंगा जो माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो इस संशोधन विधेयक के प्रावधानों का हिस्सा हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा जिसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए, मैं कुछ बुनियादी बिंदुओं पर बात करूंगा ताकि इस स्पष्टीकरण के साथ-साथ कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आशंकाओं का भी समाधान हो सके।

सबसे पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय नागरिकता पाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। यह नागरिकता अधिनियम की धारा 3 के तहत जन्म के आधार पर हो सकता है या यह धारा 4 के तहत वंशक्रम के आधार पर या धारा 5 के तहत पंजीकरण के आधार पर या नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के तहत देशीयकरण के आधार पर हो सकता है। भारत में दोहरी नागरिकता के प्रावधान नहीं हैं। लेकिन अधिकांश देश, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को पता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करने की दिशा में हैं, लेकिन भारत अभी तक उस दिशा में नहीं गया है। यह उल्लेख किया गया है कि विश्व में रह रहे भारतीय मूल के लोगों का देश के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। हम इस बात को कम करके नही आंक सकते हैं।

आज, भारतीय प्रवासी के लोग चीनी प्रवासियों के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े प्रवासी हैं। देश को इन अप्रवासी भारतीयों से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है जो कि 70 बिलियन डॉलर है जैसा कि माननीय सदस्य रत्ना डे जी ने उल्लेख किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस राष्ट्र की वृद्धि और संवृद्धि, के लिए इसका कितना महत्व है। जब कभी भी हम विश्व के किसी भी भाग में तिरंगा फहरते हुए देखते हैं चाहे कोई भी मौका हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो, खेल हो या कुछ और हमें गर्व की अनुभूति होती है। हम यह बात स्वीकार कर सकते हैं कि विश्व के 200 से अधिक देशों में रह रहे भारतीय मूल के प्रत्येक व्यक्ति को हम समुचित दर्जा देने में पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाए हैं। यह उन लोगों को उचित दर्जा दिए जाने और श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 1999 में देखे गए सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यहां, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हम उन्हें पूर्ण नागरिकता का दर्जा नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह नागरिकता का दर्जा देने के बहुत करीब है, सिवाय इसके कि उन्हें राजनीतिक का अधिकार नहीं है, उन्हें कोई आधिकारिक पद धारण करने का अधिकार नहीं है और वे बागान और कृषि भूमि के बड़े क्षेत्रों को छोड़कर संपत्ति खरीद सकते हैं, जिसका एक कारण है जिस पर मैं यहां विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा।

यहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। एक मुद्दा यह था कि हम पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ भेदभाव क्यों करते है? अब, यह एक अलग विषय है। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि एक विशेष कार्य बल है जिसका गठन सितम्बर मे बड़ी संख्या में प्रवासियों विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों से निपटने के लिए किया गया था। श्रीलंका के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है कि क्यों श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नागरिकता के दर्जे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह केवल ओ.सी.आई. कार्ड धारक के संबंध में है।

इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य के संबंध में, मैं इसे दो में विभाजित कर सकता हूं। पहला नागरिकता अर्जन से संबंधित है और दूसरा भारतीय कार्ड धारक के विदेशी नागरिक से संबंधित है। अब, नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ कमियां थीं जिसका पता लगाया गया और हमने उन सभी कमियों को दूर करने की कोशिश की

है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जिन बातों को इस सभा में उठाया। उसमें कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं मिला है क्योंकि हम इस संशोधन कानून को बनाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं।

सबसे पहले, मैं पंजीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख करना चाहूंगा। हमने विशेष रूप से अधिकतम 30 दिनों के बाद इस प्रावधान में कुछ छूट दी है जो विभिन्न अंतराल में हो सकते हैं। यह एक बहुत ही वैश्वीकृत दुनिया है। कोई भी व्यक्ति जो 7 साल लगातार रहता है, और आखिर के एक साल में यदि उसे किसी भी उद्देश्य के लिए दूसरे देश की यात्रा करनी पड़ती है, तो वह अयोग्य हो जाता है। हमने इसमें ढील दी है और हमने 30 दिन की छूट दी है जहां वह विदेश यात्रा कर सकता है और फिर भी वह नागरिकता की स्थिति के लिए दावा कर सकता है।

प्राकृतिककरण की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भी आगे 12 महीने की रियायत है। मैं माननीय सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हम प्रावधानों को इतना आसान कर रहे हैं कि जो लोग भारत के नागरिक बनने के हकदार हैं वे भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने विवेक का प्रश्न उठाया है। ऐसा नहीं है कि हम यहां विवेक को नया जोड़ रहे हैं। यह विवेक प्रावधान में पहले से ही है। पुराने पी.आई.ओ. में भी, यह विवेक था। जब देश को लगता है कि असाधारण चरित्र के व्यक्ति को सभी प्रावधानों को माफ करते हुए नागरिकता का दर्जा दिया जा सकता है, तो यह पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि सरकार केवल किसी को उठाएगी और सभी प्रावधानों को पारित करके किसी को भी विशेष नागरिक का दर्जा दे देगी। ऐसा नहीं है। इसलिए, यह प्रावधान पहले से ही वहां उपलब्ध था। हम इसे केवल पी.आई.ओ. को ओ.सी.आई. के समायोजित प्रावधानों पर लागू कर रहे हैं।

कुछ धाराएं जो थीं, जिनमें हम नए शब्द 'भारतीय विदेशी नागरिक' के स्थान पर 'कार्ड धारक' शब्द प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इसमें अनेक प्रावधान हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने प्रावधानों को अवश्य पढ़ा होगा। अतः, मैं संपूर्ण उपबंधों को नहीं पढ़ना चाहूंगा। इसमें बहुत सारे खंड शामिल हैं।

एक धारा का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि ओ.सी.आई. का पी.आई.ओ. के साथ विलय आवश्यक था, क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान थे जो पी.आई.ओ. में मौजूद थे और जिन्हें ओ.सी.आई. में शामिल नहीं किया गया था और ओ.सी.आई. के कुछ प्रावधान पी.आई.ओ का हिस्सा नहीं थे। इसलिए हमने उनका विलय कर दिया है। अब इसे भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में जाना जाता है।

मैं तीन अंतर बताना चाहूंगा। पहला पी.आई.ओ. के तहत यह दायरा पौत्र/पौत्री तक था। अब हमने प्रपौत्र/प्रपौत्री को भी शामिल किया है। पी.आई.ओ. के अंतर्गत, विदेशी पति या पत्नी को ओ.सी.आई. कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी ओ.सी.आई. के तहत, यह पहले पात्र नहीं थे। अब, इसे पात्र बना दिया गया है और 15 वर्षों की वैधता आजीवन बना दी गई है।

उस विषय से परे, मैं केवल 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करके अपने भाषण को बहुत छोटा करना चाहूंगा। इस नागरिकता ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है और साथ ही ओ.सी.आई. कार्ड धारक के लिए आवेदन का अधिकार है और अयोग्यता के लिए भी प्रावधान है। कोई भी विदेशी पति या पत्नी, कोई भी विदेशी जो एक भारतीय से विवाहित है जो एक ओ.सी.आई. कार्ड धारक है, ओ.सी.आई. कार्ड धारक नहीं माना जाएगा अगर प्रमुख व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या वह स्वेच्छा से खुद को ओ.सी.आई. कार्ड धारक होने के लिए त्याग देता है। इसके अलावा, ऐसे प्रावधान भी हैं जो इसे संभव बनाते हैं।

जैसा कि मैंने कहा है सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया है। हमने सभी मामलों को बहुत ध्यान से देखा है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि इस अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन में विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीय मूल के हमारे भाइयों और बहनों को किसी तरह की परेशानी और अनावश्नयक कठिनाई न हो।

साथ ही मैं सभी माननीयों सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस संशोधन विधेयक में प्रावधानों का मोटे तौर पर समर्थन किया है, उन्होंने विधेयक को पारित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। इसके अतिरिक्त कुछ स्पष्टताएँ उठाई, जिनके बारे में मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री और मेरे हस्तक्षेप से वे संतुष्ट हो गए

होंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सभा को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं आपकी अनुमति से सदन से इस विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए समर्थन की अपेक्षा करता हूं।

<u>अपराह्न 4.31 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय गृह मंत्री ने उत्तर दिया। मैं उत्तर के विवरण में नहीं जा रहा हूं। इसके लिये बिल्कुल पर्याप्त समय था ताकि विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया जा सके और शीतकालीन सत्र के दौरान इसे पारित किया जा सके।

मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक स्पष्टीकरण की मांग कर रहा हूं। यह एक संवैधानिक प्रश्न है जो मैंने उठाया है, वह भी अकादमिक हित के लिए। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं। नया संशोधन जो लाया गया है वह 2(ङ)(ङ) है। भारतीय मूल के विदेश नागरिक कार्ड धारक का अर्थ है वह व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा धारा 7 के अंतर्गत भारतीय मूल के विदेश नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत है। इसलिए,'भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक' को धारा 7(क) में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। धारा 7(क) के अंतर्गत, भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है; लेकिन उप-खंड 1 के तहत वह किसी अन्य देश का नागरिक है। धारा 5 के आधार पर, ऐसा ओ.सी.आई. कार्ड धारक नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। माननीय मंत्री से मेरा विनम्र प्रश्न यही है। कृपया सभा को स्पष्ट करें - क्योंकि हम एक कानून बना रहे हैं- क्या दोहरी नागरिकता की अनुमति है? मेरी जानकारी के अनुसार, पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, मंत्रालय में इस पर विस्तार से चर्चा की गई और पाया गया कि भारतीय विदेशी नागरिक भी एक भ्रांति है।

भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 9 में अनिवार्य प्रावधान है - स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, नागरिक नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी से जो स्पष्टीकरण मैं चाहता

हूं वो यह है। धारा 5 के अनुसार, यदि भारत का कोई विदेशी नागरिक नागरिकता प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन भारत का विदेशी नागरिक किसी अन्य देश का नागरिक है, क्या दोहरी नागरिकता की अनुमति है? अगर ऐसा है, तो इस मामले का संवैधानिक रूप से जवाब कैसे दिया जाएगा? यह एकमात्र विशिष्ट स्पष्टीकरण है जो मैं माननीय मंत्री जी से मांग रहा हूं।

श्री किरेन रिजीजू: माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत स्पष्ट है। हमारे कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भारत के कार्ड धारक का एक विदेशी नागरिक है और जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले उस दूसरे देश की नागरिकता की अपनी स्थिति को त्यागना होगा। यही कारण है कि हमने 'कार्ड धारक' की स्थिति को शामिल किया है जो नागरिकता के करीब तो है, लेकिन पूरी तरह से नागरिकता नहीं है। इसलिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित नियम हैं। उदाहरण के लिए, उसे सात वर्षों तक रहना होगा; फिर, अंतिम 12 वर्ष, 30 दिनों की छूट दी गई है; और यह प्रावधान विस्तृत रूप से दिया गया है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य स्पष्टीकरण से संतुष्ट हुए होंगे। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं? या, क्या आप इसे मतदान करने के लिए रखना चाहते हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: इसे मतदान के लिए रखा जा सकता है। विधान के अध्यादेश मार्ग के निरनुमोदन के बारे में मेरा संकल्प है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह अध्यादेश नहीं है। अब हम विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 6 जनवरी, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रश्न यह है:

"कि नागरिकता अधिनियम,1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।

श्री किरेन रिजीजू: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.36 बजे

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम मद सं 14 और 15 पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री सी.एन. जयदेवन - उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले विधेयक की तरह इन दोनों विधेयकों पर भी एक साथ विचार नहीं किया जाना चाहिए। इन पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: दोनों पर भी एक साथ ही विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग क्षेत्र में गति बढ़ाने के लिए, खनिज आबंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, खनिज कार्य को गति देने के लिए और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) आधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं सिर्फ एक प्रक्रियाविधिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। इससे पहले, हमें कार्य मंत्रणा समिति में सांविधिक संकल्प के साथ विधेयक पर चर्चा और इसे पारित करने के लिए चार घंटे आबंटित किए गए थे। थोड़ा पहले संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि हमें आज इसे समाप्त करना है। यह न तो विवेकपूर्ण होगा और न ही संभव होगा। रविवार के बाद सभी सदस्य आए हैं। इसलिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस चर्चा को शुरू होने दीजिए और हम 6 बजे तक स्थगित कर देंगे कल फिर से विधेयक को विचार के लिए लाया जाए। इसे आज पारित करने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि सभा को 6 बजे के बाद और नहीं चलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: हम इसे 6 बजे तय करेंगे।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): हम इसे 6 बजे तय कर सकते हैं, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन सदन से है कि हमारे पास छह ऐसे कानून हैं जिन्हें एक निश्चित तिथि से पहले दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। सत्र का पहला भाग 20 मार्च को समाप्त हो रहा है। हमें बजट, रेल बजट और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। कुछ सदस्यों ने अलग-अलग मामलों पर नोटिस दिए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यदि सदस्य चर्चा करने के लिए अधिक समय चाहते हैं, तो उन्हें लंबी बैठक में बैठने और कार्य को पूरा करने के लिए भी धैर्य रखना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभा के सहयोग से आज दो विधेयक पारित हुए हैं। सदन के सहयोग से आज दो विधेयक पुर:स्थापित किए गए हैं। कल के लिए सूचीबद्ध किए गए विधेयक, जहां तक मैं समझता हूं, कल लिए जा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और हर सदस्य को इस पर बोलने के लिए पर्याप्त समय

मिलना चाहिए। हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक अध्यादेश है जो इस देश के एक बड़े क्षेत्र को शामिल करने वाले विधेयक के रूप में आया है। इसलिए यह आपके और सदन के विचार के लिए है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

प्रो. सौगत राय: जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया है, अध्यादेश के लिए केवल एक ही बाध्यता है कि यदि इसके जारी होने के समय से लेकर संसद की बैठक के छह सप्ताह के भीतर वैकल्पिक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इसे समाप्त माना जाएगा। संसद 23 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इसलिए, हमें छह सप्ताह पूर्ण करने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह तक का समय है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उल्लेखित शीघ्रता केवल उनकी मानसिकता में निहित है। निस्संदेह, हमें रेलवे बजट पर चर्चा करनी है; और निश्चित रूप से सामान्य बजट पर भी पर्याप्त समय देकर विचार-विमर्श करना आवश्यक है। मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आज की बैठक शाम छह बजे से आगे न बढ़ाई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण छह बजे इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। हमें छह बजे सभा की भावना का पता चलेगा। अब चर्चा को आगे बढ़ने दें।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, कल छुट्टी थी और सदस्यगण संशोधन देने की स्थिति में नहीं थे। संशोधन देने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले पूर्व सूचना होनी चाहिए। इसलिए, यदि सदस्यों को अपने संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर देना है, तो विधेयक को कल तक के लिए स्थगित करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: हम छह बजे देखेंगे। चर्चा को अभी शुरू होने दीजिए।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): महोदय, समस्या यह है कि कल छुट्टी थी। परसों सदन की बैठक थी। इसलिए, चर्चा जारी रहे ताकि आज हमारे संशोधन आ सकें।

माननीय उपाध्यक्ष: अभी इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता। छह बजे आप जो चाहें कह सकते हैं। उस समय सभा निर्णय लेगी। इसलिए, माननीय मंत्री जी को अब बोलने दें।

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल): महोदय, हम आज सुबह ही कुछ संशोधन दे चुके हैं। यह हमारी गलती नहीं है कि सदन के सदस्यों के बीच संशोधन परिचालित नहीं किए गए। हमारे पास महत्वपूर्ण संशोधन हैं। हममें से कई ने संशोधन दिए हैं। लेकिन संशोधन अभी लाये नही गए हैं। किसी को संशोधनों की प्रति नहीं मिली है। संशोधनों के बिना यह सदस्यों के हित को कुचलने जैसा है। आइए हम सभा में एक वास्तविक चर्चा करें। हमने कुछ संशोधन देने की पूरी कोशिश की है। हमने इन संशोधनों को इस सभा में *सत्यनिष्ठा* के साथ प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास में लें।

माननीय उपाध्यक्ष: आज सुबह प्राप्त संशोधन कालातीत हो चुके है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय सदस्यों के पास अपने नोटिस देने के लिए पर्याप्त समय था।

माननीय उपाध्यक्ष: विधेयक 24 फरवरी, 2015 को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक में संशोधन के लिए सदस्यों द्वारा 24, 25, 27 और 28 फरवरी को नोटिस दिया जा सकता था। आज प्रात: प्राप्त हुए संशोधन आज के लिए समयसीमा के बाहर हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, इसलिए हम सुझाव दे रहे हैं कि आज के लिए यह कालातीत है, लेकिन अगर यह कल पारित किया जाता है, तो हमारे संशोधन आ सकेंगे।... (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: इस पर चर्चा करने में समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं है... (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: श्री संसदीय कार्य मंत्री, कृपया "समय' बर्बाद करना शब्द का उपयोग न करें। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं...(*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, यह एक बहुत ही व्यापक विधेयक है, खान और खनिजों के संबंध एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाला विधेयक है। यह विधेयक खनन क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव लाने का उद्देश्य रखता है। मेरा पहला निवेदन यह है कि ऐसा व्यापक विधान अध्यादेश के माध्यम से सभा में कभी नहीं आना चाहिए था। यह विधेयक सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, ताकि इसकी वैधता और विषयवस्तु की प्रारंभिक समीक्षा संसद द्वारा की जा सकती। यह मेरा पहला निवेदन है।

यह विधेयक खनिज और खनन पट्टों का आबंटन, खनिजों का श्रेणीकरण, केंद्र सरकार में निहित शक्तियों का राज्य सरकारों को हस्तांतरण, प्रक्रिया, औपचारिकताओं और विनियमों का सरलीकरण और दो मुख्य संस्थानों या संगठनों के निर्माण के बारे में भी है। एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है और दूसरा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है।

विधेयक में नीतिगत विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। खनन क्षेत्र में भारी असर लाने वाला इतना महत्वपूर्ण विधेयक अध्यादेश के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए। इसकी वैधता और विषय-वस्तु के संबंध में विधेयक की समीक्षा करने के लिए इसे पहले सभा में लाना चाहिए था। इसलिए, हम, पूरा विपक्ष, भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का पुरजोर विरोध करते हैं।

विधेयक की बात करते हुए, भारत बड़े खनिज संसाधनों, विशेषकर लौह अयस्क, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और अन्य धातुओं से समृद्ध है, लेकिन पर्याप्त सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों के न होने के कारण, इन खनिज भंडारों की पूरी क्षमता हमें ज्ञात नहीं है। आप पाएंगे कि अब भी भारत सरकार के पास देश में खनिज भंडार के उचित आंकड़े नहीं हैं।

मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात कोल्लम जिले के तटीय क्षेत्र और केरल के अलेप्पी जिले का अपना अनुभव है। महोदय, केरल के समुद्री तट पर अनुमानित 127 मिलियन मीट्रिक टन भारी खनिज जमा हैं, जिनका मूल्यांकन लगभग 4,52,250 करोड़ रुपये आंका गया है। अतः केरल और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर लगभग 127 मिलियन मीट्रिक टन भारी खनिजों का भंडार है, जिसका मूल्यांकन 4,52,250 करोड़ रुपये आंका गया

है। लेकिन, दुर्भाग्य से, हम इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं और इसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े हैं जो सीधे माननीय प्रधान मंत्री के अधीन आ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा का विभाग सीधे माननीय प्रधान मंत्री के अधीन आता है।

इसलिए, मेरा निवेदन इस प्रकार है। केरल राज्य और केंद्र सरकार को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि यह वित्तीय तंगी से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा साधन है क्योंकि विशाल खनिज भंडार वहां पाए जाते हैं।

जब हमारे पास तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, तब यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत, अवैध खनन निरंतर और निर्बाध रूप से, बिना किसी ठोस नियंत्रण या निगरानी के संचालित हो रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम.बी. शाह पैनल की नियुक्ति की है ताकि अवैध खनन और उसके परिणामों का पता लगाया जा सके। पैनल ने बताया है कि 50,000 करोड़ रुपये की खनिज संपदा का खनन अकेले ओडिशा राज्य से किया गया है। अकेले एक राज्य से 50,000 करोड़ रुपये के खनिज अवैध खनन के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। मेरे राज्य में भी आप स्थिति से अवगत होंगे। कन्याकुमारी जिले में एक बड़ा विवाद सामने आया है। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे राज्य से भी भारी मात्रा में रेत और खनिजों का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है और उन्हें तमिलनाडु राज्य में पहुंचाया जा रहा है और वो इससे समृद्ध हो रहे हैं। यह कंपनी भी बड़ी मुसीबत में है।

भारत सरकार हमारी खनिज संपदा का पता और उपयोग करने में सक्षम नहीं है। अवैध खनन चल रहा है और खनन माफिया इस स्तिथि का लाभ उठा रहे हैं।

प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के हैं और वे देश की राष्ट्रीय संपत्ति हैं। उन्हें खनन माफियाओं द्वारा लूटा जा रहा है और वे अनुचित लाभ कमा रहे हैं। गोवा, कर्नाटक और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खनन

लॉबियाँ अत्यधिक मुनाफा कमा रही हैं और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी उनका उल्लेखनीय हस्तक्षेप देखा जा रहा है। आज के समय में लगभग सभी माफिया तत्व हमारी राजनीतिक प्रणाली के उच्च स्तरों पर प्रभाव स्थापित कर चुके हैं, और इन शक्तियों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी अनुचित प्रभाव डाला जा रहा है।

मेरा कहना है कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। दूसरा, पर्यावरणीय पहलुओं पर समुचित ध्यान दिए बिना तथा सामाजिक प्रभाव का आकलन किए बिना, हमारे पर्यावरण और सतत विकास को जोखिम में डालते हुए अनियंत्रित रूप से खनन गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। अनियंत्रित खनन और अवैध खनन को किसी भी कीमत पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। अतः जब वर्तमान स्थिति ऐसी है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें कि क्या 'खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015', जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार की ओर से प्रख्यापित अध्यादेश के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, न्यायसंगत उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा वे सभी प्रमुख विषयों को संबोधित करता है, जिनका मैंने उल्लेख किया है।

विधेयक के संदर्भ में पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र का पुनर्गठन एवं उदारीकरण करना है, ताकि निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और इस क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा मिले। यही इस विधेयक पर मेरा पहला विरोध है। यह विधेयक वास्तव में तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य श्री अनवरुल होडा के तहत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 की समीक्षा करने; एम.एम.डी.आर. अधिनियम,1957 के कामकाज की समीक्षा करने, और यह भी देखने के लिए कि खनन गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को कैसे सरल बनाया जा सकता है, किया गया था। ये तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य श्री अनवरुल होडा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ की शर्तें हैं। उन्होंने

प्रतिवेदन भी दे दिया है। होडा समिति की अधिकांश सिफारिशें भी सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा करते हुए खनन क्षेत्र का निजीकरण करने के पक्ष में हैं। यह होडा समिति की सिफारिशों का सारांश था।

होडा समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2008 में राष्ट्रीय खनिज नीति भी लागू की गई थी। अतः, हमारे देश में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खनिजों का स्वामित्व राज्य के पास होता है। हालाँकि, केंद्र सरकार का लगभग सभी खनिजों पर नियंत्रण अभी भी है। अतः, सरकार ने इन सभी अवधियों के दौरान विशेष रूप से नव-उदारवादी आर्थिक काल के दौरान निजीकरण को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में निजी संस्थाओं और निजी कंपनियों को अनुचित लाभ दिया गया है। यहां तक कि लौह अयस्क और बॉक्साइट खदानों की तरह आबद्ध खदानें भी स्थानीय सहित अधिकांश बहु-राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपनियों को दी जाती हैं। नि:संदेह, मैं किसी भी कंपनी के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

एक ताजा रिपोर्ट जो चौंकाने वाली है - जो कि सरकार द्वारा तैयार ना करके उद्योग द्वारा तैयार की गई है, बल्कि यह, आर्नस्ट एंड यंग, एक अत्यधिक प्रतिष्ठित फर्म द्वारा तैयार की गई है के अनुसार वर्ष 2009 के अंत तक 23 राज्यों में खनन पट्टे में दी गई 4.9 लाख हेक्टेयर भूमि का 95 प्रतिशत जिसमें 70 प्रतिशत भूमि निजी कंपनियों को दी जा रही है। हमारे देश में खनन परिदृश्य को देखिए! सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। यह वर्ष 2008 की राष्ट्रीय खनिज नीति का प्रभाव है। ये होडा समिति की सिफारिशें हैं। किसे लाभ हो रहा है? इस विधेयक का उद्देश्य इसे और बेहतर तरीके से गैर-नियमित और निजीकरण करना है। यह इस विधेयक की मंशा है। यह मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है।

लाभ की बात करें, अभी तक - बेशक, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, रॉयल्टी की नीति में बदलाव कर दिया गया है - एक टन लौह अयस्क के लिए रॉयल्टी जो केंद्र सरकार ने तय की थी, वह सिर्फ 26 रुपये थी, खनन की लगत सिर्फ 250 रुपये से 300 रुपये प्रति टन थी, लेकिन बाजार मूल्य 7,000 रुपये था जो बहुत अधिक था। तो, रॉयल्टी सिर्फ 26 रुपये प्रति टन थी ; खनन लागत सिर्फ 250 रुपये से 300 रुपये; थी लेकिन लौह अयस्क का बाज़ार मूल्य 7,000 रुपये था। इन खनन गतिविधियों से निजी कंपनियों द्वारा किए जा

रहे भारी लाभ या असामान्य लाभ के बारे में सोचें। अतः, इस विधेयक का मूल उद्देश्य खनन क्षेत्र को और अधिक नियमित और उदार करना है ताकि निजी कंपनियां भारी मुनाफे के साथ और अधिक समृद्ध हो सकें। इसलिए मैं इस विधेयक का प्रबल विरोध करता हूं।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस खनन (संशोधन) विधेयक की एक बड़ी कमी यह है कि इसमें आदिवासी समुदायों के अधिकारों को समुचित रूप से संबोधित नहीं किया गया है। अधिकांश खनन क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ देश की वंचित, श्रमशील और विशेष रूप से जनजातीय आबादी निवास करती है, लेकिन इन प्रभावित समुदायों के हितों को विधेयक में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस विधेयक में भी उचित परामर्श की कोई जगह नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

जहां तक जनजातीय समुदाय का संबंध है, जनजातीय समुदायों को एक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। हितधारकों के संबंध में उचित परामर्श जैसा कुछ भी नहीं है। परियोजना से प्रभावित लोगों के मामले में भी यही स्थिति है। वास्तव में, जनजातीय समुदाय भूमि के वास्तविक मालिक हैं। उन्हें संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ही भूमि के मालिकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस विधेयक में प्रासंगिक प्रावधान जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में, विशेषकर, संविधान जनजातीय समुदायों को भूमि का स्वामित्व देने और खनिजों में हिस्सेदारी देने का अधिकार प्रदान कर रहा है। लेकिन, दुर्भाग्य से, खनन क्षेत्र के संबंध में इस तरह के व्यापक विधान का प्रारूप तैयार करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, और मैं खनन गतिविधियों का विशेषज्ञ भी नहीं हूं, क्योंकि यह क्षेत्र मेरी विशेषज्ञता के दायरे से बाहर है। जहाँ तक मेरा संबंध है, यह विषय मेरे लिए जटिल और कुछ हद तक असामान्य प्रतीत होता है।

जब मैं वर्ष 2011 के विधेयक, जो यूपीए सरकार के दौरान प्रस्तुत किया गया था, को पढ़ता हूँ, तो मुझे प्रतीत होता है कि इसमें यह अनिवार्य किया गया था कि सभी कंपनियाँ अपने शुद्ध लाभ का 26 प्रतिशत स्थानीय समुदायों के कल्याण हेतु आबंटित करें, साथ ही गैर-कोयला खनिजकर्ताओं द्वारा रॉयल्टी के बराबर

धनराशि खर्च की जानी चाहिए। परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ लाभों का उचित वितरण और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण पहलू इस विधेयक में सम्मिलित नहीं है। मैं केवल इस विषय में स्पष्टीकरण का आग्रह कर रहा हूं। मैं इसके बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हूं।

जब यूपीए सरकार थी, तब खनन क्षेत्र के कल्याण के लिए परियोजना प्रभावित लोगों के साथ लाभ का 26 प्रतिशत साझा करना अनिवार्य था, लेकिन अधिकांश उद्योग इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहे थे और इसे रोका गया था। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि उस समय कोल इंडिया के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह सरकार का निर्णय है और वे कोल इंडिया लिमिटेड के लाभ को साझा करने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की महत्ता को दर्शाता है। खनन के संदर्भ में, जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा अन्य उपक्रम को यह अनुमति प्रदान की जाती है, तो निस्संदेह उन कंपनियों को सरकार के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि उनका सामाजिक दायित्व सर्वोपरि है। उनकी गतिविधियां भी राष्ट्रीय हित और सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल अत्यधिक लाभ के उद्देश्य के लिए। यह टिपण्णी उस समय के कोल इंडिया के अध्यक्ष की है। उस निर्णय का क्या हुआ? यह इस विधेयक में नहीं है। यह मेरी तीसरी आपत्ति है जिसको मैं इस सभा के समक्ष लाना चाहूंगा।

विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर आते हुए, मैं सर्वप्रथम खानों के आबंटन पर आता हूं। मैं इस संबंध में सरकार का पूरा समर्थन करता हूं। चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक, मैं सरकार के इस निर्णय से सहमत हूं कि खनन क्षेत्रों का आबंटन एक समान प्रक्रिया के माध्यम से, अर्थात् नीलामी के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूं और सरकार के इस कदम का पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि यह निःसंदेह पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। आजकल निर्णय क्षमता पूरी तरह से विवेकाधीन है। यह संबंधित कार्यकारी, नौकरशाही या मंत्रालय की मनमर्जी और इच्छाओं के अनुसार होती है। यह कोयला ब्लॉक से सम्बंधित नही है बल्कि यह खनन ब्लॉकों के संबंध में है। अतः, नीलामी द्वारा खानों के आबंटन से निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी मैं इस प्रावधान का समर्थन करता हूं कि खानों का आबंटन नीलामी के माध्यम से होना चाहिए।

मैं जो मुख्य आपत्ति व्यक्त करना चाहता हूं वह खनन पट्टे की अवधि के संबंध में है जिसे 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष किया जा रहा है। मैंने इस विधेयक में बहुत सारे संशोधन देखे हैं। तर्क क्या है? पट्टे की अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने के लिए पर्याप्त कारण क्या है? इसका कोई औचित्य नहीं है। 30 वर्ष की अवधि बिल्कुल पर्याप्त है, चाहे वह लघु खनिज हो या प्रमुख खनिज हो। वर्तमान कानून खनन पट्टे के 30 वर्ष के लिए है। लेकिन यहां इसे 50 साल तक बढ़ाया जा रहा है। यह बिल्कुल अनावश्यक है। हम सभी संशोधन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह 50 वर्ष के पट्टे की स्थिति पर पुनर्विचार करे। इसका अर्थ है कि आप खनन पट्टाधारकों को अनुचित लाभ और अनुचित भत्ता दे रहे हैं। इसलिए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। यह सरकार के सामने मेरा निवेदन है।

अंत में, मैं अपना वक्तव्य दो-तीन मुख्य बिंदुओं तक सीमित रखना चाहता हूं। दूसरा मुद्दा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से संबंधित है, जिसके संबंध में नए संशोधनों के तहत एक नया संगठन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

खनन प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्थापित करने का प्रावधान है। यह एक बहुत अच्छा विचार है। हमारे क्षेत्र में भी माइनिंग एरिया वेलफेयर बोर्ड और समर्पित निधि मौजूद है। मेरा सुझाव है कि खनन गतिविधियों से स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होना चाहिए।

हम यह जानते हैं कि समुद्र तट के रेत खनन में सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय समुदायों, विशेषकर मछुआरों की है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में खनन कार्य अत्यंत कठिन है और इसमें अनेक सामाजिक समस्याएँ सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले हमें खनन से प्रभावित हो रहे स्थानीय लोगों की मांगों को पूरा करना होगा। अतः, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को मेरा सुझाव है कि इस शब्द को बदलना होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान शब्द के कारण विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ संभव हो सकती हैं।"

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना के पीछे क्या मंशा है? मैं सुझाव देना चाहूंगा - क्यों न हमारे पास मिनरल माइनिंग एरिया वेलफेयर फाउंडेशन होनी चाहिए? यदि यह एक माइनिंग एरिया वेलफेयर फाउंडेशन है, तो निश्चित रूप से, संगठन का नाम भी एक संदेश देगा कि खनन से प्रभावित गरीब लोगों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इस न्यास या निकाय का गठन किया गया है। इस शब्द से कई प्रकार की व्याख्याएँ संभव हो रही हैं। यह किसी प्रकार से हानिकारक नहीं होगा। यदि सरकार का उद्देश्य वास्तव में खनन प्रक्रिया से प्रभावित गरीब लोगों को लाभ प्रदान करना है, तो मेरा सुझाव है कि इसका नाम 'माइनिंग एरिया वेलफेयर फाउंडेशन' रखा जाना चाहिए।

एक अन्य सुझाव यह है कि पूर्व चर्चाओं के दौरान यह अनुभव हुआ है कि इस फाउंडेशन या संस्था में अधिकांशतः नौकरशाह शामिल होते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि इन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, साथ ही खनन से प्रभावित लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि उनके हितों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

एक अन्य संस्थागत निकाय नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन फंड है, जिसके लिए रॉयल्टी का दो प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तथापि, इस कोष के उद्देश्य और कार्यप्रणाली अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, और इस संबंध में मेरी भी जानकारी पूर्ण नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांग रहा हूं जिससे कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन फंड से क्या अभिप्राय है, इसकी जानकारी हमें दी जा सकेगी। इस नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन फंड से केवल दो प्रतिशत रॉयल्टी दी जाती है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का संबंध है, यह निर्धारित किया गया है कि यह खनन पट्टाधारकों द्वारा सरकार को दी जा रही रॉयल्टी के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं। यदि आप उन प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं,तो उनको अधिक लाभ दिया जाना चाहिए। हमारे देश में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उच्च मुनाफा और लाभ देने के स्थान पर हम इन गरीबों

को ज्यादा लाभ क्यों नहीं देते? जब नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन फंड को रॉयल्टी का दो प्रतिशत दिया जाता है तो यह रॉयल्टी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

जहां तक कुछ खनिजों के खनन का संबंध है, मैं उन प्रक्रियाओं को भी स्वीकृति देता हूं जिनमें केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि खनन योजना का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें केंद्र से राज्य सरकारों को अधिकारों का हस्तांतरण किया गया है। पहले, मौजूदा अधिनियम के अंतर्गत पूरी जिम्मेदारी और अधिकार भारत सरकार के पास निहित थे। खनन पट्टे प्रदान करने में कई कठिनाइयां हैं। सबसे पहले हमें इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग की अनुमति लेनी होगी जिसके लिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग द्वारा एक खनन योजना तैयार की जानी है। खनन योजना भारत सरकार से आवश्यक जरूरतों के साथ आनी है। फिर, केवल खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 के अनुसार राज्य सरकार ही पट्टा प्रदान करने में सक्षम है। संपूर्ण और पूर्ण अधिकार अभी भी राज्य सरकार के पास निहित है। खनन पट्टा जारी करने के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं पूरी तरह से इस विचार का समर्थन करता हूं।

राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करना भी सही है। मेरी आशंका यह है कि क्या राज्य सरकारें खनन योजना प्रदान करने के योग्य हैं और क्या वे इस तत्काल विधान द्वारा एक साथ इन सभी पहलुओं को करने में सक्षम हैं। यह एकमात्र आशंका है क्योंकि यह पूरी तरह से तकनीकी मामला है। यह इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग द्वारा किया जा रहा है। कई प्रक्रियाविधिक औपचारिकताएं हैं। तो, क्या यह संभव है? क्या वे ऐसा करने में सक्षम हैं? अन्यथा, कुछ अन्य विधि या तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि राज्य प्रक्रियाविधिक औपचारिकताओं को सरल बनाने में अच्छा कार्य कर सके। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि अवैध खनन को अब पांच साल तक के कारावास के साथ गंभीर अपराध बनाया जा रहा है। यह एक अच्छी बात है।

अंतिम बिंदु पर आते हुए, नई धारा 20क (1) के संबंध में, मैं विधेयक के खंड 18 और संशोधित धारा 20क को पढ़ना चाहूंगा जिसमें कहा गया है:

"इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो खनिज संसाधनों के संरक्षण या राष्ट्रीय हित में किसी नीतिगत मामले और खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक और सतत विकास और अन्वेषण के लिए आवश्यक हो।"

इस संशोधन के द्वारा भारत सरकार राज्य सरकारों को निजी खनन कंपनियों के लिए खनन पट्टे देने का अधिकार दे रही है। लेकिन इस धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक ओर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान कर रही है, लेकिन दूसरी ओर वे इन सभी अधिकारों को छीन रही हैं।

मेरी आशंका उस नीतिगत दिशा के संबंध में है जो केंद्र सरकार द्वारा दी जा सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। केरल की सरकार की खनन नीति है। यह खनन नीति विशेष रूप से समुद्र तट रेत खनिजों के संबंध में है, चाहे वह एल.डी. एफ़. सरकार हो या यू.डी.एफ़. सरकार हो, इस पर कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। हमारी खनन नीति यह है कि खनन पट्टे केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिए जाएंगे। इस धारा के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्देश भी दिया जा सकता है। जहां तक भारत सरकार की खनिज नीति का संबंध है, 74 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की भी अनुमति दी जा रही है। भारी खनिजों के मामले में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संभव है और तमिलनाडु में ओडिशा में और हर जगह निजीकरण संभव है।

जहां तक तटीय रेत खनिजों का प्रश्न है, वहां निजी इकाइयाँ संचालित हैं और निजीकरण की प्रक्रिया प्रभावी रूप से लागू है, जिससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन हम केरल में निजी कंपनियों को खनन पट्टा नहीं दे रहे हैं और यह अधिकार हमें केवल खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के माध्यम से प्राप्त है। यही कारण है कि इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, केरल, मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, त्रावणकोर, टाइटेनियम प्रोडक्ट्स, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। उनका अस्तित्व इससे जुड़ा हुआ है और इसके द्वारा हजारों श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा रही है। मान लीजिए कि इस संशोधन को इस विधेयक के पारित होने के साथ स्वीकार कर लिया जाता है, मुझे आशंका है कि भारत सरकार राज्य

सरकारों को अपनी नीति में परिवर्तन करने का निर्देश दे सकती है और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है जिसे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है। इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है, इस पर भी गौर किया जाए ताकि केरल राज्य के संप्रभु हितों की रक्षा की जा सके। उन्हें अपनी नीति बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि खनन पट्टे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए जा सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इस अध्यादेश का निरनुमोदन करते हुए अपने सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करता हूं। इन टिप्पणियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी क्या आप सांविधिक संकल्प के संबंध में अब कुछ कहना चाहते हैं या इसे अपने उत्तर के साथ सम्मिलित करना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप चर्चा प्रारम्भ रखें, जब मैं उत्तर दूँगा तो इसके बारे में अपनी बात कहूंगा।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> “कि यह सभा 12 जनवरी, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश (2015 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।
>
> और
>
> कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”

[हिन्दी]

श्री आभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : महोदय, आपने मुझे आज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल, 2015 पर चर्चा का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माइंस एंड मिनरल्स को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता है। उद्योगों के विकास की बात हो या अवसंरचना के निर्माण की बात हो या फिर देश के लिए महत्वपूर्ण सामरिक विषयों के लिए निर्माण की बात हो, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रॉ मैटीरियल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइंस एंड मिनरल्स सेक्टर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज की यह चर्चा निश्चित रूप में खनिज संसाधनों के रूप में हो रही है, लेकिन मैं सदन का ध्यान थोड़ी देर के लिए मानव संसाधन की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। इस देश की 50 प्रतिशत आबादी की उम्र 25 वर्ष से कम है और यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि इस देश के युवाओं को एक सही दिशा देने के लिए, उनको रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर को बढ़ावा देते हुए, 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की दिशा से जोड़ा जा रहा है।

महोदय, मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपका और सदन का ध्यान इस देश की अर्थव्यवस्था पर माइनिंग और मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर का जो महत्वपूर्ण योगदान है, की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस सैक्टर में लगभग 2.3 मिलियन लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। देश की जी.डी.पी. में इस सैक्टर का योगदान 2 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत के आस-पास फल्कचूएट होता रहता है। इसके बावजूद भी माइनिंग सैक्टर का योगदान देश की जी.डी.पी. से पॉजिटिव्ली को-रिलैटेड है। इस क्षेत्र में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि से हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

खनिजों के उत्पादन में भी हमारे देश को पूरे विश्व में एक विशेष स्थान मिला है। हम खनिजों के उत्पादन में बराइट्स टॉक और स्टेटाइट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं। हम कोल लिग्नाइट, क्रोमाइट और जिंक के

उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। हम आयरन ओर के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। हम मैग्नीज और बॉक्साइट ओर के उत्पादन में छठे स्थान पर हैं।

मैं आज इस चर्चा के दौरान इस सदन का ध्यान इतिहास की ओर भी ले जाना चाहता हूं। विश्व में प्रथम ऑयल वेल ड्रिलिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरीका में पेनिसलवेनिया स्टेट में सन् 1859 में हुई थी। उसके मात्र 7 सालों के बाद असम क्षेत्र के डिग्बोई में भारत में पहली ऑयल वेल ड्रील की शुरुआत हुई थी। उसके साथ-साथ हमारे देश में पहली रिकॉर्डेड माइनिंग की परमिशन वर्ष 1774 में वेस्ट बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एक ब्रिटिश कम्पनी को दी थी। इन आंकड़ों पर नजर डालने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में प्रचूर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन यदि हम वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान दें तों हमें यह समझ में आता है कि निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

इस सैक्टर के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वह हमारे माइनिंग के रिर्सोसेज के एक्सप्लोरैशन का है। अभी आदरणीय सदस्य जी ने इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मैं इस सदन का ध्यान कुछ और आंकड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक, इस देश के हार्ड रॉक क्षेत्र का मात्र 10 प्रतिशत क्षेत्र का एक्सप्लोरैशन हुआ है। यदि हम अन्य खनिज प्रधान देशों से अपने देश की तुलना करें और यह देखें कि अन्य खनिज प्रधान देश एक्सप्लोरैशन में कितना खर्च करते हैं, विज ए विज भारत देश में खनिज के एक्सप्लोरैशन पर अभी तक कितना खर्च होता आया है। यदि हम आस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वह प्रति वर्ग किलोमीटर एक्सप्लोरैशन पर 124 यू. एस. डालर्स खर्च करता है। यदि हम कनाडा की बात करें तो वह प्रति वर्ग किलोमीटर एक्सप्लोरैशन पर 118 यू.एस. डालर्स खर्च करता है। अगर हम भारतवर्ष की उनसे तुलना करें तो हम मात्र 09 यू.एस. डालर्स खर्च करते हैं, इसका मतलब हम उनसे 10 गुना से भी कम खर्च करते हैं। उनके और हमारे खर्च में एक बड़ा अन्तर है। कहीं न कहीं यह अन्तर हम सबको बताता है कि हमारी संभावनायें अभी बहुत बाकी हैं। इस दिशा में मजबूत और ठोस प्रयास निश्चित रूप से होने चाहिए।

इसके साथ-साथ यदि हम खनिज की खपत को अन्य खनिज प्रभावित देशों से तुलना करें तो हम देखेंगे कि आस्ट्रेलिया में जी.डी.पी. में माइनिंग सैक्टर का योगदान 5.9 प्रतिशत है, और साउथ अफ्रीका वह में 5.03 प्रतिशत है, चिल्ली में वह 6 प्रतिशत है, लेकिन, भारत में वह 2.6 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति खनिज खपत में हम ब्रिक्स देशों की तुलना में भी सबसे पीछे हैं। अन्य देशों की तुलना के बारे में बात करना, अभी ठीक नहीं होगा।

मैं सरकार और आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए बिल में एक संशोधन किया है जिसमें नैशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की स्थापना करके इस देश में एक्सप्लोरेशन एक्टीविटी को बढ़ाने का एक ठोस और मजबूत प्रयास किया है। इस ट्रस्ट में 2 प्रतिशत की रॉयल्टी आयोजित की जाएगी जिससे आने वाले समय में हम इस देश को एक्सप्लोरेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकें। इसके साथ-साथ एक्सप्लोरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए बिना लाइसैंस के एक्सप्लोरेशन हो सके, उसके लिए केन्द्र सरकार कुछ संस्थाओं को आधिसूचित कर सके, ऐसा आधिकार केन्द्र सरकार ने इस बिल के माध्यम से रखा है।

यह सैक्टर पिछले कई सालों से नीतिगत आनिश्चिताओं का दंश झेल रहा था। प्रशासकीय विलंब इस सैक्टर की एक पहचान बन चुका था। यदि मैं सदन के सामने इसका एक ज्वलंत उदाहरण रखना चाहूं तो अक्टूबर, 2014 का एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। लगभग 62 हजार आवेदन अलग-अलग राज्य सरकारों के पास किसी न किसी स्तर पर लंबित थे। जब से एन.डी.ए. सरकार ने अपना कार्यकाल संभाला है, आदरणीय नरेन्द्र मेदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरैंसी, एकाउंटेबिलिटी और टाइमली डिसीजन मेकिंग को मूल मंत्र बनाकर हम आगे चल रहे हैं। इसी को आधार बनाकर इस बिल में इन सिद्धान्तों की कई झलकें मिलती हैं। जैसे अभी आदरणीय सदस्य बता रहे थे कि कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें केन्द्र सरकार ने उन स्तरों को कम किया है। उदाहरण के लिए खनिज रियायतों के लिए पहले केन्द्र का पूर्व अनुमोदन जरूरी था जिसे अब इस प्रावधान से हटा दिया गया है। इसके साथ-साथ यह सारी प्रक्रिया एक निश्चित और डिफाइन्ड समय-सीमा के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हर स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए एक तय समय-सीमा भी निश्यित

की गई है। इसके साथ-साथ पहले माइनिंग प्लान का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में कराना आनिवार्य था। लेकिन इस बिल के माध्यम से यदि राज्य सरकार चाहे तो माइनिंग प्लान बनाकर उसका प्रमाणिकरण करके और मौनीटरिंग की उचित व्यवस्था बनाकर यदि एक बार केन्द्र सरकार से अनुमोदन ले लेती है, उसके बाद उस राज्य में होने वाली माइनिंग उन मापदंडों के आधार पर चलती है तो इस प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ी छूट राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने दी है।

पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। उदाहरण के लिए 2जी स्पैक्ट्रम, संदूर और कोल ब्लॉक एलोकेशन। उच्चतम न्यायालय ने प्रमुख रूप से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति को संविधान की धारा 14 के अनुरूप न मानते हुए 218 में से 214 कोल ब्लॉक एलोकेशन कैंसिल किए। 2जी स्पैक्ट्रम में 122 लाइसैंस कैंसिल किए। वर्तमान सरकार और आदरणीय प्रधान मंत्री जी की पारदर्शी नीतियों एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली के चलते हाल ही में पूरे देश ने देखा है कि उन 214 में से 18 कोल ब्लॉक्स की नीलामी हुई है जिससे पूरे देश को आने वाले 30 सालों में एक लाख करोड़ से भी आधिक के राजस्व की प्राप्ति होगी।

इस बिल में भी इन्हीं सिद्धान्तों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि आबंटन की एकमात्र विधि नीलामी ही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के सभी सदस्य इस विधि से निश्चित रूप से सहमत होंगे। मैं इस सदन के सामने 2जी का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमैंट पढ़ना चाहता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था –

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है :

> “हमारे मत में, निष्पक्ष और उचित तरीके से आयोजित एक विधिवत प्रचारित नीलामी ही इस बोझ को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है। पारंपरिक ‘पहले आओ-पहले पाओ’ जैसे आबंटन तरीकों का दुरुपयोग उन असच्चे तत्वों द्वारा किया जाता है, जो केवल अधिकतम वित्तीय लाभ पाने में रुचि रखते हैं और संवैधानिक लोकाचार या मूल्यों का कोई सम्मान नहीं करते।”

[हिंदी]

इस क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण कमजोरी पर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सैक्टर कानून के अप्रभावी सम्पादन की वजह से लगातार परेशानियों में घिरा हुआ था। सन् 2010 में तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार ने जस्टिस एम.बी.शाह कमीशन को इस देश में आयरन ओर और मैंगनीज़ ओर के अवैध खनन की जांच करने के लिए स्थापित किया था। कमीशन की रिपोर्ट ने गोवा, ओड़िसा और झारखंड में अवैध उत्खनन के कई मामलों पर देश के सामने प्रकाश डाला। इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्यात, कर चोरी, पट्टों का अवैध हस्तांतरण और विशेष रूप से एमएमडीआर एक्ट की कई कमियों के ऊपर इस कमीशन की रिपोर्ट ने प्रकाश डाला था। एमएमडीआर की जो कमियां बताई गई थीं, उनके अंदर अवैध खनन की परिभाषा, अपर्याप्त जुर्माना और दंड, उसके साथ डीम्ड नवीनीकरण का प्रावधान, राज्यों में अवैध खनन को रोकने पर विशेष बल दिया गया था। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं कि राज्यों को अवैध खनन रोकने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें अवैध खनन को दंडित करने के लिए पांच साल का कठोर कारावास और अर्थदंड पांच लाख प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। अवैध खनन के मामले का शीघ्र निपटान हो सके, इसके लिए राज्य सरकारों को विशेष अदालत बनाने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है।

कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उस समय कई न्यायालयों ने माइनिंग के ऊपर बैन लगा दिया था। जब इसके ऊपर बैन लगा, तब उन माइन्स में काम करने वाले लाखों लोगों के ऊपर बेरोजगारी का संकट आ गया। इससे न सिर्फ बेरोजगारी बल्कि यदि मिनरल्स की तुलना करें तो सन 2008 में हमारे ऑयरन अयस्क का उत्पादन 212 मिलियन टन था, वह 2013-14 में घटकर 152 मिलियन टन आ चुका है। ऑयरन अयस्क का निर्यात 68.90 मिलियन टन था वह अब घटकर 16.50 टन आ चुका है। इससे भारत के रॉ मेटेरियल सिक्यूरिटी पर असर पड़ा, बल्कि करेंट अकाऊंट डेफिसिट पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस बिल के नए प्रावधानों से आने वाले समय में हमारे देश में अवैध खनन पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं।

उसकी पहचान एक खनिज संसाधनों से युक्त राज्य के रूप में होती है। हम पूरे देश में कोल उत्पादन में प्रथम हैं, आयरन अयस्क रिजर्व में तीसरे स्थान पर हैं, इसके अलावा टीन अयस्क के सिंगल प्रोड्यूसर हैं। खनन प्रभावित क्षेत्र और खनन से प्रभावित क्षेत्रों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए इस बिल में एक विशेष प्रावधान किया गया है। हमेशा यह बात उठती है कि विकास में स्थानीय समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने प्रभावित क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, डिस्ट्रीक्ट मीनरल फाउन्डेशन के नाम से बनाया गया है। जिसमें रायलटी आधिकतम 33 प्रतिशत का डिस्ट्रीक्ट मीनरल फंड में जाएगा। इस डिस्ट्रीक्ट मीनरल फंड के माध्यम से उस क्षेत्र की अधोसंरचना के विकास में और उस क्षेत्र में जो प्रभावित लोग हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों के हिसाब से हम ठोस काम कर पाएंगे। इस पूरी चर्चा के दौरान कई अलग-अलग विषय आएंगे, अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि यह पूरा बिल भारत सरकार की सोच, इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता का एक बहुत सुन्दर सम्मिश्रण है। सेक्टर की चुनौतियों और समस्याओं के समाधान, पारदर्शिता, जवाबदेही और आभिनव सोच के साथ सरकार के इस बिल का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के सदस्य इस ईमानदार प्रयास को सराहेंगे और सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण सुझावों से अपना अमूल्य सहयोग देंगे। इससे देश की प्रगति को तेज गति से आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। जय हिन्द।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह माननीय सदस्य श्री अभिषेक सिंह जी का पहला भाषण था, और वास्तव में उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली एवं सुगठित रूप से अपनी बात प्रस्तुत की है।

माननीय उपाध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 के नाम से बने कानून पर विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ, जिसके पहले एक अध्यादेश लाया गया था, जिसका मेरे सहयोगियों ने पुरजोर विरोध किया है।

वास्तव में इस सरकार ने हमें अध्यादेशों को पढ़ने नहीं दिया है। जैसे ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं चल सकता, वैसे ही एन.डी.ए. सरकार अध्यादेश के बिना नहीं चल सकती। यही इस सरकार की वास्तविकता है।

महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्रीजी का तथा इस सभा का, आपके माध्यम से, ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश पारंपरिक संसदीय लोकतंत्र की स्थापित प्रथाओं के विरुद्ध है। हमें नहीं पता कि सरकार किसी भी वैध तर्क या कारण की पुष्टि किए बिना इस अध्यादेश को लाने की इतनी जल्दी क्यों कर रही थी।

इसके अलावा महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ओडिशा सरकार ने एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की थी जिसे खनिज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीति बताया गया था। इस्पात और खान विभाग द्वारा 9 जनवरी, 2015 को एक संकल्प जारी किया गया था, जिसे 12 जनवरी, 2015 को ओडिशा के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। उसी दिन, अर्थात, 12 जनवरी, 2015 को विधि और न्याय मंत्रालय में भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 प्रख्यापित करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया।

निर्णय लेने वाली घटनाओं का परिणाम वास्तव में दिलचस्प और हैरान करने वाला है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची 1 में उल्लिखित प्रविष्टि 54 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत प्रभावी एवं प्रचलित कानून था। इस दृष्टि से, संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में प्रविष्टि 23 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ ऐसे विधायी क्षेत्र में सीमित थीं, जो पहले से ही केंद्र सरकार के संसद द्वारा अधिकार क्षेत्र में आ चुका था, इसलिए वह राज्य विधानमंडल के लिए उपलब्ध

नहीं रह गई थीं। अनुच्छेद 152 के अनुसार, संविधान के उपबंध के अधीन, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। अतः एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 के अंतर्गत विधायी क्षेत्र अब राज्य विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बाद में, राज्य की कार्यकारी शक्ति भी उसी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, राज्य की कार्यपालिका 12 जनवरी, 2015 को ओडिशा असाधारण राजपत्र में प्रकाशित 9 जनवरी, 2015 के अपने संकल्प के माध्यम से निर्देश जारी करने का कोई भी अधिकार नही था। विडंबना यह है कि अध्यादेश 2015 का संख्याक 3, 12 जनवरी, 2015 को लागू हुआ, जिसने राज्य सरकार के अधिकारों को निरर्थक और व्यर्थ बना दिया।

उपरोक्त विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि क्या हम वास्तव में सुशासन की प्रणाली के तहत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वक्तव्य किसी भी समन्वय, संगति या वास्तविक निर्णयात्मक भागीदारीपूर्ण विचार-विमर्श का प्रमाण नहीं देते। यह एन.डी.ए. सरकार द्वारा संचालित सहकारी संघवाद का स्पष्ट उदाहरण है।

महोदय, हमारे देश में खनन क्षेत्र में कम से कम 23 राज्य शामिल हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अध्यादेश के माध्यम से इन संशोधनों से क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व में भी यूपीए शासन के दौरान खानों और खनिज विकास विधेयक में अनेक प्रगतिशील और गतिशील उपायों को शामिल किया गया था। वर्ष 2011 में, 26 प्रतिशत खनिज लाभ आदिवासियों और विस्थापितों के कल्याण के लिए उस विधेयक में निर्धारित किया गया था जिसका उल्लेख हमारी प्रिय नेता सोनिया गांधी जी के कहने पर मेरे सहयोगी श्री रामचंद्रन जी ने किया था। उन्होंने खनिज विकास से प्राप्त 26 प्रतिशत लाभ को विशेष रूप से आदिवासियों और विस्थापित लोगों सहित प्रभावित क्षेत्रों की जनता के कल्याण और लाभ के लिए प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

महोदय, हम जानते हैं कि इस विधान में जो नीलामी प्रस्तावित की गई है, वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिणाम थी। इसलिए, सरकार को पारदर्शिता की आड़ लेकर नीलामी के मार्ग का उपयोग उचित

नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि यह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार था और सरकार को नीलामी के मार्ग को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला है।

हम निजीकरण के विरुद्ध नहीं हैं; हम खनिज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरुद्ध नहीं हैं क्योंकि अभी भी हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, जहां हमारे खनिज संसाधन हैं, अछूते रह गए हैं। हमारा मानना है कि कृषि क्षेत्र के बाद खनिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां मिल सकती हैं। हमें पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है; हमें आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है; और हमें खनिज क्षेत्र को विकसित करने के लिए आधुनिक निष्कर्षण कौशल की आवश्यकता है। लेकिन नीलामी की वह प्रक्रिया, जो पूरी तरह से खोजे गए संसाधनों के बजाय केवल खनिज संभाव्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है — जैसा कि हुडा समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है — पूरी प्रणाली को विकृत कर सकती है। इसका गंभीर प्रभाव न केवल सरकार पर पड़ेगा, बल्कि खरीदारों पर भी, क्योंकि खनिज बाजार स्वभावतः अत्यधिक उतार-चढ़ाव से ग्रस्त रहा है। इसके विपरीत, कोयला एक नियंत्रित उत्पाद है जिसकी कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं, जबकि अन्य खनिजों की कीमतें वैश्विक बाज़ार से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। इसलिए, खनिजों की कीमतों और कोयले की कीमतों के बीच व्यापक अंतर है। इसलिए महोदय, वैश्विक कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को देखते हुए नीलामी को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा।

महोदय, हमारे देश की एक प्रमुख खनिज कंपनी ने भी नीलामी प्रक्रिया को एक प्रतिगामी कदम करार दिया है, जिसे अब तक विश्वभर में कहीं भी अपनाया नहीं गया है। विशेष रूप से गहराई में स्थित खनिजों के संदर्भ में, बिना समुचित प्रारंभिक सर्वेक्षण (भूमि परीक्षण) के संभावित लाइसेंस की नीलामी की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

महोदय, आप जानते हैं कि इस विधेयक में अन्वेषण लाइसेंस और खनन लाइसेंस को शामिल किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रारंभिक सर्वेक्षण को लेकर उनकी क्या योजना है,

क्योंकि पर्याप्त डेटा या सर्वेक्षण के अभाव में निजी निवेशकों को आकर्षित करना संभव नहीं है। क्षमता के बारे में पर्याप्त डेटा और सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिना निजी निवेशक स्वेच्छा से इस क्षेत्र में नहीं आएगा।

अतः सरकार को नीलामी प्रक्रिया अपनाने से पहले व्यापक और गहन प्रारंभिक सर्वेक्षण की एक प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। खनिज की दो श्रेणियां हैं - अधिसूचित और गैर -अधिसूचित। कुछ खनिज पृथ्वी की सतह पर ही पाए जाते हैं। उन्हें पहले से ही चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। मुझे लगता है, यदि आप पर्याप्त डेटा प्रदान करने में सक्षम थे तो नीलामी का मार्ग अधिक व्यवहारिक हो सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया और मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन की अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट है, लेकिन भूमीक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिससे खनिज भंडारों का पता लगाया जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसे प्रकृति द्वारा विशाल खनिज भंडार प्रदान किए गए हैं। यदि हम उन संसाधनों को संतुलित तरह से निकाल सकें, तभी हमारा देश समृद्ध हो सकता है।

मुझे नहीं पता कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नीलामी में भाग लेने से क्यों बाहर रखा गया है? हम यह भी देखना चाहते हैं कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी क्षेत्र के बराबर सक्षम हैं।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री के सामने अपने सुझाव रखना चाहूंगा। मना करने का पहला अधिकार विद्यमान लीजधारकों को दिया जाना चाहिए। खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर अध्यादेश में कहा गया है कि खनन पट्टे या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक राज्य सरकार के अनुमोदन और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट के साथ किसी भी पात्र व्यक्ति को पट्टे को हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा, जहां तक लीज़ की अवधि का संबंध है, लीज़ अधिकतम 30 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष के लिए दी गई थी, लेकिन अध्यादेश के तहत कोयला और लिग्नाइट के लिए लीज़ अपरिवर्तित रहती है। कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों के अलावा अन्य सभी खनिजों के लिए खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाएंगे। अध्यादेश से पहले ऐसे खनिजों के लिए दी गई सभी लीज़ 50 वर्षों के लिए मान्य होंगी। लीज़ की समाप्ति पर नवीनीकरण के स्थान पर,

लीज़ की नीलामी की जाएगी। नीलामी के विशेष मुद्दे पर पहले इनकार करने का अधिकार मौजूदा लीज़धारकों को दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि सोसाइटी ऑफ़ जियोसाइंटिस्ट्स एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज़, जो एक खनन क्षेत्र से जुड़ी संस्था है, ने कहा है कि नए अध्यादेश में प्रस्तावित पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा (पी.एल.-सह-एम.एल.) का प्रावधान तब तक व्यर्थ है, जब तक खनिज भंडारों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया जाता, जिसकी ओर मैंने पूर्व में भी संकेत किया था। पी पी.एल.- सह-एम.एल. जैसी नई रियायत प्रणाली की शुरुआत कोई विशेष उपयोगिता नहीं रखती। वर्तमान में प्रचलित पी.एल. और एम.एल. की प्रणाली ही पर्याप्त और उपयुक्त है। यही मत एक विशेषज्ञ समिति ने भी अपनी टिप्पणी में व्यक्त किया है।

पहले, खनिज संपदा की उपस्थिति का पता लगाने और पी.एल. के माध्यम से भंडार का वैज्ञानिक आकलन करने के उद्देश्य से संभावित खनिज क्षेत्र को मंजूरी दी जाती थी। इसके उपरांत, यदि भंडार की पुष्टि होती थी, तो उसी लाइसेंसधारक को संबंधित क्षेत्र के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता था। खनन अध्यादेश के नए प्रावधान के अनुसार अब पी.एल.-कम-एम.एल. की नीलामी की जाएगी, जिसमें दो-चरण की छूट शामिल होगी। यह विचार एकीकृत अनुमोदन प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया गया है। पी.एल.-कम-एम.एल. के लिए क्षेत्र की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि राज्य सरकार के पास सही प्रमाणित भंडार का आकलन करने के लिए संसाधन नहीं हैं। इसलिए, निजी कंपनियां नई खानों के मामले में नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि नहीं लेंगी।

दूसरी बात, यहां तक कि आपकी करीबी सरकार ने हाल ही में अधिसूचित माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एम.एम.डी.आर.) संशोधन अध्यादेश पर केंद्र से संपर्क करने की योजना बनाई है। जबकि अध्यादेश ने दो वर्षों की निष्क्रियता के बाद खनिज उत्खनन के लिए रास्ता प्रशस्त किया है, राज्य के

अधिकारी कहते हैं कि यह अप्रैल 2014 में सरकार द्वारा निर्धारित 20 मिलियन टन खनिज उत्पादन सीमा पर मौन है।

इसलिए, यहां समस्या यह है कि अधिकतर राज्य सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। यहां तक कि आपके समर्थक राज्य जैसे गोवा, कर्नाटक आदि इस विधान में सम्मलित विभिन्न विधानों पर आपत्ति जता रहे हैं। ओडिशा राज्य के मुख्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि यह अध्यादेश और संशोधन राज्य सरकार के अधिकारों पर कुठाराघात हैं। यह आपके विधान के दो भागों ने पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा। यह इस प्रकार है:

> "मूल अधिनियम की धारा 20 के बाद, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:"20क" (1) केन्द्र सरकार, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकारों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए या राष्ट्रीय हित में किसी नीतिगत विषय पर तथा खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक और सतत विकास और दोहन के लिए अपेक्षित हों। (2) विशेष रूप से, तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्र सरकार निम्नलिखित विषयों के संबंध में भी निदेश जारी कर सकेगी, अर्थात्:- (1) खनिज रियायतें अनुदत्त करने की प्रक्रिया में सुधार..."।

इसके अलावा, यह कहा गया है:

> "मूल अधिनियम की धारा 30 के लिए, निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:"30". केंद्र सरकार, अपने स्वयं के प्रस्ताव या किसी पीड़ित पक्ष द्वारा निर्धारित समय के भीतर किए गए आवेदन पर- (क) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौण खनिज से भिन्न किसी अन्य खनिज के संबंध में दिए गए आदेश को संशोधित कर सकती है।

महोदय, हम जानते हैं कि यह विशेष क्षेत्र लूटपाट, दुरुपयोग और माफिया राज से ग्रस्त रहा है। इसलिए हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि बेल्लारी ब्रदर्स की घटना अभी भी हमारे सामने बनी हुई है। वे लोग जो आपके मंत्री के नजदीकी और खास हैं, उन्होंने कर्नाटक के समस्त खनिज संसाधनों का लगभग पूरी तरह लूटपाट की है। अतः आपको इस क्षेत्र के प्रति विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपकी विधेयक का दुरुपयोग किसी भी अनैतिक तत्व द्वारा न हो, जो कभी-कभी इस सरकार और आपके नेताओं के साथ गठजोड़ में रहते हैं। धन्यवाद।

श्री आर.पी. मरुदराजा (पेरम्बलुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। इस अध्यादेश को पारित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि उत्पादन में कमी के कारण विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

सरकार के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि खनिज संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। इन दो महीनों में कोई नीलामी नहीं हुई है। इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई नवीनीकरण नहीं होगा और वर्तमान पट्टा एक निर्दिष्ट अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा और यह अब नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। यदि ऐसा है, तो क्या वास्तव में अध्यादेश का मार्ग अपनाना आवश्यक था, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो हमारे मन में आता है।

1957 के एम.एम.डी.आर. अधिनियम का वर्तमान कानूनी ढांचा खनिज रियायतों की नीलामी की अनुमति नहीं देता है। अब समय बदल गया है। नई तकनीकों से लैस निजी कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि खनिज रियायतों की नीलामी से आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहतर होगी और सरकार को खनिज संसाधनों की बढ़ती कीमतों से अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा। मूल अधिनियम में कुछ प्रावधानों के कारण खनिज रियायतों के नवीनीकरण में देरी होती थी तथा प्रक्रिया अपूर्ण पाई गई। चूंकि औद्योगिक उत्पादन खनन क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए कच्चे माल पर निर्भर करता है, इसमें देरी से हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आई है।

हमारे समक्ष प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य विवेकाधिकार को समाप्त करना, पारदर्शिता में सुधार करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विलंब को समाप्त करना, खनिज संसाधनों के मूल्य में सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाना तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ निजी निवेश को आकर्षित करना है।

1957 के एम.एम.डी.आर. अधिनियम कई वर्षों में कई बार संशोधित किया गया है, जिनमें 1972, 1986, 1994 और 1999 शामिल हैं। वर्ष 2011 में लोक सभा में एक व्यापक संशोधन विधेयक पेश किया गया था।

मसौदे को अंतिम रूप देने में व्यापक परामर्श किया गया था। तब भी इसे कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था, जिसने इसकी गहन जांच की थी स्थायी समिति का प्रतिवेदन मई, 2013 में आया था। फिर भी, इसे पंद्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान पारित नहीं किया जा सका और यह व्यापक विधेयक समयातीत हो गया। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें खानों और खनिजों से संबंधित इस कानून को बनाने से पहले सतर्क रहना होगा।

इस विधेयक का उद्देश्य लाइसेंस के नवीनीकरण के बजाय नीलामी की पद्धति में बदलाव लाना है, लेकिन फिर भी, हमें मौजूदा खनन पट्टों को पूरा करना होगा। इसलिए, आबद्ध खानों के मौजूदा पट्टेदारों का विस्तार 31 मार्च 2030 तक और व्यापारी खनिकों का विस्तार 31 मार्च 2020 तक होगा। नई नीलामी के तहत खनन अधिकार पचास वर्षों के लिए प्रदान किए जाएंगे, जो विस्तार व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय लगभग 20 वर्षों का अतिरिक्त विस्तार है। इस विधेयक में खनन से संबंधित गतिविधियों से प्रभावित जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्थापित करने का प्रावधान है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि पेरम्बलुर जैसे जिलों में ऐसे फाउंडेशन स्थापित किये जाए जिसमें खनिज की व्यापक संभावना है और लघु खनन की गतिविधि नगण्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र की इस क्षमता को भी समुचित महत्व दिया जाएगा।

खनन पट्टाधारकों के योगदान से नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा। खनन क्षेत्रों के पट्टाधारकों को अब अपनी पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि भविष्य में नीलामी प्रणाली के अंतर्गत संचालित होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रक्रिया को स्वयं संचालित करने या नीलामी के लिए दूसरों को सौंपने से पूर्व, भूमि स्वामियों के विशेष दर्जे और अधिकारों पर गंभीरता से विचार किया जाए। यह भी एक प्रश्न है कि क्या नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में योगदान देने वाले खनन पट्टाधारक खनन अधिकार प्राप्त करने में प्राथमिकता या छूट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

यह विधेयक उन प्रक्रियाओं के सरलीकरण का प्रयास है जो लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि प्रमुख खनिजों के रियायत आबंटन से संबंधित हैं। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें खनन संयंत्र के आवेदन के लिए एक व्यवस्था बनाएंगी। इस समय मैं कुछ प्रमुख खनिज खानों को लघु खनिज खानों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता की ओर इंगित करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पड़ोस में पेरम्बलुर जिले और अरियालूर जिलों में चूना पत्थर खनिजों की बहुतायत है। इसे प्रमुख खनिजों की श्रेणी से हटा कर लघु खनिजों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

यदि राज्य सरकारें निर्धारित समयावधि में निर्णय लेने में असमर्थ रहती हैं, तो केंद्र सरकार के पास संशोधन करने का अधिकार होता है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सहकारी संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखते हुए एक-दूसरे की सहायता करे और राज्यों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करे।

अवैध खनन को रोकने के लिये सख्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है तथा 5 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर का उच्च दंड और पांच साल जेल में सजा का प्रावधान होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अब राज्य सरकारें इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराधो के लिए विशिष्ट अदालतें स्थापित कर सकेंगी।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रावधान को भूतपूर्व प्रभाव से लागू कर तमिलनाडु जैसे राज्य सरकारों को सशक्त बनाया जाएगा। हमारे राज्य में पूर्व सरकार के साथ सांठगांठ रखने वाले कुछ तत्वों द्वारा अवैध खनन की समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है।

जब राज्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज गतिविधियों को अनुमति दी जानी है तो सरकार को महत्पूर्ण जीवाश्म शेलों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में, पेरम्बलुर और अरियालूर इलाकों में क्रिटेशिसय शैल बहुतायत में पाए जाते हैं। धरोहर और प्राचीन सभ्यता के उपलब्ध प्रमाणों को संरक्षित रखने के लिए जीवाश्मों का संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ी के लिए प्रदर्शित करना आवश्यक है। हमारी दूरदर्शी नेता, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने अरियालूर में एक जीवाश्म संग्रहालय स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान

किया है ताकि पेट्रीफाइड लकड़ी, ऊट्टाथुर आलू जैसे जीवाश्म नमूने भावी पीढ़ी के लाभ के लिए प्रदर्शित किए जा सकें।

पेरम्बलुर जिले में कराई, थेरानी और कुलक्कानाथम जीवाश्म से समृद्ध है और इसे 'राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया है। अतः मैं केंद्र से पेरम्बलुर में एक जीवाश्म संग्रहालय स्थापित करने का आग्रह करता हूं।

यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारी राष्ट्रीय संपदा बनें, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है।

प्रो. सौगत राय: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खान और खनन (विकास और विनियमन) विधेयक लाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं। श्री प्रेमचन्द्रन जी ने अपनी आपत्तियों के बारे में विस्तार से बताया है। मैं अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले सांविधिक संकल्प का भी हस्ताक्षरकर्ता हूं।

मुझे लगता है कि सरकार वास्तव में विधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रति गंभीर नहीं है। पहले यह कानून वर्ष 2011 में लाया गया था फिर इसे एक स्थायी समिति को सौंप दिया गया। स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन सौंप दिए हैं। लोक सभा भंग हो चुकी थी इसलिए विधेयक पारित नही किया जा सका। अब इस सरकार ने विधेयक पुरःस्थापित किया है। उन्होंने बिना किसी आवश्यकता के एक अध्यादेश पारित किया। अध्यादेश के पश्चात् उन्होंने विधेयक पुरःस्थापित किया है। मैंने सोचा कि देश में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले इस विधेयक को और गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

मैं केवल 3 बातों का उल्लेख करूंगा। खानों और खनिजों में, एक पुराना अधिनियम है,1957अधिनियम जिसमें 3 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में, भाग-1 कोयला और लिग्नाइट है, भाग-2 परमाणु खनिज है और भाग-3 सभी खानों और खनिजों-एस्बेस्टोस, बॉक्साइट, क्रोम, तांबा अयस्क, सोना, लौह अयस्क, जस्ता, कीमती पत्थर, मैंगनीज आदि से संबंधित है। इस वर्तमान संशोधन में एक नयी अनुसूची को लाया गया है, चौथी अनुसूची जिसने कुछ खनिजों को एक अलग श्रेणी में लिया है। उन्होंने कहा है कि बॉक्साइट, लोहा और चूना पत्थर और मैंगनीज अयस्क अधिसूचित खनिज हैं। मैं बताना चाहता हूं कि खान और खनिज बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं।

कांग्रेस के सदस्य ने बेल्लारी घोटाले का उल्लेख किया जिसमें वर्तमान सत्ताधारी दल शामिल था। बेल्लारी लौह अयस्क की चोरी के कारण सत्ताधारी दल के एक मुख्यमंत्री को कारावास की सजा हुई थी।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय,'सत्ताधारी दल शामिल था' से उनका क्या तात्पर्य है? क्या आप अनुमति देते हैं कि माननीय सदस्य द्वारा संदर्भ और तथ्यों के बिना ऐसा वक्तव्य दिया जाना चाहिए? क्या वे इसे स्पष्ट कर सकते है? मुझे लगता है कि इसे हटा दिया जाना चाहिए। वे सत्ताधारी दल का नाम कैसे ले सकते हैं?

प्रो. सौगत राय: कुछ भी निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। मैं ...* की बात कर रहा हूं जो भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में मंत्री थे। (*व्यवधान*) कौन से दल...* से संबंधित थे?

श्री राजीव प्रताप रूडी: मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि माननीय सदस्य कैसे यह आरोप लगा सकते हैं कि सत्ताधारी दल शामिल था?

श्री राजीव प्रताप रूडी: कल कोई कह सकता है कि उनकी पार्टी शामिल है। इसलिए, इसे हटाए जाने की आवश्यकता है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, क्या इस सदन में इस तरह के शिष्टाचारों का पालन किया जाता है? माननीय मंत्री जी बिना पहले सदस्य के भाषण समाप्त किए हुए खड़े होकर बोलने लगते हैं। मैं नाम बता रहा हूँ...* जो कर्नाटक में एक भाजपा मंत्री थे, जिन्हें जेल में बंद किया गया था और जिन्हें हाल ही में जमानत मिली थी। इसलिए, यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं आगे नहीं कहना चाहता कि किस शीर्ष भाजपा नेता ने ...* उन दिनों में आतिथ्य प्रदान किया था। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। (*व्यवधान*)* ... मैंने क्या गलत कहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तमिलनाडु से हैं। आप जानते हैं कि बेल्लारी में क्या हुआ।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* अध्यक्ष के आदेशानुसार निष्कासित किया गया

माननीय उपाध्यक्ष: जब आप इस तरह के विषय में शामिल किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं तो आपको इसे प्रमाणित करना होगा। वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं। यदि आप सरकार पर कोई आरोप लगाते हैं तो आपको नोटिस देना होगा कि आप किस आधार पर प्रमाणित करना चाहते हैं। तभी हम इसकी अनुमति देंगे अन्यथा हर कोई आरोप लगाना शुरू कर देगा।

प्रो. सौगत राय: महोदय, आप बहुत ज्ञानी हैं। मेरा केवल यह कहना था कि मैंने अपने भाषण की शुरुआत 'भाजपा मंत्री' कहकर की, तभी विरोध में चिल्लाने की आवाजें उठने लगीं।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

अतः मैंने 'भाजपा मंत्री' शब्द का उल्लेख किया। यदि सदन की इच्छा हो तो मैं इसे वापस लेने के लिए तैयार हूं। मैं उन वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम नहीं लिया जो उनकी मेहमाननवाजी से लाभान्वित हुए।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह एक और प्रश्न है। आपने एक मंत्री का नाम लिया है, जो कि एक अलग विषय है। यदि आप यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने आतिथ्य प्राप्त किया, तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

...(*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेल्लारी में हुई लूट की घटनाएँ हमारे सामने हैं।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अब छह बज चुके हैं। मैं सभा की भावना जानना चाहता हूं।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया मेरी बात सुनिए; इसके बाद आप जो चाहें कह सकते हैं। यदि यह सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है कि चर्चा को और आगे जारी रखा जाए तो हम इसे जारी रख सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदय, मैंने पहले एक अनुरोध किया है। मैं एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं। पूरा देश हमें देख रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। चर्चा जारी रहने दीजिए और सभा को अंतिम विचार करने दीजिए। पूर्व में की गई व्याख्या के संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि कुछ महत्वपूर्ण विधान प्रस्तावित हैं। हमें उन सभी विधनों को पारित किए जाने की आवश्यकता है। एक संवैधानिक दायित्व भी है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं पूरी सभा से विनम्र अनुरोध करता हूं कि चर्चा को जारी रखें और इसे आज पूरा करें। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें। मैं हर एक को बुलाऊंगा।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): हमने पहले ही दो विधेयकों को बिना किसी व्यवधान के, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से पारित कर दिया है। यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री भी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने उन दो विधेयकों को पारित कराया। आज, सभी माननीय सदस्य उनसे अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि संसद के बहुत सारे सदस्य आज ही आए हैं। उन्होंने संशोधन के लिए नोटिस दिए हैं। चाहे आप सहयोग करें या न करें, चार घंटे का समय निश्चित रूप से प्रदान किया गया है। मुझे लगता है, कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आपको विधेयक पर चर्चा के लिए समय बढ़ाने का विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: विधेयक पर चर्चा के लिए समय बढ़ाना एक बात है, और सदन के समय को बढ़ाना एक अलग विषय है, जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसलिए मैं आपसे कल चर्चा जारी रखने का अनुरोध करूँगा। वैसे भी यह विधेयक आपके बहुमत से पारित होने जा रहा है; हम जो भी कहना चाहते हैं, हम कहेंगे। इसलिए, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक सभा को स्थगित करने का अनुरोध करता हूं। हम कल चर्चा जारी रखेंगे। … (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): हम विधेयक पर चर्चा करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही, हम संशोधनों की सूचना देने के लिए पर्याप्त समय लेना चाहते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कल अवकाश था और परसों बजट प्रस्तुत किया गया था। ... (*व्यवधान*) यह सत्य है कि कई माननीय सदस्य, जो तैयार नहीं थे, शायद संशोधनों की सूचना देने में सक्षम नहीं होंगे। हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। ... (*व्यवधान*) इसलिए, हम संशोधनों की सूचना देने के लिए समय लेना चाहते हैं। अन्यथा, हमें संशोधनों पर विचार करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 11 बजे तक का समय आवश्यक होगा।... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि मूल अधिनियम 1957 का है। वर्ष 2011 में पिछली सरकार द्वारा एक प्रयास के अंतर्गत नया विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्थायी समिति को विचार हेतु भेजा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् स्थायी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप कृपया स्पष्ट करें कि क्या आप चर्चा के समय का विस्तार चाहते हैं। कृपया विषय पर सीधे आएं, अन्यथा चर्चा जारी रहेगी।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : यह सरल है; इसमें केवल एक विषय है। मैं सभा की भावना जानना चाहता हूं कि क्या हम समय का विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री अनुरोध कर रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: हम इसे आपके विवेक पर छोड़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया कोई भाषण न प्रस्तुत करें; इस समय भाषण आवश्यक नहीं है।

... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: आठ संशोधन प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह कोई चर्चा नहीं है। विषय पर आइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया है। चूंकि आपने इसे उठाया है इसलिए मैं एक अवसर दे रहा हूं।

... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: मैं यही कह रहा हूं। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। ... (*व्यवधान*)

इस बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधान बनाए जाने हैं। यह प्रमुख और महत्वपूर्ण विधानों में से एक है जिस पर अब विचार किया जा रहा है।

प्रो. सौगत राय ने आठ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैंने लगभग 18 संशोधन प्रस्तुत किए हैं और हमारे कॉमरेड बदरुद्दोजा खान जी द्वारा उठाया गया एक और संशोधन है। ... (*व्यवधान*) उन्हें अभी तक प्रविष्ट नहीं किया गया है लेकिन ये स्वीकृत संशोधन हैं। मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अपना विवेकाधिकार प्रयोग करने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे असुविधाजनक स्थिति में न डालें। कृपया स्पष्ट रूप से अपनी आवश्यकता बताएं।

श्री भर्तृहरि महताब: कार्य मंत्रणा समिति ने इसके विचार-विमर्श के लिए चार घंटे का समय आबंटित किया है। हर संशोधन को अलग-अलग रखा जाएगा। हमें विचार-विमर्श के लिए कितना समय देना चाहिए? आबंटित चार घंटे शाम 8.30 बजे तक समाप्त हो जाएंगे। यदि हम संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय में कमी करते हैं, तो हमारे पास थोड़ा समय शेष रहेगा। यदि हम इसे चार घंटे से अधिक बढ़ाते हैं तो सभा रात्रि 10.30 बजे तक चल सकती है। आपके विचार के लिए मेरे पास एक सुझाव है। मैं प्रत्येक खंड के लिए अपने संशोधनों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करूंगा। इसमें समय लगेगा। यह उन बिंदुओं के अतिरिक्त है, जिन्हें माननीय सदस्य प्रस्तुत करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब कृपया बताएं कि क्या आप सदन का समय बढ़ाकर चर्चा जारी रखना चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: पूरा देश देख रहा है। प्रेस दीर्घा लगभग खाली है। मैं आशा करता हूं कि अगर इसे कल लिया जाता है तो यह बेहतर होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदय, हम इसे किसी प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बना रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन फिर से यह है कि रिकॉर्ड और सदस्यों के हितों की दृष्टि से यह प्रस्ताव अचानक प्रस्तुत नहीं किया गया था। माननीय उपाध्यक्ष ने ठीक ही कहा है यह 24 फरवरी को पुरःस्थापित किया गया। 24 से 28 फरवरी तक हमारे पास इसको समझने और संशोधनों का सुझाव देने के लिए पर्याप्त समय था। ऐसी स्थिति में, इसे और स्थगित करने का कोई कारण नहीं हो सकता।

श्री भर्तृहरि महताब: 37 संशोधन हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। आप मेरे अनुरोध करने पर संशोधनों को वापस नहीं लेंगे। आपको अपने संशोधनों को नियमों के अनुसार और सभापति की अनुमति के अनुसार प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। मेरा केवल यह अनुरोध है कि विधायी कार्यसूची अत्यंत व्यापक है और यह एक संवैधानिक दायित्व भी है। 20 से पहले हमें इसे राज्य सभा से पारित करवाना होगा। कृपया विधेयकों के महत्व और चर्चा की आवश्यकता को समझें। कृपया सहयोग करें और चर्चा जारी रखें। यही मेरा तर्क है।

माननीय उपाध्यक्ष: आपको क्या कहना है?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं -जब आप सभी दलों के सदस्यों से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि वे कल चर्चा को जारी रखें। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर यदि आज चर्चा नहीं हुई तो कोई विपत्ति आ जायेगी।

आज हम पहले ही बिना किसी व्यवधान के दो विधेयक पारित कर चुके हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संचालित विधेयक को बिना किसी चर्चा के बहुत जल्दी पारित कर दिया गया। यहां तक कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक भी पारित किया गया। तो आप इसे समय दे सकते हैं। यदि आप समय नहीं देते हैं तो सदस्य विरोध कर सकते हैं। तो इस पर कल चर्चा करना बेहतर है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, पहले जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी, तब पूरे विषय पर चर्चा की गई थी। पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन किया था कि 5 मार्च, जो एक कार्य दिवस था को अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। यदि आपको याद है तो आपने एक अनुरोध किया था कि 5 मार्च को अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। इसे स्वीकार भी किया गया था। इस स्थिति में, जब हम सत्र को एक दिन कम कर रहे हैं, तो हमें यह सहमत होना चाहिए कि हम 6:00 बजे के बाद बैठक जारी रखें और कार्य पूरा करें। इस पर बी.ए.सी. में सहमति बनी। माननीय खड़गे जी वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन श्री सिंधिया जी वहां उपस्थित थे और उन्होंने सिद्धांत रूप में यह सहमति व्यक्त की कि कार्य पूरा करने के लिए देर तक काम किया जाएगा। हमने इसी प्रकार 5 मार्च को छुट्टी घोषित करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसलिए यह एक स्पष्ट और निर्विवाद तथ्य था कि सदन ने उस समय जो सहमति दी थी, वही हम आज मांग रहे हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है और इस पर पहले ही सहमति बन चुकी थी। मैं बस यह याद दिलाना चाह रहा था कि कार्य मंत्रणा समिति में क्या निर्णय लिया गया था।

महोदय, आपको इस पर निर्णय लेना होगा। यह कार्य अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में ही किया गया था... (*व्यवधान*) आप अपने ही शब्दों से पीछे कैसे हट सकते हैं? हमने आपके लिए अवकाश घोषित किया था। आप 5 मार्च को अवकाश चाहते हैं और अब आप 6 बजे के बाद काम करने से इंकार कर रहे हैं, तो देश इसे कैसे स्वीकार करेगा? आपके अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदया ने इस उद्देश्य के लिए 5 को अवकाश घोषित किया। अब आप कह रहे हैं कि यह सही नहीं है। [हिन्दी] आपने खुद ही छुट्टी के लिए कहा था।...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : महोदय, 5 तारीख को छुट्टी नहीं चाहिए तो ठीक है, हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। [अनुवाद] यदि 5 तारीख को अवकाश की आवश्यकता नहीं है, तो हम सोच सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: यह पहले से ही घोषित है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: इस विधेयक के लिए भी दो दिन घोषित किए गए थे। महोदय, मैं इसे सदन के विवेक पर छोड़ देता हूं।

प्रो. सौगत राय: माननीय अध्यक्ष का स्थान संसदीय कार्य मंत्री से ऊपर हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, सभा को फिर से कैसे गुमराह किया जा सकता है? अध्यक्ष महोदय ने 5 तारीख को अवकाश घोषित करने पर केवल इस शर्त पर सहमति व्यक्त की थी कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे। वे सदन को कैसे गुमराह कर सकते हैं?... (*व्यवधान*) यह माननीय अध्यक्ष का निर्णय था। ... (*व्यवधान*) महोदय, हमें जारी रखना चाहिए... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हम कोई मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं। मेरा सुझाव है और इसका निर्णय आपके ऊपर है कि हम चर्चा को एक घंटे और जारी रखें और उसके बाद निर्णय लें। यदि आप स्थगित करना चाहते हैं, तो हम 7 बजे स्थगित कर सकते हैं। इसलिए, हम आज एक घंटे चर्चा कर सकते हैं और इसे कल भी जारी रख सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, इस सभा में हम 11 बजे तक और यहां तक कि 12 बजे तक बैठे हैं। हम शनिवार को काम करने के लिए भी सहमत हुए। क्या हमने शनिवार को बजट प्रस्तुति के लिए बैठने पर सहमति नहीं दी थी? हम किसी अन्य शनिवार को भी बैठक आयोजित करने पर सहमति प्रकट कर रहे हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: सामान्यतः लोग चर्चा में भाग लेने के लिए अधिक समय चाहते हैं। सरकार देर तक बैठने को तैयार है। इस बात की क्या गारंटी है कि कल यह विधेयक और अन्य दो विधेयक स्वीकृत हो जायेंगे? यदि वे इसके लिए सहमत हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। चर्चा के लिए चार घंटे आबंटित किए गए हैं। अब हमने पहले ही डेढ़ घंटे के लिए इस पर चर्चा की है। अगर हम कल इस पर चर्चा करने पर जोर दें, तो ढाई घंटे से ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। उस समय के भीतर, सभी सदस्यों को समाप्त करना होगा। अन्यथा, हम आज कुछ और समय के लिए इस पर चर्चा कर सकते हैं और हम इसे कल पारित कर सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं एक सुझाव दे रहा हूं। अगर हमें इसे ढाई घंटे में समाप्त करना है, तो उन सभी सदस्यों को समायोजित करने की समस्या होगी जो बोलना चाहते हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: कल, हम सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 9 बजे तक बैठ सकते हैं। यदि सभी सहमत है तो अब हम सभा को स्थगित करते हैं। आप सात बजे तक जारी रख सकते हैं या आप इसे अभी स्थगित कर सकते हैं। लेकिन कल इस विधेयक के साथ-साथ दो अन्य विधेयकों को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना है। यदि सदस्यों को तब सात बजे तक बैठना पड़े, तो यह स्वीकार्य है; यदि उन्हें आठ बजे तक बैठना पड़े, तो यह स्वीकार्य है; यदि उन्हें नौ बजे तक बैठना पड़े, तो यह स्वीकार्य है; यदि उन्हें दस बजे तक बैठना पड़े, तो यह स्वीकार्य है। संसद का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। मेरा विनम्र सुझाव है कि विधेयक महत्वपूर्ण हैं और सदस्यों को विधेयकों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए और अपना समय उन्हें समर्पित करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जब सभा देर रात तक चली है... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: तो, सभा की क्या भावना है? क्या अब हमें इसको स्थगित कर देना चाहिए और कल सभी विधेयकों पर चर्चा करनी चाहिए?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम कल सुबह दस या ग्यारह बजे तक बैठक कर शेष दो विधेयकों को पारित कर लेंगे? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि संसद चर्चा के लिए है, न कि केवल जल्दबाज़ी में कानून पारित करने के लिए। (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: आपके अनुभव के आधार पर, आपको भलीभांति ज्ञात होगा कि यह संसद विमर्श और गंभीर चर्चा का मंच है — न कि इसे बार-बार स्थगित कर यह कहने के लिए कि अब छह बज चुके हैं, हम सब थक गए हैं, या फिर अन्य औपचारिक तर्कों के आधार पर चर्चा को टालने के लिए है।

मैं भी यहां उपस्थित हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैंने कभी यह नहीं कहा कि आप नहीं आए। मैं स्वयं सुबह 9:30 बजे से यहां हूं। सेंट्रल हॉल में एक बैठक थी। मैं सुबह से ही यहां उपस्थित हूं। मुझे वरिष्ठ सदस्यों और मंत्रियों से बहुत कुछ सीखना है। लेकिन कम-से-कम आप चर्चा के लिए पर्याप्त समय दें। हमारा एकमात्र निवेदन यह है कि आप सदस्यों को पर्याप्त समय दें। यहां कई नए सदस्य भी हैं और वे भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: चर्चा जारी रहने दीजिए। मुझे कोई समस्या नहीं है। उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, यह आपके विवेक पर छोड़ दिया गया है। मैं तर्क नहीं करना चाहता।

माननीय उपाध्यक्ष: यह मेरे लिए अत्यंत असुविधाजनक है। मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। मुझे केवल सभा की भावना जाननी है। सामान्यतः, छह बजे के बाद, अध्यक्षपीठ सभा की भावना के अनुसार ही समय आगे बढ़ाते हैं और शून्य काल जैसी चर्चाएं छह बजे के बाद भी जारी रहती हैं। सभा सात बजे, आठ बजे तक भी चली है। इसलिए मैंने जो सुझाव दिया है चाहे आप इसे स्वीकार करें या न करें, वह यह था कि सदन के समय को एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है, ताकि कुछ माननीय सदस्य अपने निवेदन दे सकें और फिर हम कल इस पर विचार करेंगे। मैं यही सुझाव दे रहा हूं। कल हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए, हम विधेयक पर चर्चा करने के लिए इसे एक घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

इसलिए सभा की भावना यह है कि माननीय सदस्य एक घंटे के लिए समय विस्तार करने पर सहमत हैं।

प्रो. सौगत राय, आप जारी रख सकते हैं।

प्रो. सौगत राय: आखिरकार, माननीय अध्यक्षपीठ का निर्णय अंतिम होता है। मैं आपकी निर्णय का सम्मान करता हूँ, हालांकि मेरी कुछ आपत्तियाँ हैं। अब मैं विधेयक पर अपना वक्तव्य दूंगा।

महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने बेल्लारी की लूट का उल्लेख किया। मैं नियामगिरि की घटना का भी उल्लेख करता हूं। नियामगिरि, ओडिशा की एक पवित्र पहाड़ी है, जिसकी स्थानीय आदिवासी समुदाय श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। वेदांता समूह ने वहां बॉक्साइट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था और इसके लिए नियामगिरि पहाड़ियों का अधिग्रहण करना चाहा।

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया व्यवस्था बनाकर रखें। जब आपने सभा के समय विस्तार पर सहमति व्यक्त की है, तो सदन में अनुशासन होना चाहिए।

प्रो. सौगत राय: खनिज संसाधनों की खोज किसी भी जगह एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा होता है। जैसे कर्नाटक में हुआ, ठीक उसी प्रकार यह ओडिशा के नियामगिरि पहाड़ियों में भी हुआ। इसी तरह, गोवा में चोगुले समूह और अन्य द्वारा लोहा अयस्क खनन को उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कारण रोका गया।

महोदय, मैं नए माननीय मंत्री जी को एक और बात बताना चाहूंगा। वह यह है कि हमारे खनिज संसाधन उन क्षेत्रों में हैं जहाँ लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। वे अधिकतर जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं और आदिवासी सबसे गरीब हैं। इसलिए, जब हम खनिज संसाधनों की खोज करने जा रहे हैं, तो हमें आदिवासियों को याद रखना होगा।

मैं संविधान का अध्ययन कर रहा था। जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूची 5 क्षेत्र कहा जाता है। अधिकांश खनिज संसाधन अनुसूची 5 क्षेत्रों में हैं और आप आदिवासियों की ग्राम सभाओं की सहमति के बिना अनुसूची 5 क्षेत्रों की भूमि नहीं ले सकते हैं।

अंत में, आपको यह याद रखना होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की खनिज संपदा का दोहन करने में लगी हुई हैं। वे जनजातीय क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं जिससे संघर्ष पैदा हो रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र

और ओडिशा के कुछ हिस्सों में माओवादी समस्या का कारण यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन क्षेत्रों को खनिज दोहन के लिए अधिग्रहित करने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए, जब मैं इस विधान का अवलोकन करता हूँ, तो मैं इसे केवल एक कानूनी प्रावधान के रूप में नहीं देखता। मैं इसे इन निर्धनतम समुदायों के जीवन पर इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के दृष्टिकोण से देखता हूं।

अजीब बात यह है कि जब कोई स्थान खनिज रूप से समृद्ध होता हैं, तो वहां के लोग बेहद गरीब होते हैं। ऐसे कोई खनिज दोहन की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए जो खनिज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार न करे। यह खनिज दोहन पर हमारी सभी नीतियों का आधार होना चाहिए।

अब, आइए इस विधेयक में माननीय मंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों पर गौर करें, जिसमें कुछ बेहद जोखिमपूर्ण तत्व निहित हैं।

एक महत्वपूर्ण विषय है आबद्ध खदानें। विशेष रूप से लौह अयस्क की आबद्ध खदानों के स्वामी कौन हैं? इस संदर्भ में, टाटा समूह के पास ये आबद्ध खदानें हैं। इसके द्वारा, वे कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास आबद्ध खदानें हैं, उनके पट्टे को वर्ष 2030 तक बढ़ाया जाएगा। व्यापारी खनिकों के पट्टे को वर्ष 2020 तक बढ़ाया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि नीलामी द्वारा सभी नए पट्टे तय किए जाएंगे। टाटा के अधीन पट्टे, जो बड़े स्वामित्व वाले हैं वो वर्ष, 2030 तक बिना किसी नीलामी के जारी रहेंगे। इसी बात का ओडिशा के मुख्यमंत्री ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि लीज़ को समाप्त किया जाए और जिस दिन विधान पारित हो, उसकी मुफ्त नीलामी करे और इस पर कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। तो, यह कुछ ऐसा है जिस पर हम आपत्ति कर रहे हैं।

दूसरी बात जो वे कह रहे हैं कि - मैंने इस संबंध में एक संशोधन दिया है - कि नीलामी द्वारा निर्धारित सभी लीज़ 50 वर्षों के लिए होंगे। यह पहले सिर्फ 30 साल के लिए होता था। अचानक, नीलामी प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, वे नीलामी प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, और फिर उनकी लीज़ 50 वर्षों के लिए होगी। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। कोई लीज़ 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि पहले कानून में था।

इस विधान में कुछ अच्छी बातें भी हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए एक जिला खनिज बोर्ड की बात की है। यह एक अच्छा विचार है। यदि जिला खनिज बोर्ड ठीक तरह से गठित किया जाता है और उन्हें रॉयल्टी का एक भाग मिलेगा, तो कुछ काम भी हो सकेगा, इनका एक और प्रस्ताव है। एक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण बोर्ड होगा जिसे दो प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी। यह कोई नई बात नहीं है।

इस देश में 100 से अधिक वर्षों से वैज्ञानिक रूप से खनिज अन्वेषण चल रहा है। आप भूवैज्ञानिक प्रमथनाथ बोस को जानते होंगे, जिन्होंने पहली बार उस जमीन की खोज की थी, जहां जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट आज स्थित है। उन्होंने इसके बगल में सबसे अच्छी लौह अयस्क खानों की स्थापना की। अब, हमारे पास मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया है, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है; हमारे पास इंडियन ब्यूरो ऑफ़ माइंस है, एक सरकारी विभाग और हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया है, जो 150 से अधिक वर्षों से खनन और पूर्वेक्षण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अन्वेषण नहीं किया गया है। आप अचानक कह रहे हैं कि आप एक नया निवेश बोर्ड स्थापित कर रहे हैं जो खनिजों का पता लगाएगा। इस प्रकार, जब इस क्षेत्र को अचानक भारतीय और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलने का निर्णय लिया जा रहा है, तब हमें आर्थिक पक्ष के साथ-साथ आदिवासी समुदायों के हितों एवं पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संवेदनाओं को भी पूरी गंभीरता से ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसा कि नियामगिरि के मामले में स्पष्ट हुआ है।

यह विधान अवैध खनन के लिए दंड को काफी कठोर बनाता है, जिसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। सरकार की अनुमति के बिना अवैध खनन करना अनुचित और गैरकानूनी है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस कानून में सहकारी संघवाद की भावना का पर्याप्त सम्मान नहीं किया है, और इसी कारण श्री नवीन पटनायक जी ने इसका कड़ा विरोध किया है।

मैं श्री नवीन पटनायक जी की बात को उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष: आपने पहले से ही उद्धृत किया है।

प्रो. सौगत राय: उन्होंने धारा 30 में प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख किया, जो केंद्र को एक आदेश पारित करने की अनुमति देता है जहां राज्य द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई आदेश नहीं दिया गया है। ओडिशा, जो देश के लौह अयस्क, बॉक्साइट और क्रोमियम के 50 से 70 प्रतिशत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केवल एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जो इस नए प्रावधान के प्रति सतर्कता दिखा रहा है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि उनका विधेयक एक जटिल कानून है। माननीय मंत्री जी को संशोधन विधेयक लाने के बजाय एक नए सिरे से विधेयक लाना चाहिए था ताकि हर बार आपको मूल विधेयक का हवाला देने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए, कृपया इस विधेयक को हटा दें और एक नया विधेयक लाएं। इसे व्यापक होने दें। इसे संसद के समक्ष आने दीजिए। राज्य के हितों का ध्यान रखा जाये, आदिवासियों और गरीब लोगों के हितों को अत्याचार से बचाया जा सके। हम सभी विधेयक का समर्थन करेंगे। धन्यवाद।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं यहां खान एवं खनन (विकास और नियमन) संशोधन विधेयक, 2015 पर बोल रहा हूं। मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ, क्योंकि यह न केवल असंवैधानिक है, बल्कि उन सभी राज्यों के हितों के विपरीत है जहाँ खनन क्षेत्र स्थित हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, ओडिशा खनिज संपदा के मामले में अत्यंत समृद्ध राज्य है। संभवतः कोई और राज्य इस कठोर एमएमडीआर विधेयक से उतना प्रभावित नहीं होगा जितना कि ओडिशा होगा, जिसे एनडीए सरकार ने प्रस्तुत किया है। इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि ओडिशा के पास भारत के लगभग एक तिहाई लौह अयस्क, आधा बॉक्साइट और लगभग सभी क्रोमाइट भंडार हैं; फिर भी, लौह अयस्क और क्रोमाइट के मामले में केवल 13 प्रतिशत का ही अन्वेषण कर पाया है, जबकि बॉक्साइट के मामले में इसकी खोज केवल तीन प्रतिशत ही हुई है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल है। ढेंकानाल और अंगुल दोनों जिले ऐसे हैं जहां क्रोम पाया जाता है, और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में कोरझार के साथ लगती सीमा के कारण लौह अयस्क भी

है। इन दोनों जिलों में खनिज आधारित कई उद्योग संचालित हैं। मुझे यह कहते हुए और स्वीकार करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जब खनिक और खनन आधारित उद्योग उन क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं जो मुख्य रूप से आदिवासियों और गरीबों द्वारा नियंत्रित हैं, तब हम लोगों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों की आवासीय और कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। परिणामस्वरूप, उनकी जीवनयापन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, जिसका अनुभव कर विश्वास करना संभव है। एक ओर जहां वे रोजगार का वादा करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह एक सत्य है जिसे हर कोई जानता है कि खनन क्षेत्र में रोजगार अत्यंत सीमित है और पर्यावरण तथा जनस्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव अत्यंत गंभीर है। खनन मालिक अत्यंत सम्पन्न हो जाते हैं। हमारे पास तथ्यात्मक प्रमाण हैं कि 2001 से 2010 के बीच, जब बीजिंग ओलंपिक भी आयोजित हुआ, भारत के कुछ उत्तरी राज्यों से आए खनिकों ने, जो उड़ीसा में कार्यरत थे, भारी संपत्ति अर्जित की। ये व्यक्ति या छोटे परिवार हैं, जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। ये छोटे परिवार और व्यक्तिगत स्तर पर हैं जिन्होंने लगभग 70,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। ये विशिष्ट व्यक्ति हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हम सभी जानते हैं कि यह सब संपत्ति जो व्यक्तियों को गई है, वास्तव में राष्ट्र की है, वास्तव में उन गरीब लोगों की है जिनके पास घर नहीं हैं, जिनके पास पीने का पानी या बुनियादी चिकित्सा देखभाल भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह के माहौल में काम करते हुए हम देखते हैं कि यह सरकार अध्यादेश के बाद अध्यादेश जल्दबादी में ला रही है। मैं अध्यादेश के विषय में अधिक चर्चा करने से परहेज करूंगा, क्योंकि हमारे कुछ माननीय सदस्यगण पहले ही इस विषय पर पर्याप्त रूप से अपनी बात रख चुके हैं और इस बात पर प्रकाश डाला है कि अध्यादेश का यह मार्ग किसी भी संसदीय लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए कितना अनुचित है।

यह विधेयक खानों की नीलामी से संबंधित है, जो वैसे भी निकट भविष्य में किसी भी समय आयोजित होने वाली नहीं है। इस अध्यादेश की तत्कालता आवश्यक नहीं थी। यह विधेयक खानों को नीलामी के लिए रखने से पूर्व प्रमाणित खनिज भंडार की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। मेरी जानकारी के अनुसार, राज्य

सरकार के खनन विभाग ने यह बताया है कि उक्त प्रावधान हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि सरकार का मत है कि खानों के खनिज भंडार को प्रमाणित करने की प्रक्रिया के कारण वे आगामी 2-3 वर्षों तक नीलामी आयोजित करने में असमर्थ रहेंगे। मैं नीलामी की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता के साथ समझता हूं और इसका समर्थन करता हूं। हमने देखा है कि कैसे कोयला और स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की गई, बल्कि इन्हें पूर्व सरकार द्वारा अपने पसंदीदा लोगों को प्रदान किया गया, जिसके कारण उन्हें अपने रुख में बदलाव करना पड़ा।

यह विधेयक स्पष्ट रूप से बहुत प्रेरित प्रतीत होता है और इसके उद्देश्य निश्चित रूप से संदेहास्पद हैं। हम पुनः यह आग्रह करेंगे कि नीलामी प्रक्रिया एक बहुत अच्छा उपाय है और हम इसका समर्थन करते हैं। फिर भी, विधेयक के खंड 9 के अनुसार लगता है कि केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होंगी तथा वही नीलामी के सभी मापदंड बताएगी। यह खंड कहता है कि केंद्र सरकार-नियंत्रित राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास नए खनन क्षेत्रों की खोज करेगा। यदि केंद्र सरकार नीलामी प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर देती है, तो राज्य सरकार की भूमिका केवल पट्टा स्वीकृति देने तक सीमित रह जाएगी, और वह केवल औपचारिक रबर स्टाम्प के समान होगी, जबकि सभी निर्णायक अधिकार केंद्र के हाथ में केंद्रित हो जाएंगे।

एक ऐसा विधेयक, जो खानों और खनिजों जैसे महत्वपूर्ण, प्राकृतिक एवं राष्ट्रीय संसाधनों के प्रबंधन का पूरा ढांचा बदल देता है, आदर्श रूप से सभी संबंधित हितधारकों, विशेषकर राज्य सरकारों, के साथ व्यापक संवाद और परामर्श की नई प्रक्रिया से होकर गुजरना चाहिए था। दुःख की बात है कि केंद्र सरकार ने इस बारे में किसी से विचार विमर्श नही किया है यहां तक कि ओडिशा सरकार से भी नहीं जो कि प्रमुख पट्टाधारी है। जैसा कि हमारे माननीय सहयोगी ने व्यक्त किया, बड़े शब्दों में विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन हमें केवल बातों का ही सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा भी था जब मुझे केवल इन चर्चाओं से ही असंतोष उत्पन्न होने लगा था। सहकारी संघवाद पर निरंतर संवाद होता रहता है, लेकिन व्यवहार में उसका पालन सुनिश्चित होना आवश्यक है। हमारे पास एक माननीय प्रधान मंत्री हैं, जो पूर्व में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो एक सराहनीय उपलब्धि है; हमने गुजरात मॉडल को देखा है, जो वास्तव में एक उत्कृष्ट उदाहरण है; और वे इससे

अत्यंत प्रसन्न हैं। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। प्रधान मंत्री पद पर विराजमान मुख्यमंत्री रह चुके माननीय सदस्य सहकारी संघवाद पर विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। माननीय सदस्य, जो स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी इन कठिन परिस्थितियों का गहन ज्ञान प्राप्त किया है। केंद्रीय अधिकारियों को यह समझना आवश्यक है कि एक राज्य का संचालन करते समय मुख्यमंत्री को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां भाषणों की भरमार तो होती है, वहीं कार्यान्वयन की विफलता ऐसी है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

वे यह भी कह रहे हैं कि लीज़ का विस्तार तत्काल किया जाना चाहिए, अन्यथा इस्पात और अन्य खनिज आधारित उद्योग बंद हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तो फिर टी.एम.सी. के हमारे वरिष्ठ सहयोगी द्वारा 2020, 2030 या अगले 50 वर्षों तक खानों के विस्तार की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आप राज्य सरकारों को उस निर्धारित अवधि के भीतर नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह महीने, एक वर्ष या दो वर्ष के लिए लीज़ विस्तार या एक निश्चित समय सीमा प्रदान कर सकते थे।

हर किसी के मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है — 'राष्ट्रीय हित' का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय हित का निर्धारण मुख्यतः उन लोगों की दशा और हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जो इस विधान से सीधे प्रभावित होंगे। जब तक आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तब तक 'राष्ट्रीय हित' और 'सार्वजनिक कल्याण' जैसे शब्द केवल भाषण बनकर रह जाएंगे। यदि आप दोनों के बीच टकराव पैदा करते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि एक को चुनकर आप दूसरे की अनदेखी कर रहे हैं। केंद्र सरकार को कार्य करते समय ऐसी मानसिकता से परहेज करना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह अजीब है कि जबकि अन्य देश अपने खनिज अन्वेषण पर एक सीमा निर्धारित कर रहे हैं, हम भारत में अपने खनिज दोहन को पूरी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। हम निश्चित रूप से भारतीयों की अंतिम पीढ़ी नहीं हैं। कहा जाता है कि लोग आज जो फैसले लेते हैं, वे उनके बच्चों के भविष्य को

आकार देते हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि धरती माता और *परमेश्वर* द्वारा हमें दिये गए इन अनमोल खजानों को हम संपूर्ण देश की भलाई के बजाय कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में समर्पित कर दें।

यह समझना कठिन नहीं कि कुछ परिवारों और व्यक्तियों, जिन्होंने केवल राष्ट्रीय संसाधनों के खनन से अपार संपत्ति अर्जित की है, उनके हितों की सुरक्षा करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। इन लोगों ने जानबूझकर स्थानीय समुदायों की उपेक्षा की है, उनका उत्पीड़न किया है साथ ही पर्यावरण संबंधी मामलों की अनदेखी की गई है और इस तरफ इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 18 खदानें हैं जो अकेले ओडिशा में नवीनीकरण के लिए लंबित हैं और यह कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं में अटक गई हैं। यदि ओडिशा सरकार इन खानों की नीलामी कर पाती, तो राज्य को केवल एक सतर्क अनुमान के आधार पर इस वर्ष 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो सकती थी। इन निधियों का उपयोग मेरे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जैसे कि पेयजल प्रदान करना और लोगों के लिए पक्के घर बनाना।

महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी शायद एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शुरू से ही तर्क दे रहे हैं कि खानों की लीज़ की अवधि बढ़ाने के बजाय उनकी नीलामी की जानी चाहिए। 8 फरवरी को नीति आयोग की बैठक में, हमारे मुख्यमंत्री ने केंद्र से 50 वर्ष पूरे करने वाले खनन पट्टों की वैधता का विस्तार नहीं करने का आग्रह किया। एक व्यक्ति या एक सीमित परिवार को आधी सदी के लिए पट्टा दिया जाना हमारे देश की दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है। 50 साल का यह लीज़ विस्तार केवल कुछ चुने हुए खनिकों को फायदा पहुँचा रहा है, जो पहले से ही अत्यंत समृद्ध और उच्च आयकरदाता हैं। इससे सामान्य जनता और देश के व्यापक हितों की अनदेखी हो रही है। जिनके पास 50 वर्षों के लिए खनन पट्टे हैं, उन्हें अपने लाभ का कम से कम 30 प्रतिशत राज्य के साथ साझा करना चाहिए। यह एक ऐसी मांग है जो इस विधेयक का हिस्सा होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से एक उचित मांग है, जो स्थानीय जनसंख्या के हितों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को खान मालिकों से राज्य के साथ मुनाफा साझा करने के लिए कहना चाहिए।

इस विधेयक में उपकर लगाने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। क्या हमें यही समझना चाहिए कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है? उपकर अथवा खनिज उपकर लगाना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है—क्या आप इसे अनदेखा कर रहे हैं? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर उपकर या अधिभार लगाने का अधिकार प्राप्त है, जब तक संसद ने खनिज विकास से संबंधित किसी कानून में इस पर प्रतिबंध न लगाया हो। मैं सरकार से स्पष्ट स्पष्टीकरण का अनुरोध करता हूं कि क्या इस संबंध में कोई बदलाव किया गया है, क्योंकि ओडिशा में पाए जाने वाले खनिज—जैसे क्रोमाइट, लोह अयस्क, मैगनीज और बॉक्साइट—राज्य के राजस्व में उपकर और रॉयल्टी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इस विषय पर माननीय मंत्री जी के आश्वासन का स्वागत किया जाएगा।

केंद्र सरकार यह भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर वह खनन के लिए अनुमत क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। इसका मतलब है कि आप समान अवसर सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज अन्वेषण और खनन शुरू कर सकता है, और विधेयक में यह प्रावधान है कि यह किसी भी खनिज या उद्योग के विकास के लिए हो सकता है। यहां 'उद्योग' शब्द क्यों शामिल किया गया है? क्या हम बंद खदानों या वाणिज्यिक खदानों की बात कर रहे हैं? इस विषय में कोई स्पष्टता नहीं दी गई है।

इस विधेयक में एक गंभीर खंड है, जिसके अनुसार यदि राज्य सरकार 90 दिनों के भीतर खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए अपनी स्वीकृति नहीं देती है, तो इसे माना जाएगा कि राज्य सरकार को उस हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके विपरीत, ऐसे प्रावधान इस प्रकार होने चाहिए कि यदि राज्य सरकार विधेयक में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करती है, तो स्वाभाविक रूप से यह माना जाए कि उसे ऐसे हस्तांतरण पर आपत्ति है।

महोदय, इस विधेयक में कुछ अच्छे पहलू भी हैं, जिन्हें संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए। इस विधेयक का एक अच्छा पहलू – और दुर्भाग्यवश यही एकमात्र अच्छा पहलू यह है कि 1957 के मूल अधिनियम में आवेदनों को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। यह विधेयक, धारा 4 में, समयबद्ध तरीके से दक्षता को बढ़ावा

देता है, जो सराहनीय है। हालाँकि, चूंकि आवेदन को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य पर है, समय पर गैर-अनुपालन को अस्वीकृति का संकेत देना चाहिए और निश्चित रूप से स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।

सरकार ने एक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास का गठन किया है, परंतु इसके गठन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। यदि सरकार खनिकों से दो प्रतिशत उपकर वसूलना चाहती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार को उपकर और रॉयल्टी के भुगतान के अतिरिक्त, खनिकों को अब केंद्र सरकार के पास भी जाना पड़ेगा जहाँ उन्हें संभावित रूप से सौदेबाज़ी करनी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, कृपया मुझे दो और मिनट देने की कृपा करें।

महोदय, खनिकों को दिल्ली आकर अपने दो प्रतिशत कर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बजाय, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को एक गैर-लाभकारी सरकारी कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। जो दो प्रतिशत कर खनिकों से अपेक्षित है, वह राज्य सरकार को सौंपा जाना चाहिए, जो सभी खनिकों से यह कर एकत्र कर सके, और उसे कंपनी में जमा कर सके। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का एक निदेशक इस कंपनी में नियुक्त किया जाएगा, जो खनिज निदेशक के पद से नीचे का नहीं होगा। राज्य सरकार का हिस्सा यह दो प्रतिशत होगा, जिसे सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार का हिस्सा यह 2 प्रतिशत होगा जिस पर सरकार विचार कर सकती है।

समस्याओं पर वापस आते हुए, इस सभा को यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस देश में, शीर्ष 10 आयकरदाताओं में से, 3 अकेले क्योंझर जिले से हैं। वे शीर्ष तीन करदाता हैं। ये लोग स्थानीय नहीं हैं। क्योंझर में कुछ खानों के अलावा उनके पास कोई उद्योग नहीं है, कोई अन्य व्यवसाय नहीं है और वे इस देश में सबसे बड़े करदाता हैं। वर्ष 2010-11 में एक व्यक्ति का अग्रिम कर 50 करोड़ रुपये था और कुल मांग 90 करोड़ रुपये थी।

क्योंझर मुख्य रूप से एक आदिवासी बहुल जिला है। यहां न तो सड़क है और न ही पीने का पानी। यह शायद राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। फिर भी, यहां एक विरोधाभास है, एक अंतर है कि सबसे अधिक कर देने वाले कुछ लोग उसी क्षेत्र से हैं।

महोदय, हमारा एकमात्र राज्य है - मैं दोहराना चाहता हूं - जो लीज़ के विस्तार का विरोध कर रहा है, जबकि गोवा जैसे राज्यों ने इस साल 12 जनवरी को अध्यादेश लागू होने से पहले 88 खनन पट्टों का नवीनीकरण किया है। इसलिए उनके पास यह पूर्व जानकारी होनी चाहिए। इस एम.एम.डी.आर. अध्यादेश को लागू करके, केंद्र सरकार ने इन लाइसेंस को रद्द करने के राज्य सरकार के प्रयासों को पंगु बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस विधेयक में अनेक कमियाँ और अस्पष्टताएँ हैं, जिन्हें स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। यह तथ्य कि सरकार ने पहले इसे अध्यादेश के रूप में लागू किया और उसके बाद संसद में प्रस्तुत किया, इस बात का संकेत देता है कि सरकार की सहयोगात्मक संघीयता में आस्था कितनी सीमित है। राज्यों को सिर्फ धन अंतरण से यह संकेत नहीं मिलता है कि आप संघवाद की सच्ची भावना से उसका पालन कर रहे हैं। जब हम केंद्र-राज्य संबंधों को देख रहे हैं, तो हमें स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय हित के बड़े मुद्दों को अलग से देखना चाहिए। जहाँ यह विषय स्थानीय समुदायों से परामर्श से जुड़ा हो, वहां निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, यह विधेयक ऐसा नहीं करता। इसी कारण मैं इस विधेयक का दृढ़तापूर्वक विरोध करता हूं।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज संशोधन विधेयक, 2015 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। खनिज धरती माता की एक देन है, लेकिन दुर्भाग्य से देश के कई लोगों ने इस देन को खाने की कोशिश की, जिसका दुष्परिणाम धरती माता के बाकी लोगों पर होने लगा। इस कारण कई आनियमितताएं हुईं और जो आनियमित काम थे, उनमें सरलता लाने की कोशिश केन्द्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से कर रही है।

खान और खनिज विधेयक के माध्यम से सरकार छः अलग-अलग तरह के निर्बंध और सुझाव लाने की कोशिश कर रही है और वे आवश्यक भी हैं। लेकिन यह विधेयक मंजूर करना जितना आवश्यक है, इसमें उतनी ही कई शंकाएं हैं, सुझाव हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनती करना चाहूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण भी अपने उत्तर में देने की कोशिश करें। केन्द्र सरकार ने विवेकाधिकार के उन्मूलन के माध्यम से अपनी भूमिका स्पष्ट की है कि वह खनिज और खान की रियासत प्रदान करने के लिए आगे जो प्रोसीजर इम्प्लीमैंट करने वाली है, उसमें पारदर्शिता के लिए वह एक टेंडर सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है। मेरा कहना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जिस जिले को ईको सैंसटिव कहा गया, वहां 67 माइन्स डिक्लेयर कर दी। इसमें कई माइन्स हैं, जिनका एरिया एक ही आदमी को अलग-अलग जगह दिया गया है। दौड़ा मार्ग में कलन्नै माइनिंग *को दी गई। दौड़ा मार्ग सावंतवाड़ी में सटैल्ली माइन भी * को दे चुके हैं। रेड़ी माइनिंग बहुत बड़े एरिया में है, इसे भी * को दे चुके हैं। एक ही आदमी को वर्षों से सारी माइनिंग दी गई है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने जो भी नाम उल्लिखित किए हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत: महोदय, एरिया लोकेट कौन करेगा? आइडेंटीफिकेशन कौन करेगा? जो भी प्राइवेट पार्टी आगे आती है, वह सही तरीके से लोकेट हो रहा है या नहीं, इसे सर्टीफाई कौन करेगा? माइन का एरिया डिक्लेयर करने के लिए पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए कि कौन सा एरिया, कितना एरिया, कितने वर्षों के लिए दिया जाना चाहिए। इस बिल में 50 वर्षों का टाइम फ्रेम किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एरिया डिक्लेयर किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, अगर 10 या 15 वर्ष में ही माइन में एक्सपलोर करने की ही कैपिसटी हुई तो वह अगले साल क्या करेगा? सावंतवाड़ी में सटैल्ली माइन के लिए जितना एरिया सरकार ने दिया है, उससे भी आगे जाकर लोगों की जमीन लेने की कोशिश की जाती है। लोग कोर्ट में न जाएं, इसलिए एडवांस में ही उनको रोकने की कोशिश की जाती है। मैं बहुत ही गंभीर प्रश्न सामने ला रहा हूं, इसलिए मुझे बोलने के लिए थोड़ा वक्त और दिया जाए।

तीसरा मुद्दा प्रभावित व्यक्तियों के हितों के लिए सुरक्षा उपाय का है । बिल में खनन संबंधी कार्यकलापों से प्रभावित जिलों में खनन, स्थापन करने का प्रावधान है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के जितने भी जिले माइनिंग से प्रभावित हैं, लोगों को समस्या और परेशानी के बारे में किसी को कम्पलेंट करने के लिए नागपुर जाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि जिस एरिया में माइनिंग होती है, वहां डिपार्टमेंट का कार्यालय होना चाहिए, ताकि वहां के लोग समस्या के संबंध में उनके पास जा सकें। इसमें एक अच्छी बात दी गई है कि जिला खनन स्थापन के बाद माइनिंग के माध्यम से जो भी निधि मिलेगी, उसका इस्तेमाल जिले के लिए हो सकता है, वैलफेयर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सिंधुदुर्ग में आठ या दस माइन्स हैं, आयरन और बॉक्साइट माइन्स हैं, लेकिन माइन्स के माध्यम से जो सी.एस.आर. फंड मिलता है, वह जिले के लिए कितना खर्च हुआ, कितना फंड जमा हुआ, किस आइटम पर खर्च हुआ, इसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं है। कुछ लोग आस पास के इलाकों में जाकर नोटबुक बांटते हैं, छतरी बांटते हैं और फंड को यूटीलाइज करके कलैक्टर के पास रिपोर्ट सब्मिट करते हैं। मेरा

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी मानिटरिंग के लिए जो भी जिला कमेटी तैयार की जाए, उसमें वहां के सांसद को भी नियुक्त किया जाए, ताकि मानिटरिंग सही हो सके।

मैं एक अंतिम बात बताना चाहता हूं। भविष्य में चाहे आयरन-ओर की माइनिंग हो या बॉक्साइट की माइनिंग हो, सरकार जब किसी को देखने के लिए जाएगी तो उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इसके पहले जैसे एक ही व्यक्ति को अलग-अलग माइन दी गयी है, उनको रिवोक करना चाहिए और ऑक्शन के माध्यम से भविष्य में माइनिंग से संबंधित एलॉटमेंट होनी चाहिए, यह मैं विनती करता हूं और साथ ही मैं इस विधेयक का अनुमोदन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनाकापल्ली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्माननीय सभा में बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 का समर्थन करता हूं। एन.डी.ए. सरकार ने इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने के लिए उचित कदम उठाए हैं।

महोदय, यह विधेयक खनिज संसाधनों के आबंटन में (1) बेहतर पारदर्शिता स्थापित करने, (2) सरकार के लिए इन संसाधनों के मूल्य का उचित हिस्सा प्राप्त करने, (3) आकर्षक निजी निवेश और नवीनतम प्रौद्योगिकी लाने, और (4) प्रशासन में देरी को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि इस देश के खनिज संसाधनों का शीघ्र और सर्वोत्तम विकास संभव हो सके।

भारत अधिकांश खनिजों के मामले में समृद्ध है। देश 87 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें चार ईंधन खनिज, दस धात्विक खनिज, 47 गैर- धात्विक खनिज, तीन आणविक खनिज और 23 लघु खनिज शामिल हैं, जिनमें निर्माण सामग्री और अन्य सामग्री भी शामिल हैं। इस प्रकार, खनन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और हमारे जीडीपी में लगभग दो प्रतिशत का योगदान करता है। हालांकि, वर्षों के

दौरान, भारतीय खनिज और खनन उद्योग एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है और नकारात्मक वृद्धि का सामना कर रहा है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करता है और खनन कार्यों के लिए खनन पट्टे प्राप्त करने और देने की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है।

खनन उद्योग में उभरती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। यद्यपि खनन क्षेत्र के क्षेत्र में पारदर्शिता और उच्च दक्षता लाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में कई बार संशोधन किए गए हैं, फिर भी कई घोटाले देखे गए। पिछले कुछ वर्षों में, देश में बड़ी संख्या में दिए गए नए खनन पट्टों में काफी गिरावट आई है। साथ ही, खनन पट्टों के द्वितीय और उसके बाद के नवीनीकरण न्यायालयों के निर्णयों से प्रभावित हुए हैं, जिससे देश को खनिजों के आयात पर निर्भर होना पड़ा है।

वर्तमान विधेयक खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नीलामी पद्धति को अपनाता है। इसका उद्देश्य खनिज रियायतों के आबंटन में विवेकाधिकार की भूमिका को समाप्त करना है। यद्यपि सभी खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही प्रदान की जाएंगी, लेकिन अब यह कार्य नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि विवेकाधिकार के दुरुपयोग की संभावना भी समाप्त होगी—जो निःसंदेह एक सराहनीय कदम है।

विधेयक में खनन पट्टाधारकों के योगदान से सृजित एक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि देश में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित कोष बनाया जा सके। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि वे स्पष्ट करें कि इस उद्देश्य के लिए कितना धन निर्धारित किया जाएगा।

इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि विशाखापट्टनम जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थित है, जिसे वर्तमान में निजी खदान पट्टेधारकों के समान शर्तों पर खनिज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चूँकि यह संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, अतः मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इसे

आवश्यक आबद्ध खदानें यथोचित मूल्य पर आबंटित की जाएं, जिससे इसकी निरंतरता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित की जा सके।

<u>सायं 7.00 बजे</u>

हाल ही में सरकार ने 21 कोयला खदानों के पहले चरण के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि बोली पहले ही 80,000 करोड़ रुपये पार कर चुकी हैं । इसमें से अधिकांश छह प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड में जाएगा। बाकी पैसा इन खानों के जीवनकाल में रॉयल्टी के रूप में आएगा। ... (*व्यवधान*) इसलिए, राज्यों को धन की आवश्यकता है। यह धन राज्यों के लिए एक वरदान के रूप में आया है।

जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह कहा कि यूपीए सरकार की मनमानी के चलते कोयला ब्लॉकों के आबंटन से सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ है, तब विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों ने उनकी आलोचना की थी। लेकिन जब नीलामी में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की बोली प्राप्त हुई, तो श्री विनोद राय अंततः सही साबित हुए।

मैं पूरी सरकार को इस पारदर्शी और नवाचारी कदम के लिए बधाई देता हूं। एन.डी.ए. सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। एक दृष्टिकोण से, कोयला घोटाला भी वह प्रमुख कारण था जिसके कारण यू.पी.ए. सरकार को पिछले चुनावों में सत्ता से वंचित होना पड़ा।

हमारे सहयोगी खनन माफिया के बारे में बोल रहे थे। खनन माफिया न केवल कर्नाटक राज्य में है बल्कि हर जगह हैं। ये आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में हैं - हर जगह हैं। केवल इस देश में लोग पांच साल या 10 साल की अवधि के भीतर 1 लाख करोड़ की संपत्ति बना रहे हैं। यह आंध्र प्रदेश में हुआ है। ऐसा आंध्र प्रदेश में हो चुका है। आंध्र प्रदेश में हमारे कई महान नेताओं को इसी कारण जेल जाना पड़ा था। इसलिए, मैं सभी पक्षों से इसे ध्यान में रखने का आग्रह करता हूं कि यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है। यह किसी की संपत्ति नहीं है। बेशक, कभी इस पक्ष की सरकार होगी, तो कभी उस पक्ष की सरकार होगी। मैं इस सम्माननीय सभा से अनुरोध करता

हूं कि राष्ट्रीय आस्तियों की भविष्य की पीढ़ियों के लिए रक्षा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि हमारे पास एक दीर्घकालिक योजना भी होनी चाहिए, और केवल अल्पकालिक योजनाएं ही नही होनी चाहिए। हमारे विद्वान मित्रों ने सभा को पहले ही बता दिया कि कम-से-कम हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ खानें आरक्षित करनी चाहिए। इसलिए,हमें पूरे देश में सब कुछ लूटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उस मामले के लिए भी, हम चीन से सबक सीख सकते हैं। भले हालाँकि चीन के पास खनिजों की प्रचुर मात्रा में खदानें हैं, उन्होंने खनन अन्वेषण पर प्रतिबंध लगा रखा है और वे भारत जैसे अन्य देशों से खनिज आयात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारे देश में एक सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल में खनन की अनुमति दी गई... (*व्यवधान*) हर कोई यह जानता है। वे करोड़ों रुपये मूल्य के राष्ट्रीय संसाधनों के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। कम से कम, एनडीए सरकार को यह गलती दोहरानी नहीं चाहिए।

बेशक, हमारी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी निजीकरण के विरोध में नहीं है। लेकिन हमें निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के लाभों के साथ-साथ उनके संभावित नुकसान को भी समझना होगा। मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह निजीकरण को सीमित करने के प्रयास करें और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं कंपनियों को सशक्त रूप से प्रोत्साहित करें। साथ ही, हमें अपनी राष्ट्रीय संसाधनों की रक्षा करनी होगी ताकि भावी पीढ़ियाँ समृद्धि के साथ विकास और कल्याण दोनों का लाभ उठा सकें। किसी भी सरकार के लिए विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकें।

वैसे भी, नौ महीने से एन.डी.ए. सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं माननीय प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे भविष्य में भी जारी रखें ताकि राष्ट्र हमारी सराहना करे। लोगों में लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिये कुछ सम्मान और विश्वास होगा। हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। इस सभा के प्रत्येक सदस्य को भ्रष्टाचार को समाप्त करने की शपथ लेनी चाहिए।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि कृपया उन लोगों के खिलाफ कड़े नियम लाएं जो अवैध रूप से खनिज और खानों का उत्खनन कर रहे हैं। वे केवल 3-4 वर्षों के लिए जेल जाते हैं और फिर वापस आकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। उनके पास अपनी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, अपना मीडिया होता है, और वे हमें नैतिक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। कम-से-कम, हमें इन सभी अपराधियों के खिलाफ एक कानून भी बनाना चाहिए ताकि वे संसद या विधान सभा चुनाव लड़ने के पात्र न हों। तभी हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं को धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा की कार्यवाही कल, 3 मार्च, 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 मार्च, 2015 / 12 फाल्गुन,1936 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित